

(15)

कनाडा का संविधान

भारतवासी, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, मेरठ, मद्रास इत्यादि
विश्वविद्यालयों के बी० ए० के विद्यार्थियों के लिए]

(संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण)

626c

लेखक

प्रो० प्रियदर्शी, एम० ए०



स्टूडेंट्स फ्रेंड्स

३, विवेकानन्द मार्ग, इलाहाबाद—३

प्रकाशक :
एन्ड्रयूस् फेल्ड्स,
इलाहाबाद ।

© प्रकाशकाधीन

मूल्य : ४.५० रुपये मात्र

323960

मुद्रक :
गणेश प्रिंटिंग प्रेस,
इलाहाबाद ।

344-H
38

सहायक पुस्तक

के रूप में

सर्वश्रेष्ठ रचना

दो शब्द

कनाडा के संविधान का यह नवीन संस्करण आपके हाथों में है । इस संस्करण में यथास्थान संशोधन, परिवर्तन और परिवर्द्धन कर इसे विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है । आशा है विद्यार्थी-जगत इससे पूर्णतया लाभान्वित होगा ।

—प्रियदर्शी



विषय-सूची

पृष्ठ

अध्याय १

कनाडा संविधान की पृष्ठभूमि

[परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, १७६१ ई० का अधिनियम, डरहम रिपोर्ट तथा १८४० ई० का अधिनियम, १८६७ ई० का अधिनियम, स्टेच्यूट आफ वेस्ट मिनिस्टर]

१—५

अध्याय २

संविधान की रूपरेखा

कनाडा संविधान के मुख्य स्रोत

कनाडा संविधान की विशेषताएँ

[लिखित संविधान, संसदीय पद्धति का संविधान, संघात्मक संविधान, लोकतन्त्रात्मक संविधान, नागरिक स्वतन्त्रताओं का रक्षक, गवर्नर जनरल शासन का औपचारिक प्रथा, संशोधन की विशिष्ट प्रक्रिया, विधि का शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रिवी काउंसिल का प्रावधान, राष्ट्रमण्डल का सदस्य एवं उसका सम्प्रभु होना]

५—१०

अध्याय ३

कनाडा की संघात्मक व्यवस्था

[संघात्मक व्यवस्था, विशेषतायें, इकाइयाँ, संघात्मक व्यवस्था द्वारा शक्ति-वितरण]

११—१५

अध्याय ४

गवर्नर जनरल

[गवर्नर जनरल की नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन शक्तियाँ, स्थिति, गवर्नर जनरल के पद की तुलना]

१५—२३

अध्याय ५

मन्त्रि-परिषद्

[मन्त्रि-परिषद् का निर्माण, राजनैतिक व्यवस्था, मन्त्रि-मण्डल का कार्य, प्रधान-मन्त्री के अधिकार, कार्य और स्थिति]

२३—३०

अध्याय ६

कनाडा की सीनेट

[कनाडा के सीनेट की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति, वेतन और भत्ता, सीनेट के पदाधिकारों, सीनेट सर्वाधिक शक्तिहीन सदन, शक्तिहीनता के कारण]

३०—३६

अध्याय ७

कॉमन्स सभा

[कॉमन्स सभा की संरचना, सदस्यों की योग्यतायें, निर्वाचन, वेतन और भत्ते, कार्य-काल और कोरम, कॉमन्स सभा का अध्यक्ष, कॉमन्स सभा के कार्य]

३७—४१

अध्याय ८

न्यायपालिका

कनाडा में न्यायिक संगठन

[कनाडा का उच्चतम न्यायालय, एक्सचेकर न्यायालय, प्रान्तों के सर्वोच्च न्यायालय, काउन्टी न्यायालय, कनिष्ठ न्यायालय]

उपसंहार

४१—४६

अध्याय ९

सङ्घ और प्रान्तों के सम्बन्ध

कनाडा में संघ तथा प्रान्तों के सम्बन्ध

४७—५१

परिशिष्ट १

ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम १८६७

[प्रारम्भिक, संघ, कार्यकारी अधिकार, विधायी अधिकार, सीनेट, हाउस आफ कामन्स, मुद्रामत : शाही सम्मति, प्रादेशिक संगठन, विधायी अधिकारों का वितरण, शिक्षा]

५१—७२

परिशिष्ट २

[कनाडा की प्रान्तीय शासन पद्धति, प्रान्तों की मालिका, कनाडा की दलीय पद्धति, प्रमुख राजनैतिक दल]

७२—८०

पृष्ठभूमि

परिचय—संयुक्त राज्य अमेरिका की उत्तरी सीमा पर लगभग ३८,४५,७७४ वर्ग मील में फैला हुआ कनाडा एक अत्यन्त विशाल देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में इसका तीसरा स्थान है *। कनाडा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव के उस पार सोवियत रूस, दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशान्त महासागर है। १९६१ की जनगणना के अनुसार कनाडा की जनसंख्या १,८२,३८,२४७ थी। इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना विशाल होते हुए भी इसकी जनसंख्या अत्यन्त कम है, इस जनसंख्या में लगभग एक तिहाई फ्रांसीसी भाषाभाषी रोमन कैथोलिक हैं, जबकि दो-तिहाई आंग्ल भाषा-भाषी प्रोटेस्टेण्ट धर्मावलम्बी लोग हैं। दूसरे शब्दों में जनसंख्या का ९०% भाग ईसाई धर्म को मानने वाला है। जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से प्रति वर्ग मील संख्या का घनत्व ४.२ व्यक्ति आता है।

भौगोलिक दृष्टि से कनाडा को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है:—

- (१) कनेडियन शील्ड।
- (२) बड़ी-बड़ी भूलों का प्रदेश तथा सेण्ट लारेंस नदी का निचला प्रदेश।
- (३) पश्चिमी आन्तरिक प्रदेश।
- (४) कनेडियन अप्लेशियन प्रदेश।
- (५) पश्चिमी कार्डिलरान।
- (६) हडसन की खाड़ी के पश्चिमी तथा दक्षिणी सीमा वाला प्रदेश।

इस प्रकार प्रकृति ने कनाडा को अपनी अनुपम छटा, प्राकृतिक साधन और प्राकृतिक शक्ति दी है। वैसे कनाडा की कृषि-योग्य भूमि कुल भूमि की केवल २% है, एक तिहाई भाग टुन्ड्रा क्षेत्र के अन्तर्गत है, शेष भाग वन्य प्रदेश के अन्तर्गत पा जाता है कनाडा का मुख्य धन्धा कृषि है और कृषि के अतिरिक्त पशु-पालन, लकड़ी व लुग्दी कागज तथा खनिज पदार्थ इत्यादि कनाडा निवासियों के अन्य पेशे के अन्तर्गत

* रूस और चीन ही दो ऐसे राष्ट्र हैं जिनका क्षेत्रफल कनाडा से बड़ा है।

आते हैं। गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा तथा आलू कनाडा की मुख्य फसलें हैं। कनाडा के परिश्रमी निवासियों ने कृषि के वैज्ञानिक साधनों और सिंचाई की उपलब्ध सुविधाओं को प्रयोग कर उसे कृषि की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध देश बना दिया है। खनिक उत्पादन की दृष्टि से भी कनाडा एक धनी देश है। पीतल, प्लेटिनम, रेडियम, जस्ता, लोहा, तथा कोयला इत्यादि कनाडा के मुख्य खनिक उत्पादन हैं। कृषि के साथ प्रचुर औद्योगिक विकास ने कनाडा को संसार के अत्यन्त समृद्ध देशों की कोटि में रख दिया है।

कनाडा के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

कनाडा मूलतः फ्रांसीसी उपनिवेशवासियों द्वारा स्थापित फ्रांस का एक उपनिवेश था फलतः फ्रांस की भाँति इस पर भी फ्रांसीसी सम्राट का निरंकुश शासन था। फ्रांसीसी निरंकुश शासन-काल में कनाडा-निवासियों की स्थिति अत्यन्त संकटापन्न थी। जब १७६३ ई० में पेरिस की संधि द्वारा फ्रांस और इंग्लैण्ड के मध्य चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध (Seven years War) का अन्त हुआ और कनाडा का यह उपनिवेश अंग्रेजों के हाथों में आ गया। ब्रिटिश सरकार ने कनाडा के निवासियों को कैथोलिक धर्म मानने की स्वतन्त्रता प्रदान की*। शासन की दृष्टि से ब्रिटिश सम्राट ने कनाडा में एक गवर्नर नियुक्त किया जो एक परिषद् की सहायता से कनाडा का शासन करता था। परिषद् के अतिरिक्त एक असेम्बली भी होती थी। कालान्तर में इस नये उपनिवेश में अंग्रेजों का बड़ी संख्या में आना प्रारम्भ हुआ। नवागन्तुक अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को विजित या पराजित लोगों के रूप में देखा और शासन में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया। ऐसी दशा में शासन बहुसंख्यक जनता को दोषपूर्ण दिवलाई पड़ने लगा, सारे देश में असन्तोष की लहर फैल गई। अन्त में कनाडा के तत्कालीन गवर्नर कार्लेटन के प्रयास से १७७४ ई० में 'क्यूबेक ऐक्ट (Quebec Act) पास हुआ।

क्यूबेक ऐक्ट ने कनाडा के नागरिकों (जिनमें फ्रांसीसियों की संख्या ज्यादा थी) को अब कुछ सुविधाएँ देने का प्रयास किया। इसके अनुसार रोमन कैथोलिक लोगों को धार्मिक उपासना की छूट दी गई, रोमन कैथोलिक काउंसिल की सदस्यता ग्रहण कर सक; इसके लिए एक विशेष शपथ का प्रावधान किया गया। रोमन कैथोलिक चर्च को कानूनी स्थिति प्राप्त हो गई। गवर्नर को अपनी कौंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार मिल गया। अब गवर्नर कम-से-

*सन्धि में कहा गया : His Britannic Majesty on his part agrees to grant the liberty of the Catholic religion to the inhabitants of Canada.

कम १७, और अधिक से अधिक २३ सदस्यों को कौंसिल में ले सकता था। गवर्नर को पाँच सदस्यों की एक अन्तरंग परिषद् बनाने का भी अधिकार हो गया अधिनियम के अनुसार एक व्यवस्थापिका परिषद् (Legislative Council) की स्थापना का प्रावधान किया गया। किन्तु इस व्यवस्थापिका परिषद् को कर लगाने का अधिकार नहीं दिया गया। क्यूबेक ऐक्ट के अनुसार फौजदारी और दीवानी कानूनों में भी सुधार करने का प्रयास किया गया। क्यूबेक ऐक्ट से कनाडा के फ्रांसीसी नागरिकों को बड़ा सन्तोष हुआ किन्तु वहाँ की आँगल जनता सन्तुष्ट न हुई। जनता में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए असन्तोष ने ब्रिटिश संसद को १७९१ ई० का संवैधानिक अधिनियम पारित करने के लिए बाध्य किया।

१७९१ ई० का अधिनियम—१७९१ ई० के संवैधानिक अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि इसने कनाडा को दो भागों—ऊपरी कनाडा (Upper Canada) और निचला कनाडा (Lower Canada) में विभाजित कर दिया। ऊपरी कनाडा में अंग्रेजों की संख्या ज्यादा थी और निचले कनाडा में फ्रांसीसियों की। प्रत्येक प्रान्त के लिये द्विसदनात्मक विधान-मण्डल की व्यवस्था की गई। विधान-मण्डल का एक सदन जनता द्वारा निर्वाचित होता था, और दूसरा आजीवन काल के लिए मनोनीत सदस्यों का सदन। प्रथम सदन को विधान सभा और दूसरे सदन को विधान परिषद् (Legislative Council) की संज्ञा दी गई। कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित थी। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी होता था। गवर्नर की सहायता के लिए एक कार्य-पालिका होती थी। व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों को निषेध करने का अधिकार गवर्नर का था। १७९१ ई० के इस अधिनियम में भी अनेक दोष थे। फलतः कनाडा की जनता इससे सन्तुष्ट न हुई। ऊपरी और निचले दोनों कनाडाओं में व्यापक असन्तोष चलता रहा।

डरहम रिपोर्ट तथा १८४० ई० का अधिनियम—कनाडा में फैले हुए व्यापक असन्तोष तथा वहाँ की जनता की माँगों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लार्ड डरहम को नियुक्त किया। लार्ड डरहम कनाडा के गवर्नर जरनल के रूप में आए। दो वर्षों तक लार्ड डरहम ने सारी स्थिति का अध्ययन किया तथा १८३९ ई० में ब्रिटिश सरकार के समक्ष उन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रतिवेदन) प्रस्तुत की। प्रो० डार्लिन के अनुसार डरहम का प्रतिवेदन ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास का सबसे महान संवैधानिक अभिलेख है। इसी प्रकार प्रो० मेरियट ने इस रिपोर्ट के विषय में लिखा है कि “यदि व्यक्तिगत रूप से देखा जाय तो डरहम का कनाडा मिशन पूर्णतया असफल रहा, परन्तु वह प्रतिवेदन जिसमें उसने विचारों को रखा है तथा कनाडा की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है एक ऐसा प्रतिवेदन है जैसा कि औपनिवेशिक स्वराज्य के विषय में कभी भी नहीं लिखा गया।”

डरहम रिपोर्ट कनाडा के संवैधानिक विकास की युग-यात्रा में एक कीर्ति स्तम्भ की भाँति है ।

लार्ड डरहम की रिपोर्ट में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये गए थे । उन्होंने कनाडा के दोनों भागों को एक में मिला देने की बात कही । साथ ही कनाडा में उत्तर-दायी शासन स्थापित करने का सुझाव दिया । रिपोर्ट में कहा गया कि 'कनाडा की संसद तथा ब्रिटेन की संसद के अधिकार-क्षेत्रों का विभाजन हो जाना चाहिए । उपनिवेश से सम्बन्ध रखने वाले मामलों में कनाडा की कार्यकारिणी को कनाडा की संसद के सामने उत्तरदायी होना चाहिये । उसने यह भी सिफारिश की, कि इन्हीं आधारों पर शीघ्र 'संवैधानिक अधिनियम' पास होना चाहिये जिससे गलतियों का निराकरण शीघ्रता से किया जा सके ।

ब्रिटिश सरकार ने लार्ड डरहम की रिपोर्ट के अनुसार शीघ्र ही अधिनियम पारित किया । यह अधिनियम १८४० ई० का 'यूनियन आफ कनाडा एक्ट' कहलाता है इसके अनुसार १८४१ ई० में कनाडा यूनियन की स्थापना हुई ।

१८६७ ई० का अधिनियम—१८६७ ई० के अधिनियम के अनुसार कनाडा को औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त हो गया, कनाडा, नोवास्कोशिया तथा न्यू ब्रंसविक जैसे तीन उपनिवेशों को मिलाकर एक संघ स्थापित किया गया । इन तीनों उपनिवेशों को ४ प्रान्तों में बाँटा गया । ये प्रान्त थे—क्यूबेक, ओश्टेरियो, नोवा-स्कोशिया तथा न्यू-ब्रंसविक । इसके बाद धीरे-धीरे अन्य उपनिवेश भी सम्मिलित हो गये ।

जहाँ तक क्राउन के नियंत्रण का प्रश्न है क्राउन का कनाडा पर केवल चार बातों पर नियंत्रण रहा :—

(१) कनाडा के संविधान को संशोधित करने का अधिकार ब्रिटिश संसद के हाथ में रहा ।

(२) उपनिवेश की विधि-निर्माण पर निषेधाधिकार का अधिकार क्राउन का रहा ।

(३) निर्णय का सर्वोच्च अधिकार प्रिवी काउंसिल के हाथ में रहा ।

(४) कनाडा के गवर्नर जनरल की नियुक्ति का अधिकार इंग्लैण्ड के पास रहा ।

स्टेच्यूट आफ वेस्ट मिनिस्टर—१८३१—१८६७ ई० के उपरान्त कनाडा उत्तरोत्तर स्वायत्तता और विकास-पथ पर बढ़ता रहा । १८७५ ई० में कनाडा में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई । १८८३ ई० से गवर्नर जनरल की नियुक्ति में कनाडा के अधिकारियों के परामर्श की पराम्यरा स्थापित हुई । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी कनाडा की स्थिति स्थापित होने लगी । १९२६ ई० में 'इम्पीरियल कॉन्फ्रेंस' में

बाल्फोर रिपोर्ट को स्वीकृत किया गया। इसमें कहा गया था—“ब्रिटिश 11 सन के अन्तर्गत स्वायत्तता प्राप्त समुदाय पद में अपने आन्तरिक अथवा बाह्य किसी भी मामले में कोई एक दूसरे के आधीन नहीं, यद्यपि सभी क्राउन के प्रति सामान्य निष्ठा के आबद्ध हैं और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्यों के नाते एक दूसरे से स्वतन्त्रतापूर्वक सम्बद्ध हैं।”

१९३१ ई० के ‘स्टैच्यूट आफ वेस्टमिनिस्टर’ में इस प्रस्ताव को मुखर रूप प्राप्त हो गया। और अब कनाडा संवैधानिक परम्पराओं और उपर्युक्त अधिनियमों के फलस्वरूप व्यावहारिक रूप में एक सम्प्रभु राष्ट्र है।

अध्याय

२

संविधान की रूपरेखा

प्रश्न :—कनाडा के संविधान के मुख्य स्रोतों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

कनाडा संविधान के मुख्य स्रोतों को संक्षेप में निम्नलिखित रूप में रखा जा सकता है :—

(१) ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम—कनाडा के संविधान का प्रमुख स्रोत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियम हैं। इन अधिनियमों में विशेषकर १८६७ ई० का अधिनियम उल्लेखनीय है। इस अधिनियम को यदि कनाडा की राज्य व्यवस्था का आधार-स्तम्भ कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। इसी अधिनियम को कनाडा के संविधान का लिखित रूप कहा जा सकता है। यही अधिनियम कनाडा की संघात्मक व्यवस्था, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संगठन इत्यादि पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर इस अधिनियम में संशोधन किये गए।

इसी प्रकार १९३१ ई० की ‘स्टैच्यूट आफ वेस्टमिनिस्टर’ का भी उल्लेख किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार कनाडा एक डोमिनियन (Dominion) बना। १९५० ई० में कनाडा ने ‘डोमिनियन’ पद का परित्याग कर एक सार्वभौम स्वतन्त्र राज्य की घोषणा की।

(२) कनाडा के संविधान का दूसरा स्रोत वहाँ की केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून हैं। केन्द्रीय व्यवस्थापिका द्वारा पारित अधिनियमों ने केन्द्रीय शासन को प्रभावित किया है जबकि प्रान्तीय विधियों ने प्रान्तीय शासन को प्रभावित किया है।

(३) कनाडा के संविधान का तीसरा तत्व अभिसमय, परम्पराएँ या रूढ़ियाँ हैं। प्रायः प्रत्येक संविधान चाहे वह लिखित हो या अलिखित, अपने अभिसमय विकसित कर लेना है। कनाडा का संविधान भी इसका अपवाद नहीं है। आज कनाडा के संविधान के अन्तर्गत ऐसी अलिखित परम्पराएँ हैं जिनके द्वारा वहाँ की शासन-पद्धति संचालित होती है। इन परम्पराओं में से मुख्य निम्न-लिखित है :—

(१) गवर्नर जनरल जो कि कभी कनाडा के शासन का सर्वेसर्वा था अब केवल औपचारिक प्रधान है। वास्तविक कार्यपालकीय शक्तियाँ वहाँ की मंत्रिमण्डल के हाथों में निहित हैं।

(२) गवर्नर जनरल अब अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता।

(३) मंत्रिमण्डल का अधिनियम में कहीं उल्लेख नहीं था किन्तु आज कनाडा की संसदीय पद्धति की धुरी वही है।

(४) मंत्रिमण्डल के साथ ही वे समस्त परम्पराएँ कनाडा में प्रचलित हैं जो कि किसी भी संसदीय व्यवस्था में प्रचलित होती हैं।

(५) कनाडा के संविधान का अन्तिम स्रोत वहाँ की न्यायपालिका द्वारा दिये गए वे निर्णय हैं जिनका कि सम्बन्ध कनाडा की संवैधानिक व्यवस्था से है।

कनाडा के संविधान की विशेषताएँ

प्रश्न :—कनाडा के संविधान की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

प्रत्येक संविधान कतिपय विशेषताओं से समलंकृत होता है, कनाडा का संविधान भी इसका अपवाद नहीं है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कनाडा के संविधान की विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में रखा जा सकता है :—

(१) लिखित संविधान:—कनाडा का संविधान १८६७ ई० के ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम पर आधारित है, इसलिए उसे एक लिखित संविधान की संज्ञा दी जा सकती है। परन्तु पूर्णतया ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम का ही दूसरा रूप कह देना उचित न होगा। इसके संविधान में अनेक तत्वों का योग है। जैसा कि प्रो० डालन ने कहा है कि “कनाडा का संविधान जैसा कि कुछ लोग सोचते

हैं मूल ब्रिटिश नार्थ अमेरिका ऐक्ट और उसके संशोधनों से युक्त तीस एक पृष्ठों तक ही सीमित नहीं है ।' *

दूसरे शब्दों में कनाडा के संविधान के उपयुक्त स्रोतों के अतिरिक्त अन्य अनेक स्रोतों ने उसे गति दी है । कनाडा की संसद् द्वारा बनाये अधिनियम, न्यायपालिका द्वारा दिये गये निर्णयों इत्यादि का भा कनाडा के संविधान में अपना योग है ।

(२) संसदीय पद्धति का संविधान:—कनाडा के संविधान की दूसरी-विशेषता उसकी संसदात्मक पद्धति है । उसका संविधान एक प्रकार से ब्रिटेन की संसदीय पद्धति की ही अनुकृति है । ब्रिटेन को भौति कनाडा में भी एक व्यवस्थापिका है । यह व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक है । एक को सेंनेट कहा जाता है और दूसरे को प्रतिनिधि-सभा । वहाँ की कार्यपालिका के दो अंग हैं । औपचारिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका । औपचारिक कार्यपालिका के रूप में गवर्नर जनरल है और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिपरिषद् । वास्तविक कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद् संसदीय परम्परा के अनुसार व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हैं ।

(३) संघात्मक संविधान:—कनाडा का संविधान संघात्मक पद्धति पर आधारित है । इस प्रकार वह संघात्मक और एकात्मक पद्धतियों का मिला-जुला रूप है । जैसा लासन ने एक स्थल पर लिखा है, “कनाडा का संविधान संघात्मक और संसदीय पद्धतियों का मिश्रण है । वह एक ऐसा प्रयत्न है जो कभी उत्तरदायी शासन तथा संघात्मक शासन के सिद्धान्तों को मिलाने के लिये प्रथम बार किया गया है । उत्तरदायी सरकार का अंश भातृ देश ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है । संघात्मक शासन का प्रथम प्रयोग हमारे दक्षिण के महान प्रजातंत्र देश (सयुक्त राज्य अमेरिका) में हुआ । कनाडा का संविधान दोनों देशों के संविधानों के स्रोतों से बना है, परन्तु उसका अधिकांश भाग ग्रेट ब्रिटेन के नमूनों का बना है ।” †

*“The Contitution of Canada is not confined, as some people think to the thirty odd-pages of the original British North America Act and its amendments.”
—Dawson

†“The Canadian Constitution is somewhat a hybrid growth. It is an attempt the first ever made to combine the principles of responsible government with a federal government, Responsible government is derived from the mother country. Federal government on a large Scale was first tried in the great republic south of us, the United states. Canada constitution draws inspiration to some extent from both sources but is based largely on the British model.”
—W. I. Lauson

कनाडा के संविधान की अन्य विशेषता उसका संघात्मक स्वरूप है। ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम १८६७ ई० के अनुसार कनाडा में संघीय शासन की स्थापना की गई थी। प्रत्येक संघात्मक संविधान की अपनी विशेषताएँ होती हैं। सदाहरण के लिए उसका संविधान लिखित होता है, संघ और इकाइयों के मध्य शक्तियों का वितरण होता है, एक उच्चतम न्यायालय होता है। कनाडा के संविधान में ये सारी विशेषताएँ हैं। दूसरे शब्दों में उसका संविधान लिखित है। संघ और इकाइयों के मध्य शक्तियों का वितरण होता है। शक्तियों के वितरण की दृष्टि से केन्द्रीय शासन को २६ विषयों में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त वह समस्त कनाडा के लिए शान्ति-व्यवस्था तथा अच्छे शासन के लिये कानून बना सकती है। प्रान्तीय सरकारों को प्रान्तीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है प्रान्तों की प्रभाव-परिधि में आने वाले विषयों में प्रान्तीय संविधान का संशोसन, जेल, जन-स्वास्थ्य विवाहोत्सव इत्यादि आते हैं। समवर्ती सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर केन्द्र और प्रान्तों दोनों सरकारों को विधि-निर्माण करने का अधिकार है। इन विषयों में कृषि, वृद्धावस्था की पेंशन, आप्रवासन इत्यादि आते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के हाथों में निहित हैं।

कनाडा के संघ के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाइयाँ सम्मिलित हैं : (१) क्यूबेक (२) ओण्टेरियो (३) न्यू ब्रन्सविक (४) नोवास्कोशिया (५) प्रिंस एडवर्ड द्वीप (६) मानिटोवा (७) अलबर्टा (८) संस्केचवान (९) ब्रिटिश कोलम्बिया और (१०) न्यू फाउण्डलैण्ड। इनके अतिरिक्त इसमें यूकन और मेकैजी के दो प्रदेश भी आते हैं।

इस प्रकार कनाडा के संविधान की एक विशेषता उसका संघात्मक स्वरूप है। वास्तव में यह संसार का पहला संविधान था जिसने संसदात्मक पद्धति के साथ संघात्मक पद्धति का समन्वय प्रस्तुत किया था।

(४) लोकतन्त्रात्मक संविधान—प्रो० डासन ने कनाडा की शासन-प्रणाली पर विचार करते हुये लिखा है कि “कनाडा के संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह संविधान लोकतन्त्रात्मक पद्धति की स्थापना करता है। लोकतन्त्रात्मक संविधान होने के नाते इसकी समस्त शासन-संस्थाएँ जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती हैं।”

(५) नागरिक स्वतन्त्राओं का रक्षक—प्रजातन्त्रात्मक पद्धति का स्थापक कनाडा का संविधान नागरिकों की स्वतन्त्रताओं की रक्षा करता है। यद्यपि संविधान में किसी पृथक अध्याय के रूप में नागरिकों की स्वतन्त्रताओं का उल्लेख नहीं है किन्तु संविधान द्वारा जिस व्यवस्था की स्थापना की गई है उसमें नागरिकों को अनेक स्वतन्त्रताएँ उपलब्ध हैं। इन स्वतन्त्रताओं के अनुसार कनाडा का नागरिक विचार,

अभिव्यक्ति, व्यवसाय, अन्तःकरण, जीवन इत्यादि की महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं का उप-भोग करता है और संविधान अपनी व्यवस्था द्वारा उनकी एक प्रहरी की भाँति रक्षा करता है ।

(६) गवर्नर जनरल-शासन का औपचारिक प्रथा—कनाडा की संवैधानिक व्यवस्था में औपचारिक प्रधान के रूप में गवर्नर जनरल का पद विद्यमान है । गवर्नर जनरल की शक्तियों को 'लेटर्स पेटेंट' द्वारा सीमित कर दिया गया है । उसकी नियुक्ति सैद्धान्तिक दृष्टि से ब्रिटेन की महारानी द्वारा होती है किन्तु व्यवहार में यह अधिकार कनाडा के मंत्री मण्डल के हाथों में है ।

(७) संशोधन की विशिष्ट प्रक्रिया—कनाडा के संविधान की एक विशेषता उसके संशोधन की विशिष्ट प्रक्रिया है । यद्यपि कनाडा एक स्वतंत्र सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्र है, किन्तु पुरातन व्यवस्था के अनुसार संविधान का संशोधन ब्रिटेन की संसद ही कर सकती है । हाँ, यह अवश्य है कि संविधान के संशोधन में ब्रिटिश संसद को कनाडा के शासन का सहयोग लेना आवश्यक है । दूसरे शब्दों में ब्रिटेन की संसद द्वारा कनाडा के संविधान में किया गया संशोधन तभी प्रभावी हो सकता है, जब की कनाडा की पार्लियामेंट और उसके प्रान्तों की व्यवस्थापिकाएँ उसे स्वीकार करें । इधर संशोधन के विषय में कनाडा में यह भावना उत्तरोत्तर दृढ़ होती जा रही है कि ब्रिटिश संसद द्वारा कनाडा के संविधान में संशोधन की परम्परा का अन्त किया जाय ।

(८) विधि का शासन—ब्रिटिश शासन की भाँति कनाडा की राज-व्यवस्था भी विधि के शासन (Rule of Law) की स्थापना करती है । विधि के शासन का अर्थ कनाडा में विधि की सर्वोच्चता से है । दूसरे शब्दों में कनाडा में विधि सर्वोपरि है, विधि की दृष्टि में समस्त नागरिक समान हैं, किसी भी व्यक्ति को विधि के अनुसार ही दण्डित किया जा सकता है । शासन की समस्त संस्थाएँ कानून के अनुसार ही संचालित की जाती हैं । सामान्य पुलिस मैन से लेकर प्रधान मंत्री तक कानून के आधीन हैं ।

(९) स्वतंत्र न्यायपालिका—स्वतंत्र न्यायपालिका किसी भी संघात्मक व्यवस्था का आधारभूत तत्व मानी जाती है । स्वतंत्र न्यायपालिका के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए कनाडा के संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है । कनाडा की न्याय-व्यवस्था शीर्षस्था का निकाय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) कहलाता है । इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और ८ अन्य न्यायाधीश होते हैं ।

इस प्रसंग में एक बात स्मरणीय है, वह यह कि कनाडा के उच्चतम न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार प्राप्त नहीं है जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और

आस्ट्रेलिया के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। किन्तु वह अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है और स्वतंत्रतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करती है।

(१०) प्रिवी काउंसिल का प्रावधान—कनाडा की राज-व्यवस्था में एक अन्य उल्लेखनीय संस्था 'प्रिवी काउंसिल' (Privy Council) है। १८६७ ई० के ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम में ब्रिटिश परम्परा का अनुगमन करते हुए प्रिवी काउंसिल का प्रावधान किया गया था। यह कनाडा के संविधान की अपनी अनूठी विशेषता है, ऐसी विशेषता जो कि किसी अन्य राष्ट्रमंडलीय देश में नहीं पाई जाती। प्रिवी काउंसिल में गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त ६० सदस्य होते हैं। सदस्यों की नियुक्ति जीवन भर के लिए होती है। जहां तक प्रिवी काउंसिल के कार्यों का प्रश्न है, कनाडा की मन्त्रपरिषद् द्वारा इसके कार्यों का सम्पादन होता है और इसकी बैठकें नहीं के बराबर होती हैं।

(११) राष्ट्रमण्डल की सदस्यता और उसका सम्प्रभु होना—कनाडा के शासन की अन्तिम विशेषता उसकी प्रभुसत्ता या सम्प्रभु सम्पन्नता और राष्ट्रमण्डल की सदस्यता है। कनाडा पहले पूर्णतया ब्रिटेन का एक उपनिवेश था जिसके हाथों में उसको सम्प्रभुता निहित थी। कालान्तर में धीरे-धीरे कनाडा ब्रिटेन के चंगुल से मुक्ति पाता गया। आज वह केवल राष्ट्रकुल का एक सदस्य है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि में कनाडा सम्प्रभु सम्पन्न है, उसका अपना व्यक्तित्व है। इस व्यक्तित्व के नाते कनाडा संयुक्त राष्ट्र संघ (U. N. O.) का सदस्य है। वह अपने आन्तरिक एवं वैदेशिक मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र है।

“The Canadian constitution can be amended only by British Parliament on the request and the consent of the dominion government. But there is a tendency towards eliminating this necessity of going to the British Parliament for amendment”

Dr. I. D. Sharma: Modern
Constitutions at Work.

“Another important feature of the government of Canada is its acceptance of the principle known as the rule or supremacy of law..... It means that the government itself is controlled by the law must operate according to its terms.”

—Dr. R. M. Dawson

कनाडा की संघात्मक-व्यवस्था

प्रश्न : कनाडा की संघात्मक व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं ?

१८६७ ई० को ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम ने कनाडा में संघात्मक पद्धति की स्थापना की। कनाडा की संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों को जानने के पूर्व दो शब्द संघ के विषय में कह देने आवश्यक हैं। प्रसिद्ध राजशास्त्री डायमी ने संघ की परिभाषा करते हुये लिखा : “संघवाद एक राजनैतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारी को मुनिश्चित करने के साथ-साथ सारे राष्ट्र की एकता को भी मुनिश्चित किया जाता है।” डा० फाइनर के अनुसार “संघात्मक राज्य वह है जिसमें सत्ता एवं शक्ति का एक भाग संघीय इकाइयों में निहित रहता है और दूसरा भाग केन्द्रीय संस्था में जो क्षेत्रीय इकाइयों के समुदाय द्वारा जान-बूझ कर संगठित की जाती है।”

इस प्रकार यदि हम किसी संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों पर एक दृष्टि डालें तो देखेंगे कि उसकी मुख्यतया निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं :—

(१) संघ पारस्परिक संगठन के आधार पर संगठित होता है जिसमें इकाइयों की स्वायत्तता और स्वरूप को सुरक्षित रखा जाता है।

(२) संघ सरकार में शासन के दो रूप होते हैं : एक तो संघ का शासन और दूसरे राज्यों या इकाइयों का शासन।

(३) शासन—शक्तियों का केन्द्रीय तथा इकाइयों की सरकारों के बीच विभाजन होता है।

(४) संघ शासन का संविधान लिखित होता और उसके संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है।

“The last Characteristic of Canadian government is that Canada is a sovereign independent state associated with others of equal status in the British Commonwealth of Nations.”

—Dr. Dawson

(५) संघ शासन में एक सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है ।

अब यदि संघात्मक शासन की उपर्युक्त विशेषताओं के अनुसार कनाडा की संघात्मक व्यवस्था का अध्ययन करने का प्रयास करें तो देखेंगे कि इस व्यवस्था में संघ के समस्त उपर्युक्त लक्षण विद्यमान हैं । उदाहरण के लिए हम पहले लक्षण को ले सकते हैं । कनाडा अनेक इकाइयों का एक संघ है । जिस समय कनाडा के संघ (यूनियन) की स्थापना हुई उस समय उसकी इकाइयों की संख्या चार थी किन्तु कालान्तर में उसके अन्तर्गत कनाडा के अन्य उपनिवेश भी सम्मिलित हो गये । वर्तमान समय में संघ की इकाइयों की संख्या निम्नलिखित है—

(१) क्यूबेक (२) ओण्टेरियो (३) न्यू ब्रन्सविक (४) नोवास्कोशिया (५) प्रिंस एडवर्ड (६) मानीटोवा (७) अलबर्टा (८) संस्केचवान (९) ब्रिटिश कोलम्बिया (१०) न्यूफाउण्डलैण्ड । इसके अतिरिक्त इसमें यूकन और मैकेजी के भी दो प्रदेश सम्मिलित हैं ।

संघवाद का दूसरा लक्षण शासन का द्विरूपी होना होता है । कनाडा में शासन के दो रूप हैं । एक ओर केन्द्र में संघीय शासन है और दूसरी ओर प्रान्तों में प्रान्तीय शासन । केन्द्र में गवर्नर जनरल, उसका मंत्रिमण्डल और संघीय व्यवस्थापिका है जब कि प्रान्तों में लेफ्टीनेण्ट गवर्नर, प्रान्तीय परिषद् तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका होती है । प्रान्तों में क्यूबेक और नोवास्कोशिया को छोड़कर अन्य प्रान्तों में एक सदानात्मक व्यवस्थापिका है । इसी प्रकार प्रत्येक प्रान्त में उसकी न्यायपालिका होती है । इस न्यायपालिका के विशेषकर तीन अंग होते हैं । सुपीरियर, काउण्टी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ।

प्रत्येक संघात्मक व्यवस्था का अत्यन्त अपरिहार्य तत्व केन्द्र और प्रान्तों के मध्य शक्तियों का वितरण होता है । कनाडा की संघात्मक व्यवस्था भी व्यापक रूप से शक्तियों का वितरण करती है । शक्ति-वितरण को दृष्टि से समस्त विषयों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है :—

(१) संघीय विषय । (२) प्रान्तीय विषय । (३) समवर्ती विषय । (४) अवशिष्ट विषय ।

संघीय विषयों के अन्तर्गत वे विषय आते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, जिनका सम्बन्ध सारे संघ से है । इन विषयों की संख्या २६ है । वे निम्नलिखित हैं :—

(१) सार्वजनिक ऋण और सम्पत्ति । (२) व्यापार और वाणिज्य । (३) कर अथवा अन्य किसी विधि द्वारा धन का एकत्रीकरण । (४) सार्वजनिक साख पर ऋण (५) डाक सेवा । (६) जन-गराना के आँकड़े । (७) देश रक्षक सेना (८) सार्वजनिक

अफसरों का वेतन । (६) लाइट हाउस इत्यादि । (१०) नौ चालन और जल-याता-यात । (११) नौका व्यवस्था । (१२) चल मुद्रा । (१३) बैंकिंग, बैंकिंग और कागजी मुद्रा । (१४) सेविंग्स बैंक (१५) बाँट और माप । (१६) विनिमय पत्र । (१७) समुद्र तट और मत्स्य-व्यापार । (१८) प्रोमेसरी नोट । (१९) व्याज । (२०) लीगल टेण्डर । (२१) दिवालियापन । (२२) पेमेण्ट । (२३) कापीराइट । (२४) इरिडियन और उनके लिए सुरक्षित भूमि । (२५) नागरीकरण और विदेशी (२६) विवाह और तलाक । (२७) फौजदारी कानून (फौजदारी क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों को बनाने के अतिरिक्त) । (२८) सुधार-गृहों की स्थापना और प्रबन्ध । (२९) ऐसे विषय जो इस अधिनियम के द्वारा प्रान्तीय व्यवस्थापिका को पूर्णतया न सौंपे गये विषयों की श्रेणी में न आते हों ।

(२) प्रान्तीय विषय—अधिनियम की ६२ वीं धारा में प्रान्तीय विषयों का उल्लेख है । ये विषय निम्नलिखित हैं :—

(१) प्रान्तों के लेफ्टीनेण्ट गवर्नर के पद से सम्बन्ध विषयों को छोड़कर प्रान्तीय संविधान के किसी विषय का संशोधन । (२) प्रान्तीय कार्यों के लिए प्रत्यक्ष कर । (३) प्रान्त की नगरपालिकाएँ । (४) प्रान्तीय अधिकारियों की नियुक्ति और वेतन की व्यवस्था । (५) प्रान्त की सार्वजनिक भूमि का विक्रय और प्रबन्ध । (६) प्रान्त के सार्वजनिक स्थलों, जेलों, चिकित्सालयों, अनाथालयों, और मिश्रक-गृहों की व्यवस्था । (७) प्रान्तीय राजस्व के लिए दूकान । (८) प्रान्तीय, स्थानीय या म्युनिस्पल उद्देश्यों के लिए, दूकान सैलून इत्यादि के लाइसेंस द्वारा राजस्व की प्राप्ति । (९) प्रान्तीय हितों के लिए कम्पनियों को स्वीकृति प्रदान करना । (१०) प्रान्तों में विवाहोत्सव । (११) प्रान्तों में सम्पत्ति और सिविल अधिकार । (१२) प्रान्त के समस्त स्थानीय और निजी मामले । (१३) प्रान्त के कानूनों को आरोपित करने के लिए दरुड का प्रावधान ।

(३) समवर्ती विषय—१८६७ ई० के अधिनियम के ६५ वें अनुच्छेद में उन विषयों का उल्लेख है जिन पर कि केन्द्र और प्रान्त दोनों सरकारों को नियम बनाने का अधिकार है । इन विषयों में मुख्यतया निम्नलिखित हैं :—

(१) कृषि । (२) अन्तः प्रवास (Immigration) (३) अवशिष्ट विषयों के सम्बन्ध में उस अधिनियम में यह कह दिया गया है कि वे विषय केन्द्रीय सरकार के आधीन होंगे ।

शक्ति वितरण के इस विवेचन के प्रसंग में एक बात स्मरणीय है, वह यह कि शिक्षा के सम्बन्ध में १८६७ ई० के अधिनियम में विशेष प्रावधान किया गया है । अधिनियम का ६३ वाँ अनुच्छेद इस तथ्य पर प्रकाश डालता है ।

प्रत्येक व्यवस्थापिका को शिक्षा के विषय में विधि-निर्माण का अधिकार है किन्तु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :—

(१) इस कानून के द्वारा किसी प्रान्त की किसी जाति विशेष के उन विद्यालयों के अधिकारों या विशेषाधिकार के विषय में पक्षपात नहीं किया जायगा जिनको किसी विशेष वर्ग ने खोला हो।

कनाडा में महारानी की रोमन कैथोलिक प्रजा के पृथक विद्यालयों और स्कूल ट्रस्टियों या प्रन्यासियों पर लागू कानूनी शक्तियाँ, विशेषाधिकार और कर्तव्य स्वतंत्रता में रानी की प्रोटेस्टेण्ट और कैथोलिक प्रजा को समान रूप से प्राप्त है।

(३) जहाँ कहीं किसी प्रान्त में संघीय कानून के अधीन पृथक प्रणाली या भिन्न मत है, वहाँ शिक्षा के सम्बन्ध में रानी की रोमन कैथोलिक या प्रोटेस्टेण्ट अल्पमत प्रजा के अधिकार या विशेषाधिकार पर प्रान्तीय अधिकरण के किसी अधिनियम के निर्णय का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर सपरिषद् गवर्नर जनरल से अपील की जायगी।

किसी विषय में यदि गवर्नर जनरल को यह अनुभव हो कि इस धारा को लागू करने के लिए समय-समय पर प्रान्तीय विधान नहीं बनाया गया अथवा गवर्नर जनरल द्वारा सपरिषद् दिये गये निर्णय को लागू नहीं किया गया तो कनाडा की संसद उस दोष को दूर करने के लिये विधि का निर्माण कर सकती है।

कनाडा की संघात्मक व्यवस्था की उपर्युक्त विशेषताओं को देख कर यह स्पष्ट हो जाता है कि कनाडा में संघात्मक संविधान के समस्त लक्षणों को आत्म-सात करने का प्रयास किया गया है। जहाँ तक केन्द्र और प्रान्तों का सम्बन्ध है इसमें एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना की गई है। प्रान्तों पर कई दृष्टियों से केन्द्र का नियंत्रण है। उदाहरण के लिये प्रान्तों की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान लेफ्टीनेण्ट गवर्नर की नियुक्ति और पदच्युति संघीय मंत्रिमण्डल के परा-कर्म से गवर्नर जनरल करता है। इसी प्रकार केन्द्रीय शासन को यह अधिकार है कि वह प्रान्तीय विधियों को अस्वीकृत कर दे। प्रान्तीय न्यायपालिका के उच्च पदों पर की जाने वाली नियुक्तियाँ भी केन्द्रीय शासन द्वारा की जाती हैं। वित्तीय मामलों में भी अनुदान के लिये प्रान्त केन्द्र की कृपा पर निर्भर रहते हैं। इन सब कारणों से अनेक विद्वानों ने कनाडा में प्रान्तों की स्थिति को म्युनिसिपैलिटियों के वृहत्तर रूप (Glorified or Inflated Municipalities) की संज्ञा दी है। उनका कहना है कि कनाडा में शासन की मूल प्रवृत्ति एकात्मक है। उदाहरण के लिये संघवाद के प्रख्यात अभ्येता प्रो० के० सी० व्हिपर का कहना है कि “एक वास्तविक संघात्मक संविधान

के अन्तर्गत ये सब एकात्मक तत्व हैं। यह सब ऐसी बातें हैं जिनके कारण प्रान्तीय सरकारें संघीय सरकारों की अधोन्तता में रह जाती हैं न कि उसकी समकक्षी।”

किन्तु यह सब कुछ होते हुये भी यह नहीं कहा जा सकता कि कनाडा में संघात्मक तत्वों की उपेक्षा है और प्रान्तों की स्थिति अत्यन्त उपेक्षणीय है। यह सत्य है कि कनाडा के सीनेट की रचना में संघीय तत्वों की उपेक्षा की गई है। यह भी सत्य है कि कनाडा के प्रान्तों का लेफ्टीनेण्ट गवर्नर केन्द्र द्वारा नियुक्त होता है। उसी प्रकार प्रान्तीय विधियों को अस्वीकृत करने का अधिकार भी केन्द्रीय शासन को है किन्तु यह सब संवैधानिक प्रावधान और प्रतिबन्ध व्यवहार में जिस रूप में प्रयुक्त हुये हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रान्तों की स्थिति पगु या हीन इकाइयों की नहीं है। कनाडा में वस्तुतः स्वस्थ संवैधानिक परम्पराओं और अभिसमयों का विकास हुआ है जिनके कारण केन्द्र और प्रान्तों के पारस्परिक सम्बन्ध सन्तुलित रहे हैं।

अपनी इस संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर कनाडा प्रगति पथ पर निरन्तर बढ़ता रहा है। आज कनाडा संसार के उन्नतशील देशों में गिना जाता है। ज्ञान-विज्ञान, शिक्षा-साहित्य तथा उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में कनाडा बहुत आगे बढ़ चुका है।

गवर्नर जनरल

प्रश्न—कनाडा में गवर्नर जनरल की शक्तियों और स्थिति का वर्णन कीजिए।

[कनाडा की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कनाडा का गवर्नर जनरल कहलाता है जो इंग्लैण्ड की महारानी के नाम से शासन चलाता है। ब्रिटिश नार्थ अमेरिका ऐक्ट १८६२, ई० के अनुसार कनाडा की कार्यपालिका-शक्ति महारानी के हाथों में निहित है। इस प्रकार इस अधिनियम के अनुसार गवर्नर

“These are all unitary elements in otherwise strictly federal form of constitution. They are matters in which the provincial government are subordinate to the center, not coordinate with it.”

— K. C. wheare

जनरल कनाडा में ब्रिटिश सम्राज्ञी प्रतिनिधि है। किन्तु कनाडा संसदीय पद्धति द्वारा प्रशासित है इसलिए वास्तविक कार्यपालकीय शक्तियाँ न तो महारानी के हाथों में निहित हैं और न गवर्नर जनरल के हाथों में। इन पृष्ठों में कनाडा के गवर्नर जनरल की वास्तविक स्थिति, उसके पद और अधिकार इत्यादि पर विचार करेंगे।

कनाडा की संसदीय व्यवस्था का औपचारिक अंग वहाँ का गवर्नर जनरल होता है। जो स्थान इंग्लैण्ड की संसदीय व्यवस्था में महारानी का है अथवा भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति का है वही स्थान कनाडा की संसदीय व्यवस्था में गवर्नर जनरल का है।

नियुक्ति—१६२६ ई० के इम्पीरियल चार्टर्स के अनुसार कनाडा के गवर्नर जनरल की नियुक्ति कनाडा की सरकार की सिफारिश पर इंग्लैण्ड की महारानी द्वारा होती है। कनाडा के गवर्नर जनरल की नियुक्ति करते समय महारानी कनाडा की महारानी (Queen of Canada) के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करती हैं न कि ब्रिटेन की महारानी के रूप में। १८६० ई० तक गवर्नर जनरल की नियुक्ति क्रान्ति द्वारा इंग्लैण्ड के मंत्रिमण्डल के परामर्श से की जाती थी पर उसी वर्ष इस अवस्था का अन्त किया गया। इसके बाद गवर्नर जनरल की नियुक्ति में कनाडा के मंत्रिमण्डल का परामर्श लिया जाने लगा। लार्ड बर्सबरो (Lord Borsborough) कनाडा की मंत्रिपरिषद की सलाह पर ब्रिटिश महारानी द्वारा नियुक्त प्रथम कनाडियन गवर्नर जनरल थे। उसी प्रकार १६५२ ई० तक ऐसे व्यक्ति को ही गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता था जो कि कनाडा का नागरिक नहीं होता था, ब्रिटेन का कोई कुलीन व्यक्ति ही इस पर नियुक्त किया जाता था। किन्तु १६५२ ई० से कनाडा का नागरिक ही इस पद पर नियुक्त होता है। उस वर्ष कनाडा निवासी विन्सेंट मैसी की नियुक्ति से यह प्रथा समाप्त कर दी गई। अब कनाडा का नागरिक कनाडा की मंत्रिपरिषद की सलाह से महारानी द्वारा इस पद पर नियुक्त किया जाता है।

गवर्नर जनरल का कार्य-काल और वेतन—गवर्नर जनरल का कार्य-काल पाँच वर्ष है जो कि प्रायः छः वर्ष (और कभी-कभी ७ वर्ष तक चलता है। पहले वह अपने पद पर ब्रिटिश शासन के प्रसाद पर्यन्त बना रहता था। परन्तु १६२६ और १६३० ई० की इम्पीरियल चार्टर्स के निर्णयों से स्थिति बदल गई है। अब गवर्नर जनरल अपनी पदावधि के लिए पूर्णतया कनाडा की सरकार की कृपा पर निर्भर करता है जैसा कि प्रो० डासन (Dawson) कहा है,

“The Executive government and authority of and over Canada is hereby declared to continue and be vested in the Queen”.

—Art.9

वस्तुतः गवर्नर जनरल अपने ही कैबिनेट की कृपा पर निर्भर रहता है। इसके कारण उसे अपनी स्वतन्त्रता नीति का अनुसरण करना कठिन हो जाता है।

ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम में गवर्नर जनरल के वेतन के बारे में कहा गया था कि उसका वेतन १०,००० पौण्ड वार्षिक होगा और कनाडा संसद ही उसमें परिवर्तन कर सकेगी। जैसे अभी तक कनाडा की संसद ने गवर्नर जनरल के इस वेतन में कोई परिवर्तन नहीं किया किन्तु विभिन्न नियमों के अनुसार गवर्नर जनरल को वेतन के अतिरिक्त २ लाख डालर सालाना से भी अधिक भत्ते इत्यादि के रूप में मिल जाता है।

गवर्नर जनरल की शक्तियाँ

संसदीय प्रणाली होने के नाते गवर्नर जनरल कनाडा को राज्य-व्यवस्था का संवैधानिक प्रधान है। वहाँ की कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते गवर्नर जनरल कनाडा के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों, प्रान्तों के उपराज्यपालों (लेफ्टीनेण्ट गवर्नर), उच्चतम न्यायालय और प्रान्तों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। गवर्नर जनरल ही विदेशों को भेजे जाने वाले कनाडा के राजदूतों की नियुक्ति करता है। वही विदेशों से कनाडा में आने वाले राजदूतों के प्रमाण-पत्रों (Credentials) को स्वीकृत करता है। इसके अतिरिक्त भी कनाडा के अन्य उच्च पदाधिकारी गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कनाडा का गवर्नर जनरल देश के रक्षा-बलों तथा जन, स्थल और वायु सेनाओं का प्रधान है। वैधानिक दृष्टि से गवर्नर जनरल का ही अधिकार है कि वह देखे कि संसद द्वारा पारित विधियों और देश के संविधान के अनुसार शासन चल रहा है या नहीं। दूसरे शब्दों में कनाडा की विधियों को प्रवर्तित करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल का है।

इसी प्रकार जिन अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल का है उन्हीं अधिकारियों को वह पदच्युत भी करता है। उदाहरण के लिए वह मन्त्रियों से त्यागपत्र माँग सकता है, प्रान्तों के लेफ्टीनेण्ट गवर्नर, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है। विदेशों को भेजे गये राजदूतों को वापस बुला सकता है।

विधायी शक्तियाँ—संसदीय पद्धति में विधि-निर्माण की शक्तियाँ विशेष कर संसद के ही हाथों में निहित होती हैं किन्तु कार्यपालिका के वैधानिक प्रधान को भी इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए गवर्नर जनरल को यह अधिकार होता है कि वह संसद के अधिवेशनों को आमंत्रित करे या भंग करे। कनाडा की कामन सभा को भंग करने का अधिकार भी कनाडा के गवर्नर जनरल को है। किन्तु इस प्रसंग में यह स्मरणीय है कि कनाडा का गवर्नर जनरल इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। कनाडा के संवैधानिक इतिहास में १६२६ ई० और उसके पूर्व कुछ घटनाएँ ऐसी मिलती हैं जब कि गवर्नर जनरल ने प्रधान मंत्री के परामर्श को न माना और कामन्स सभा को भंग

नहीं किया। उदाहरण के लिए १९२६ ई० में कनाडा के प्रधान मंत्री ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड बाइंग से यह अनुरोध किया कि वे कामन्स सभा को भंग कर दें। लार्ड बाइंग ने प्रधान मंत्री के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और संसद को भंग नहीं किया। गवर्नर जनरल के इस कार्य पर कनाडा की जनता में बड़ा रोष फैला। इसके उपरान्त १९२६ ई० की हम्पीरियल कान्फ्रेंस में यह सदा के लिए निश्चित कर दिया गया कि कामन्स सभा के भंग करने में गवर्नर जनरल प्रधान मंत्री के अनुरोध को मानने के लिए बाध्य होगा। तब से लेकर आज तक गवर्नर जनरल ने अपने उस परमाधिकार को प्रयुक्त करने का साहस नहीं किया।

गवर्नर जनरल को यह अधिकार है कि वह संसद द्वारा पास किये गये विधेयक पर अपने हस्ताक्षर करें, उसे अस्वीकृत करे या क्राउन की स्वीकृत के लिए उसे रोक ले। परन्तु गवर्नर जनरल का यह अधिकार भी कोई महत्व नहीं रखता क्योंकि वर्तमान समय में वास्तविक शक्तियाँ क्राउन से हाथों में सीमित न होकर कनाडा की मंत्रिपरिषद के हाथों में केन्द्रित हैं।

इसी प्रकार सैद्धान्तिक दृष्टि से कनाडा के गवर्नर जनरल को यह अधिकार है कि वह प्रान्तों द्वारा पारित किसी विधेयक को अस्वीकृत कर दे। परन्तु व्यवहार में इस अधिकार का भी कोई महत्व नहीं है क्योंकि अब संघीय सरकार भी कृषि और आप्रवास के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर पास किये गए प्रान्तीय विधेयक को अस्वीकार नहीं करती।

गवर्नर जनरल कनाडा की सीनेट के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है किन्तु इस नियुक्ति में भी वह वहाँ की मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्देशित होता है।

न्यायिक शक्तियाँ—गवर्नर जनरल को न्याय के क्षेत्र में भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। इस दृष्टि से वह अपराधी के दण्ड को क्षमा कर सकता है, दण्ड को कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है। यह अधिकार भी गवर्नर जनरल मंत्रिपरिषद के परामर्श से प्रयोग कर सकता है।

गवर्नर जनरल की वास्तविक स्थिति

गवर्नर जनरल के उपर्युक्त कार्यों और शक्तियों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि गवर्नर जनरल को कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्याय के क्षेत्र में जो अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों का प्रयोग वह स्वेच्छा से नहीं करता प्रत्युत मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। इस प्रकार उसकी ये समस्त शक्तियाँ केवल औपचारिक या नाममात्र की हैं। उन समस्त शक्तियों का प्रयोग वस्तुतः मंत्रिमण्डल के मंत्रियों द्वारा होता है। जैसा कि प्रो० हासन ने कहा है :—

“कनाडा का गवर्नर जनरल ब्रिटिश राजा की ही भाँति जिसका कि वह प्रति-निधित्व करता है, एक वैधानिक प्रधान है। उसी की भाँति उसका विकास भी एक वास्तविक अधिनायकत्व से वास्तविक शक्तिहीनता की ओर क्रमिक प्रगति का इतिहास है।”* इस प्रकार कनाडा के गवर्नर जनरल की स्थिति में धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ। परिवर्तन की इस प्रक्रिया के पीछे कनाडा में लोकतन्त्र का विकास रहा है। जैसा कि स्वयं प्रो० डासन ने लिखा है “गवर्नर जनरल को कानून या प्राधिकार प्रथा से जो शक्तियाँ प्राप्त थीं वे औपचारिक रूप से बदल गई या स्वतः ही त्याग दी गईं। पहले प्रकार के उदाहरण कम होते गये और दूसरे प्रकार के उदाहरण बढ़ते गये। उस आन्दोलन के पीछे प्रेरक शक्ति कनाडा की जनता द्वारा अधिक शासन की माँग थी। इसने गवर्नर जनरल की शक्तियों पर दो तरह से प्रहार किया। सरकार के अपेक्षाकृत अधिक लोकतांत्रिक नियन्त्रण की भावना ने इसके अनुत्तरदायित्व को शिथिल किया और उसी के साथ राष्ट्रीय स्वायत्त शासन के विकास ने उसके कार्यों को कम किया।”

इस प्रकार गवर्नर जनरल की कनाडा की संसदीय पद्धति में वही स्थिति है जो कि वैधानिक प्रधान की होती है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि गवर्नर जनरल पूर्णतया एक स्वर्णिम शून्य या नितान्त प्रभावहीन व्यक्तित्व है। उसके द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। उदाहरण के लिये उसका एक महत्वपूर्ण कार्य प्रधान मन्त्री की नियुक्ति करना है। यह सत्य है कि गवर्नर जनरल उसी व्यक्ति को प्रधान मन्त्री पद के लिये आमन्त्रित करेगा जिसका कि कामन्स सभा में बहुमत है। पर मान लीजिये कि सामान्य स्थित नहीं है और व्यवस्थापिका में किसी एक दल का निश्चित बहुमत नहीं है तो उस स्थिति में गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से ऐसे व्यक्ति को प्रधान मन्त्री नियुक्त करने का प्रयास करेगा जो कि व्यवस्थापिका में अपना प्रभाव बनाये रख सके। इसी प्रकार जब बहुमत दल की सरकार सदन के विश्वास से वंचित हो जाती है तो उस दशा में गवर्नर जनरल विपक्षी दल के नेता को सरकार बनाने के लिये निमन्त्रित करेगा जैसा कि १९४८ ई० में हुआ था। इस वर्ष गवर्नर जनरल ने लिबरल पार्टी के नवनिर्वाचित नेता श्री एल० एच० सेरुड लारेण्ट को श्री मेर्केजी किंग के स्थान पर प्रधान मन्त्री बनने के लिये आमन्त्रित किया। इस प्रकार ऐसे अवसरों के लिये एक वैधानिक प्रधान का होना आवश्यक है। इस प्रकार यह गवर्नर जनरल का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल कई सामाजिक और शिष्टाचार विषयक कार्यों का भी सम्पादन करता है और

* “The Governor General like the King whom he represents is a constitutional head; his history like that of his illustrious prototype has been a steady, unsensational rather reluctant progress from virtual dictatorship to virtual impotence.”

इस प्रकार वह प्रधान मन्त्री के कन्धों के बोझ को हलका करता है।* कनाडा के गवर्नर जनरल के पद का प्रयोग कूटनीतिक सम्बन्धों में भी प्रायः कर लिया जाता है विशेष कर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ के कूटनीतिक सम्बन्धों में गवर्नर जनरल का पूरा उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अन्य देशों के साथ के कूटनीतिक सम्बन्धों में भी कभी-कभी गति और गरिमा प्रदान करने के लिये गवर्नर जनरल के पद का प्रयोग किया जाता है। गवर्नर जनरल देश सामाजिक सोपान का शीर्षस्थ अंग होने के नाते संसद के सदस्यों, सिविल सेवकों, लब्ध-प्रतिष्ठ व्यक्तियों तथा कूटनीतिक पदों पर कार्य करने वाले वरिष्ठ व्यक्तियों का स्वागत और सम्मानित करता है। उसी के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सवनों इत्यादि का उद्घाटन किया जाता है।

लेल्ली रावर्ट्स के शब्दों में, “अपने सरकारी निवास-स्थान ओटावा के राज-भवन में गवर्नर जनरल देशी और विदेशी प्रसिद्ध महानुभावों का स्वागत करते हैं तथा प्रसिद्ध आगन्तुकों का स्वागत करते हैं। वह देश के कोने-कोने की यात्रा करते हुये कहीं चिकित्सालयों का उद्घाटन करते हैं, कहीं धर्मार्थ अभियान करते हैं और कहीं युद्ध के वीरों के साथ उनके खेमों में आराम करते हैं। वह मुख्यतया एक सद्भावना के राजदूत की भाँति है, किन्तु उनका उद्देश्य ब्रिटेन के प्रति सद्भावना का सृजन करना नहीं, अपितु राष्ट्र के माननीय तथा सरकारी आमन्त्रितों में कनाडा के प्रति तथा स्वयं कनाडावासियों में पारस्परिक सद्भावना की सर्जना करना है।”

गवर्नर जनरल आवश्यकता पड़ने पर अपने मन्त्रिमण्डल को परामर्श भी दे सकता है। वास्तव में बहुत कुछ यह गवर्नर जनरल की योग्यता पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार अपने पद का उपयोग करता है। एक योग्य चतुर और कुशल गवर्नर जनरल अपने वैधानिक प्रधान के पद का अच्छा लाभ उठा सकता है। जैसा कि प्रो० कीथ ने लिखा है।

“If the Governor has tact and ability, there is open a wide field of influence. He is in theory entitled to similar treatment by his ministers to that received by the King; he should be taken into their confidence in all weighty matters, and be informed as early as possible of the outcome of deliberations in cabinet on important issues.”†

* “While the aggressive vitality of the Governor General has disapproved from Canadian government, he has still valuable duties to perform. He takes from the shoulders of the Prime Minister many tiresome routine tasks of a social and ceremonial nature;.....”

† Responsible Government in the Dominions. —Keith.

गवर्नर जनरल के पद की तुलना

प्रश्न २. गवर्नर जनरल कनाडा की शासन-व्यवस्था का एक वैधानिक प्रधान है—इस कथन के प्रकाश में कनाडा के गवर्नर जनरल के कार्यों और ब्रिटेन की महारानी से उसकी तुलना कीजिये ।*

उत्तर—गवर्नर जनरल कनाडा की शासन-व्यवस्था का संवैधानिक प्रधान है। संवैधानिक दृष्टि से कनाडा का गवर्नर जनरल ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम १८६७ के अनुच्छेद ११ के अनुसार प्रिंसीपल काउन्सिल के परामर्श से कार्य करता है। इस अनुच्छेद में कहा जाता है कि “कनाडा सरकार के अन्तर्गत सहायता और सलाह के लिये एक काउन्सिल होगी जो कनाडा के लिये महारानी की प्रिंसीपल काउन्सिल होगी, जो कनाडा के लिये महारानी की प्रिंसीपल काउन्सिल कहलायेगी” परन्तु व्यवहार में गवर्नर जनरल प्रिंसीपल काउन्सिल के परामर्श की अपेक्षा मन्त्रिपरिषद् की सलाह से कार्य करता है। गवर्नर जनरल ही कनाडा की मन्त्रिपरिषद् के प्रधान मन्त्री की नियुक्ति करता है। अन्य मन्त्री भी गवर्नर जनरल प्रधान मन्त्री के परामर्श से नियुक्त करता है। वही कार्यपालिका, न्यायपालिका इत्यादि के उच्च पदाधिकारियों यथा प्रांतों के लेफ्टीनेण्ट गवर्नर, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विद्वानों को जाने वाले राजदूतों, जल, थल और नभ सेनाओं के सेनाध्यक्ष इत्यादि की नियुक्ति करता है। परन्तु ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की भाँति गवर्नर जनरल इन नियुक्तियों की दिशा में अपनी स्वेच्छा से कार्य नहीं करता प्रत्युत वह मन्त्रिपरिषद् के परामर्श से कार्य करता है। वास्तव में सारी नियुक्तियाँ मन्त्रिपरिषद् के हाँ हाथों में निहित होती हैं।

विधायी क्षेत्र में वह संसद को आहूत करता, स्थगित करता तथा भङ्ग करता है। वही संसद् द्वारा पारित विधियों पर हस्ताक्षर करता या सम्राज्ञी के हस्ताक्षर के लिये उन्हें सुरक्षित करता है। इस प्रसंग में यह स्मरणीय है कि १ अक्टूबर १९४७ ई० के ‘लेटर्स पैटेंट’ के अनुसार अब गवर्नर जनरल को यह अधिकार है कि वह कनाडा की मन्त्रिपरिषद् की सलाह से वे सब कार्य कर सकता है जो कार्य कनाडा के सम्बन्ध में क्राउन द्वारा किये जा सकते थे। जहाँ तक कि कनाडा की संसद् के भङ्ग करने के अधिकार का प्रश्न है १९२६ ई० के पहले वह मन्त्रिपरिषद् द्वारा संसद् के भङ्ग करने की सलाह को अस्वीकृत कर सकता था। उदाहरण

* इस प्रकार के उत्तर के लिये इसके पहले का प्रश्न भी देखिये।

“Here shall be a council to aid and advise in the Government of Canada; to be styled the Queen's Privy Council for Canada; and the persons who are members of that Council, shall be from time to time chosen and summoned by the governor.....

Art !!!

के लिये १८५८ ई० और १८६० ई० में संसद् के विघटन के लिये मन्त्रि परिषद् की सलाह को अस्वीकृत कर दिया गया था । परन्तु- १९२६ ई० की इम्पीरियल कान्फ्रेंस ने यह अधिकार गवर्नर जनरल के हाथों से ले लिया । विधायी अधिकारों के अन्तर्गत गवर्नर जनरल को सीनेट के अध्यक्ष और सदस्यों को मनोनीत करने का भी अधिकार है ।

कनाडा के गवर्नर जनरल को न्याय के क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं । न्याय की दृष्टि से वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता, अपराधियों के अपराधों को माफ करता, कम करता या दरद की तिथि को स्थगित करता है ।

इस प्रकार गवर्नर जनरल की उपर्युक्त शक्तियों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि गवर्नर जनरल को वही अधिकार प्राप्त हैं जो अधिकार कि किसी देश के संवैधानिक प्रधान को होते हैं । उदाहरण के लिए हम ब्रिटेन की सम्राज्ञी और कनाडा के गवर्नर जनरल की स्थिति को ले सकते हैं । जिस प्रकार महारानी ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था की संवैधानिक प्रधान हैं उसी प्रकार कनाडा का गवर्नर जनरल भी कनाडा की संसदीय व्यवस्था का वैधानिक प्रधान है ।

परन्तु गवर्नर जनरल के पद और स्थिति की ब्रिटिश सम्राज्ञी से पूरी तरह तुलना नहीं की जा सकती । दोनों की स्थिति में कई दृष्टियों से अन्तर है । प्रथमतः ब्रिटेन की महारानी का पद वंशानुगत है जब कि गवर्नर जनरल थोड़े या निश्चित समय के लिये नियुक्त किया जाता है । ब्रिटेन की महारानी अनेक परमाधिकारों का प्रयोग करती हैं जब कि कनाडा का गवर्नर जनरल इस प्रकार के परमाधिकारों से वंचित है । ब्रिटेन की महारानी कानून से ऊपर मानी जाती हैं, वे कभी गलती नहीं कर सकती तथा परमाधिकार के अनुसार कभी भी उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती जब कि कनाडा के गवर्नर जनरल को इस प्रकार का परमाधिकार प्राप्त नहीं है और वह कानून के अन्तर्गत गलती करने पर उसके विरुद्ध कानून को कार्यवाही की जा सकती है । इसी प्रकार ब्रिटेन की महारानी का पद प्रतिष्ठा, गरिमा इत्यादि की दृष्टि से अत्यन्त सम्मानित है किन्तु कनाडा के गवर्नर जनरल का पद उस रूप में सम्मानित नहीं कहा जा सकता । सैद्धान्तिक दृष्टि से कनाडा का गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त किया जाता है । ब्रिटिश सम्राज्ञी जो प्रभाव ब्रिटेन के शासन पर डाल सकती हैं वह प्रभाव कनाडा का गवर्नर जनरल कनाडा के शासन पर नहीं डाल सकता ।

किन्तु यह सब कुछ होते हुये भी यह कहना कि कनाडा के गवर्नर जनरल का पद कोई महत्व नहीं रखता, भूल होगा । जैसा कि सर राबर्ट बार्डन ने कहा है कि यह सर्वथा भूल होगी कि कनाडा के गवर्नर जनरल का पद केवल रबर की मुद्रा का है ।

“It would be an absolute mistake to regard the Governor—General as a mere figure—head, a mere rubber—stamp.”

—Sir Robert Borden

इसी प्रकार सर विलिफ्रिड “लारियर ने भी कहा है कि कनाडा का गवर्नर जनरल एक युग से कनाडा की नीति का निश्चय नहीं कर रहा है, परन्तु वह कोई नाम मात्र का शासक नहीं है। उसे अपने सलाहकारों को सलाह देने का अधिकार है और यदि वह एक समझदार, अनुभवी, ईमानदार, निष्पक्ष और सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति है तो वह सफल हो सकता है।”

“Long ago the Canadian Governor General Ceased to determine policy but he is by no means, or need not be the mere figure-head the public imagine. He has the privilege of advising his advisers and if he is a man of sense and experience, his advice is often taken.”

—Sir Wilfrid Laurier

अध्याय

५

मन्त्रि परिषद्

कनाडा की मन्त्रि परिषद्

प्रश्न—कनाडा की मन्त्रि परिषद् की संरचना और शक्तियों पर विचार किजिये ।

उत्तर—प्रत्येक संसदीय व्यवस्था में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मन्त्रि-मण्डल के हाथों में रहता है। कनाडा की शासन-पद्धति भी इसका अपवाद नहीं है, जैसा कि प्रो० डायसन ने कहा है कि, “यदि राजनीतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा जाय कि उसका एक गुहृत्वाकर्षण केन्द्र होता है तो निश्चय ही कनाडा में वह गुहृत्वाकर्षण केन्द्र मन्त्रिमण्डल है क्योंकि वास्तव में उसी बिन्दु पर शासन-यन्त्र का सारा भार केन्द्रित है। यदि मन्त्रिमण्डल को समाप्त कर दें या उसके भौतिक कार्यों के किसी

अङ्ग को पृथक कर दें तो तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का समग्र सन्तुलन नष्ट हो जायगा ।' *

इस प्रकार कनाडा की शासन-प्रणाली में मन्त्रिमण्डल की स्थिति घुरी की भाँति है जिसके कि चारों ओर समस्त शासन-यन्त्र आवृत्तियाँ लेता है । मन्त्रिमण्डल ही समस्त कार्यपालिकाय शक्तियों का प्रयोग करती है, वही कार्यपालिका की नीतियों का निर्माण करती है, मन्त्रिमण्डल के सदस्य शासन के समस्त विभागों की देखभाल करते हैं । मन्त्रिमण्डल ही विधि-निर्माण की दिशा में पहल करता और व्यवस्थापिका का नेतृत्व करता है । इस प्रकार कनाडा का मन्त्रिमण्डल वहाँ की राजव्यवस्था का आदि और अन्त है ।

मन्त्रिमण्डल का निर्माण—कनाडा की मन्त्रपरिषद के विषय में ब्रिटिश नाथं अमेरिका अधिनियम में कहीं भी उल्लेख नहीं है । वस्तुतः यह संस्था पूर्णतया अभिसमयों पर आधारित है । अभिसमयों के अनुसार कामन्स सभा में बहुमत दल के नेता को गवर्नर जनरल प्रधान मन्त्री पद पर नियुक्त करता है । अन्य मन्त्री प्रधान मन्त्री के परामर्श से नियुक्त किये जाते हैं । इस प्रकार प्रधान मन्त्री-वस्तुतः मन्त्रिमण्डल का निर्माता होता है । प्रो० लास्की के शब्दों में वही मन्त्रिमण्डल का आदि और अन्त होता है । प्रधान मन्त्री ही मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या निश्चित करता है । सामान्यतया प्रधान मन्त्री इस बात का ध्यान रखता है कि कनाडा के सभी क्षेत्रों का उसमें प्रतिनिधित्व हो । इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि छोटे प्रान्तों के कम और बड़े प्रान्तों के अधिक मन्त्री हो । क्यूबेक तथा ओण्टेरियो जैसे बड़े प्रान्तों के ४-४ प्रतिनिधि मन्त्रिमण्डल में होते हैं । जैसा कि बी० के० रौडवेल ने कहा है—

कनाडा की राजनैतिक व्यवस्था—की एक प्रमुख विशेषता यह है “प्रतिनिधिमूलक मन्त्रिमण्डल उसका अपरिहार्य तत्व है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उपलब्ध सामग्री कैसी है, महत्वपूर्ण यह बात है कि जो कुछ भी उपलब्ध है उसी में से प्रत्येक प्रान्त को राजनैतिक प्रतिनिधित्व मिले ।.....वहाँ के लोग इस बात पर जोर देते हैं कि उनके क्षेत्र का ही व्यक्ति मन्त्री बने भले ही योग्य मन्त्री का चुनाव न हो ।†

*“If a political system can be said to have a centre of gravity that centre of gravity in Canada is a most certainly the Cabinet for the whole weight of the government is in a very real sense concentrated at that point.” —R. M. Dawson

†“A peculiar feature of Canadian Politics is rigid necessity for a representative Cabinet, no matter what may be the available material, it is politically essential that a Government's position should be provided for every province.....the electors insist on a real “home town boy.” —B. K. Shadwell.

कनाडा के मन्त्रिमण्डल में मन्त्रियों की संख्या १७ से लेकर २३ तक होती है। इनमें से तीन या चार मन्त्री बिना विभाग के होते हैं। समस्त मन्त्री कनाडा की कामन्स सभा के होते हैं। सामान्यतया मन्त्रिमण्डल में निम्नलिखित मन्त्री होते हैं—

(१) प्रधान मन्त्री, (२) प्रिवी काउन्सिल का प्रेसीडेंट; (३) सेक्रेटरी आफ दौ स्टेट फार एक्सटर्नल एफेयर्स, (४) मिनिस्टर आफ माइन्स ऐण्ड रिसोर्सेज, (५) मिनिस्टर आफ जस्टिस, (६) मिनिस्टर आफ फाइनेन्स, (८) मिनिस्टर आफ पब्लिक वर्क्स, (८) मिनिस्टर आफ नेशनल डिफेन्स ऐण्ड नेशनल हेल्थ, (९) पोस्ट मास्टर जनरल (१०) मिनिस्टर आफ फिशरीज, (११) मिनिस्टर आफ लेबर, (१२) मिनिस्टर आफ ट्रान्सपोर्ट, (१३) मिनिस्टर आफ इन्मीग्रेशन ऐण्ड कोलोनाइजेशन, (१४) मिनिस्टर आफ कस्टम्स, (१५) मिनिस्टर आफ इनलैण्ड रेवेन्यू, (१६) मिनिस्टर आफ ट्रेड ऐण्ड कामर्स। इसके अतिरिक्त दो या तीन बिना विभाग के मन्त्री होते हैं। इन मन्त्रियों के अतिरिक्त सहायक मन्त्री और संसदीय सचिव भी होते हैं। प्रधान मन्त्री का वेतन १५०० डालर तथा अन्य मन्त्रियों को १००० डालर वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ भत्ता भी मिलता है।

सारे मंत्री एक ही दल के होते हैं तथा एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। समस्त मंत्री देश के शासन के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यदि मन्त्रिमण्डल के किसी सदस्य के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित होता है तो सारे मन्त्रिमण्डल को त्याग-पत्र देना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई मंत्री अपने सहयोगी मंत्रियों से सहमत नहीं होता तो उसे त्याग पत्र दे देना होता है। उदाहरण के लिए १९०२ ई० में प्रधानमंत्री सर विल फ्रीड लारिअल ने मिस्टर टीटे को त्याग पत्र देने के लिए बाध्य किया था क्योंकि मिस्टर टीटे अपने सहयोगियों से कुछ मामले में असहमत थे। इसी प्रकार १९१६ ई० में आर० एल० बोर्डन ने सर सेम ज्यूजेस को त्यागपत्र देने के लिए लाचार किया था क्योंकि उन्होंने अपने सहयोगियों की सलाह के बिना एक मिलीशिया स्थापित करने का प्रयास किया था, इस प्रकार मन्त्रिमण्डल के मंत्री एक दूसरे के प्रति तथा प्रधान मंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। १९१९ ई० के पूर्व मन्त्रिमण्डल की कार्यवाही का कोई लेखा नहीं रखा जाता था किन्तु इस समय से एक लेखा रखा जाने लगा है।

मन्त्रिमण्डल का कार्य—कनाडा के मन्त्रिमण्डल का कार्य भी सामान्यता वही है जो कि किसी देश की संसदीय पद्धति में वहाँ के मन्त्रिमण्डल के होते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उन कार्यों को हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं।

१. कार्यपालकीय कार्य।
२. विधायी कार्य।
३. वित्तीय कार्य।

जहाँ तक कि कार्यपालकीय कार्यों का प्रश्न है मंत्रिमण्डल का प्रधान कार्य आन्तरिक एवं वैदेशिक मामलों में से सम्बन्धित नीति का निर्माण करना है । इस कार्य में मंत्रिमण्डल को कनाडा के सिविल सेवकों (लोक कर्मचारी) से महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है । सिविल सेवक मंत्रिमण्डल को नीति-निर्माण के विषय में न केवल आवश्यक सूचना प्रदान करते हैं प्रत्युत उसकी रूप रेखा प्रस्तुत करने में भी योग देते हैं । इस प्रकार समस्त नीति विषयक मामले मंत्रिमण्डल के द्वारा निश्चित किये जाते हैं ।* हूँ यह अवश्य है कि मंत्रिमण्डल को इस दिशा में जनमत की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । जैसा कि डा० आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि 'सरकार को यह ज्ञात होना चाहिये कि उसकी नीति का अनुगमन हो रहा या नहीं । यदि उसकी नीति का अनुगमन नहीं हो रहा तो उसे उसमें परिवर्तन करना चाहिये । कोई भी सरकार चाहे उसे कितना ही बहुमत न मिला हो सदन की उपेक्षा नहीं कर सकती और सदन में दल का दृष्टिकोण अधिकांशतया मतदाताओं का दृष्टिकोण होता है ।

अपने कार्यपालकीय दायित्वों का निर्वाहन करने के लिये मन्त्रिमण्डल कार्यों की दृष्टि से उन्हें विभिन्न विभागों में विभक्त कर देता है । प्रत्येक मन्त्री एक या एक से अधिक विभागों का अध्यक्ष होता है । प्रत्येक विभाग से सम्बन्धित अनेक सिविल सेवक तथा अन्य कर्मचारी होते हैं जिनकी सहायता से शासन चलाया जाता है । मन्त्रिमण्डल विभिन्न विभागों में समन्वय भी स्थापित करता है । मन्त्रिमण्डल के अन्य कार्यपालकीय कार्यों में अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ और समझौते इत्यादि आते हैं । अनेक महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ भी मन्त्रिमण्डल द्वारा की जाती हैं । वास्तव में गवर्नर जनरल के नाम से की गई समस्त नियुक्तियाँ मन्त्रिमण्डल द्वारा की गई नियुक्तियाँ ही होती हैं ।

विधायी कार्य—मन्त्रिमण्डलीय पद्धति में मन्त्रिमण्डल और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । व्यवस्थापिका में बहुमत दल के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा ही मन्त्रिमण्डल का निर्माण होता है । इसलिये कोई भी विधेयक मन्त्रिमण्डल के सहयोग के बिना पास नहीं हो सकता है ।

इसके अतिरिक्त स्वयं मन्त्रिमण्डल भी अनेक प्रकार के सरकारी विधेयक व्यवस्थापिका में प्रस्तुत करता है । सारे सरकारी विधेयक मन्त्रिमण्डल द्वारा ही तैयार किये जाते हैं और मन्त्रिमण्डल के प्रयास से ही वे पास हाते हैं ।

* The cabinet must take the lead in the initiation and development of national policies both in domestic and in foreign affairs. In this task it receives incalculable assistance from the civil servants..."

कनाडा का मन्त्रिमण्डल भी संसद के अधिवेशन के सत्रावसान या भङ्ग होने की स्थिति में सारिषद आदेश (Orders-in-Council) जारी करता है। ये आदेश गवर्नर जनरल के नाम से जारी किये जाते हैं और इनका प्रभाव कानून का भाँति ही होता है।

आर्थिक कार्य—राष्ट्र का समस्त आर्थिक व्यवस्था कनाडा के मन्त्रिमण्डल के हाथों में होती है। मन्त्रिमण्डल ही राष्ट्र की आर्थिक नीति का निर्माण करता और उस नीति के अनुसार देश की आर्थिक व्यवस्था का प्रबन्ध करता है। देश के आय व्यय का वार्षिक विवरण (बजट) मन्त्रिमण्डल द्वारा तैयार किया जाता है तथा उसे स्वीकृत होने के लिये संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

परराष्ट्र सम्बन्धी कार्य—मन्त्रिमण्डल देश की आन्तरिक नीति ही नहीं प्रत्युत देश की वैदेशिक नीति का भी निर्माण करता है। समस्त वैदेशिक मामले मन्त्रिमण्डल द्वारा निपटाये जाते हैं। मन्त्रिमण्डल का वैदेशिक या परराष्ट्र विभाग इन कार्यों की पूर्ति करता है।

मन्त्रिमण्डल और संसद का सम्बन्ध—संसदीय शासन-पद्धति में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध बना होता है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और सामूहिक रूप से वे संसद के निम्न सदन या कामन्स सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब तक कामन्स सभा का मन्त्रिमण्डल में विश्वास बना रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। जब कामन्स सभा के सदस्यों का मन्त्रिमण्डल पर से विश्वास उठ जाता है तो मन्त्रिमण्डल का त्याग-पत्र देना होता है।

परन्तु वर्तमान युग में संसदीय पद्धति के अन्तर्गत मन्त्रिमण्डल की शक्तियाँ-संसद की अपेक्षा कहीं-कहीं अधिक बढ़ गई हैं। दलीय अनुशासन, कार्यपालिका के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि, विधि निर्माण के कार्य में जटिलता इत्यादि के कारण अब इङ्ग्लैन्ड और भारत की भाँति कनाडा का मन्त्रिमण्डल भी संसद का पथ-प्रदर्शन करता है। इसीलिये प्रो० डासन ने कहा है कि प्रकट रूप में मन्त्रिमण्डल का कामन्स सभा के प्रति उत्तरदायित्व समाप्त हो गया है और कामन्स सभा मन्त्रिमण्डल के प्रति उत्तरदायी हो गई है।”

प्रधान मन्त्री

प्रश्न—कनाडा के प्रधान मन्त्री के अधिकार, कार्य और स्थिति पर संक्षेप में प्रकाश डालिये।

उत्तर—संसदीय पद्धति में मन्त्रिमण्डल का और मन्त्रिमण्डल में प्रधान मन्त्री का सर्वोपरि महत्व होता है, वस्तुतः प्रधान मन्त्री मन्त्रिमण्डल का निर्माता, रक्षक और

सुधारक होता है। वही मन्त्रिमण्डल का आदि और अन्त माना जाता है, यदि मन्त्रिमण्डल शासन रूपी यान का प्रमुख यन्त्र होता है तो प्रधान मन्त्री उसका प्रधान चालक।

प्रधान मन्त्री संसद् में बहुमत दल का नेता तथा राष्ट्र का प्रमुख वक्ता होता है। प्रधान मन्त्री गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। किन्तु गवर्नर जनरल मनमाने ढङ्ग से किसी व्यक्ति को प्रधान मन्त्री नहीं नियुक्त कर सकता, वह उसी व्यक्ति को प्रधान मन्त्री के पद को सम्भलाने के लिये आमन्त्रित करता है जिस व्यक्ति को कामन्स सभा के बहुमत दल का समर्थन प्राप्त होता है। यदि किसी अवसर पर कामन्स सभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो वैसी दशा में गवर्नर जनरल संयुक्त दल के मन्त्रिमण्डल बनाने के लिये उस व्यक्ति को प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है जिसे कि संयुक्त दल के लोग अपना नेता स्वीकार कर लेते हैं, सामान्यतया प्रधान मन्त्री के पद पर देश के वरिष्ठ लोकनायक और अनुभवो प्रशासक तथा लोक प्रिय व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है।

मन्त्रिमण्डल में प्रधान मन्त्री की वही स्थिति होती है जो स्थिति कि ब्रिटेन या भारत के प्रधान मन्त्री की होती है। दूसरे शब्दों में कनाडा का प्रधान मन्त्री भी मन्त्रिमण्डल का सर्वोसर्वा होता है। वह नक्षत्र मण्डल में एक ऐसे नक्षत्र की भाँति होता है जिसके चारों ओर अन्य नक्षत्र आवृत्तियाँ लेते रहते हैं — He is like a sun around which all other planets revolve.

प्रधान मन्त्री न' केवल मन्त्रिमण्डल का निर्माता होता है प्रत्युत वह उसके जीवन और अन्त का भी प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि—He is central to its life and central to its death. प्रधान मन्त्री की इच्छा से मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्य अपने पद पर बने रहते हैं। यदि प्रधान मन्त्री और मन्त्रिमण्डल के अन्य किसी सदस्य में कोई मतभेद हो जाता है तो वैसी दशा में उस सदस्य का अपने पद पर बना रहना असम्भव हो जाता है, प्रधान मन्त्री ऐसे सदस्य को अपना त्याग पत्र देने लिये वाध्य कर सकता है। यदि कोई सदस्य ऐसा करने में व्यवधान खड़ा करने का साहस करता है तो वैसी दशा में प्रधान मन्त्री मन्त्रिमण्डल का विघटन कर नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण कर सकता है।

प्रधान मन्त्री अपनी टीम का एक प्रकार से कप्तान होता है। प्रधान मन्त्री ही मन्त्रिमण्डल के विभिन्न सदस्यों में विभिन्न विभागों और कार्यों का विभाजन करता है।

कौन सा विभाग किसी मन्त्री को सौंपा जाय, इसका निर्णय प्रधान मन्त्री ही करता है। इसी प्रकार विभिन्न विभागों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का कार्य

भी प्रधान मन्त्री द्वारा किया जाता है। यदि मन्त्रियों के मध्य किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो वैसी दशा में प्रधान मन्त्री ही उस मतभेद को दूर करने का प्रयास करता है।

प्रधान मन्त्री ही गवर्नर जनरल को देश के उच्च पदों यथा उपराज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सेनानायक, विदेशों को भेजे जाने वाले राजदूतों इत्यादि की नियुक्ति करता है।

प्रधान मन्त्री ही कामन्स सभा के अधिवेशन को आमन्त्रित करने या विघटित करने के लिये गवर्नर जनरल को परामर्श देता है। वही संसद् में शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। उसकी वाणी सारे राष्ट्र की वाणी मानी जाती है। वह एक प्रकार से गवर्नर जनरल और संसद् के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। प्रधान मन्त्री विभिन्न मन्त्रियों के विभागों के निरीक्षण का भी अधिकार रखता है। वही मंत्रि परिषद् का भी अध्यक्ष माना जाता है।

इस प्रकार प्रधान मन्त्री की मन्त्रिमण्डल और मन्त्रिमण्डल के बाहर अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थिति होती है। मन्त्रिमण्डल के अन्तर्गत उसकी तुलना मन्त्रिमण्डल रूपी भवन के प्रमुख पत्थर (Keystone of the cabinet arch) से की गई है। मन्त्रिमण्डल के बाहर प्रधान मन्त्री देश का लोक नायक तथा जनता का हृदय-सम्पर्क माना जाता है।

जहाँ तक कि प्रधान मन्त्री और उसके सहयोगियों का प्रश्न है, यह सत्य है कि प्रधान मन्त्री की स्थिति अपने सहयोगियों से श्रेष्ठ होती है। वही मन्त्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता, अपने मन्त्रियों को चुनता, उन्हें विभिन्न विभाग सौंपता तथा उनके कार्यों का निरीक्षण करता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता कि प्रधान मन्त्री मन्त्रिमण्डल का तानाशाह होता है। उसे अत्यन्त कुशलता से अपने सहयोगियों का सहयोग लेकर चलना पड़ता है क्योंकि यदि उसके सहयोगी उसके विरुद्ध दृष्टि अपना लेते हैं और प्रधानमंत्री से हर सम्भव तरीके से असहयोग करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं तो प्रधान मन्त्री को कार्य करना असम्भव हो जाता है। ऐसी दशा में प्रधान मंत्री की अपेक्षा मन्त्रिमण्डल के अन्य मंत्री ही सम्मिलित रूप में अधिक शक्तिशाली हो बैठते हैं। उस दृष्टि से १८६६ ई० की बावेल कैबिनेट की समस्या (Bowell Cabinet Crisis) का उदाहरण दिया जा सकता है। इसलिये जैसा कि प्रो० डासन ने कहा है : *The Prime Minister must know when to command, when to persuade, and when to give way. He can never be really independent of his cabinet any more than he or his colleagues, can never be really independent of the house of Commons.*"

फिर भी प्रधान मंत्री मन्त्रिमण्डल का प्रधान होता है और यह उसके कार्य-कौशल सभाचानुरी, योग्यता, अनुभव और दल में समर्थन पर निर्भर करता है कि वह अपने पद का किस प्रकार संचालन और उपयोग करेगा।

अध्याय | ६

कनाडा की सीनेट

प्रश्न—सीनेट की संरचना और शक्तियों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर—कनाडा की राज-व्यवस्था में जिस व्यवस्थापिका का प्रविधान किया गया है, उसे संसद् (पार्लियामेंट) कहते हैं; यह द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, इसका एक सदन कामन्स सभा (House of Commons) तथा दूसरा सदन सीनेट कहलाता है। कामन्स सभा प्रथम और निम्न सदन है जब कि सीनेट द्वितीय और उच्च सदन है।

कनाडा की व्यवस्थापिका के उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। सीनेट वस्तुतः कनाडा की संघीय और संसदीय आवश्यकताओं के अनुरूप निकाय है। किन्तु रचना और शक्तियों की दृष्टि से यह अनेक संघीय और संसदीय विशेषताओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। यहाँ हम कनाडा की व्यवस्थापिका के इस अटूटे सदन के विभिन्न पक्षों पर विचार करेंगे।

कनाडा की सीनेट की रचना—कनाडा की सीनेट के सदस्यों की कुल संख्या वर्तमान समय में १०२ है। इस संख्या में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। प्रारम्भ में ब्रिटिश नार्थ अमेरिका एक्ट १८६७ ई० के अनुसार सीनेट की कुल सदस्य-संख्या ७२ निश्चित की गई थी। इसके उपरान्त १९१५ ई० के अधिनियम के अनुसार कुल संख्या ६६ कर दी गई। बाद में इस संख्या में और भी वृद्धि हुई, कनाडा के सङ्घ में न्यू फाउण्ड लैण्ड के सम्मिलित हो जाने से १९४६ ई० में सीनेट के सदस्यों की कुल संख्या १०२ हो गई। साथ ही क्राउन को यह अधिकार दिया गया कि वह इस संख्या को बढ़ा कर १०२ या १०६ कर सकता है।

वर्तमान समय में कनाडा के विभिन्न प्रान्तों को निम्नलिखित संख्या में सदस्य भेजने का अधिकार है ।

प्रान्त का नाम	संख्या
१—ओण्टेरियो	२४
२—क्वैक	२४
३—नोवास्कोशिया	१०
४—न्यू ब्रान्सविक	१०
५—प्रिंस एडवर्ड द्वीप	४
६—मेनी टोवा	६
७—ब्रिटिश कोलम्बिया	६
८—सस्केचवान	६
९—अल्बर्टा	६
१०—न्यू फाउण्डलैण्ड	६

१०२

सदस्यों की नियुक्ति—जहाँ तक सीनेट के सदस्यों की नियुक्ति का प्रश्न है उनकी नियुक्ति सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा की जाती है । इस प्रकार सीनेट-सदस्य प्रान्तों की जनता या व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित नहीं किए जाते हैं । सामान्यतया इन सदस्यों की नियुक्ति कनाडा के मन्त्रिमण्डल के हाथों में निहित होती है । वस्तुतः प्रधान मन्त्री की सिफारिश पर गवर्नर जनरल सदस्यों की नियुक्ति करता है । ये सदस्य आयु भर के लिए मनोनीत किए जाते हैं । परन्तु सीनेट की सदस्यता के लिए इच्छुक व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है ।

- (१) वह एक ब्रिटिश नागरिक हो,
- (२) उसकी आयु ३० वर्ष से कम न हो,
- (३) वह उस प्रान्त का निवासी हो जहाँ से उसकी नियुक्ति की जाती है ।
- (४) जिस प्रान्त का वह प्रतिनिधित्व करे उस प्रान्त में उसकी कम से कम ४००० डालर की वास्तविक सम्पत्ति हो ।

(५) उसकी व्यक्तिगत या वास्तविक सम्पत्ति उसके ऋण तथा देनदारी के लिए ४००० डालर से कम नहीं होनी चाहिए ।

सीनेट के सदस्य यद्यपि जीवन भर के लिए मनोनीत किए जाते हैं किन्तु निम्नलिखित कारणों पर उन्हें इसके पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता है ।

(१) यदि वे किसी सदन के दो निरन्तर चलने वाले सत्रों में अनुपस्थित रहे हों ।

(२) यदि वे किसी विदेशी राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ-ग्रहण कर लें ।

(३) यदि वे दिवालिया या सार्वजनिक अपराधी बन जायँ ।

(४) यदि वे देगट्रोह या अन्य किसी भयंकर अपराध के लिए दोषी ठहराए जाते हैं ।

(५) यदि वह उस प्रांत जिसका कि प्रतिनिधित्व कर रहा है को छोड़ कर अन्य किसी प्रांत में जाकर बस जाता है ।

(६) यदि वह अपनी सम्पत्ति से वंचित हो जाता है ।

सीनेट सदस्यों का वेतन और भत्ता—सीनेट के सदस्यों को ८००० डालर वार्षिक वेतन तथा २००० डालर भत्ता प्राप्त होता है । सीनेट के स्पीकर या अध्यक्ष का वेतन २३,००० सरकारी दल के नेता का २०,००० तथा विरोधी दल के नेता का वेतन १६,००० वार्षिक होता है ।

सीनेट के पदाधिकारी

सीनेट के पदाधिकारियों में सीनेट का अध्यक्ष (स्पीकर), क्लार्क तथा सहायक क्लर्क और जेन्टिलमैन अशर आफ दि ब्लैक रॉड, (Gentleman Usher of the Black Rod) मुख्य हैं । सीनेट के अध्यक्ष का कार्य सीनेट का अध्यक्षता करना तथा सदन की कार्यवाही का संचालन करना और सदन में अनुशासन बनाए रखना होता है, क्लार्क और सहायक क्लार्क का कार्य सदन की कार्यवाही का लेखा रखना होता है । 'जेन्टिलमैन अशर' का कार्य संसद के उद्घाटन विषयक बातों की देख-भाल करना तथा सदन के अधिवेशन के निमन्त्रण, स्थगन इत्यादि का आदेश देना होता है । सीनेट का अध्यक्ष सीनेट के सदस्यों द्वारा निर्वाचित न होकर गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया जाता है सीनेट के सदस्यों का कोरम १५ सदस्य होता है ।

सीनेट की शक्तियाँ और कार्य सीनेट की शक्तियों के विषय में संविधान में विशेष व्याख्या नहीं है । १८६६ ई० में ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम में केवल इतना ही कहा गया है कि समस्त घन विधेयक केवल कामन्स सभा में ही पुरस्थापित हो सकेंगे । घनविधेयक के अनिर्दिष्ट अन्य सभी विधेयक किसी भी सदन में पुरस्थापित हो सकेंगे । घन-विधेयक की स्वीकृति या संशोधन की दिशा में सीनेट को क्या अधिकार है, इस सम्बन्ध में भी उक्त अधिनियम मौन है । इस प्रकार कम से कम सैद्धान्तिक दृष्टि से सीनेट और कामन्स सभा की शक्तियाँ समान हैं परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं है । व्यवहार में सीनेट एक अत्यन्त शक्तिहीन सदन है ।

विधि-निर्माण किसी भी व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य होता है अतएव सीनेट को भी विधि-निर्माण की दिशा में अधिकार प्राप्त है। कामन्स सभा की भाँति सीनेट में भी कोई सामान्य विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रायः समस्त प्राइवेट विधेयकों को सीनेट में ही पहले पेश किया जाता है। अन्य विधेयकों के विषय में सीनेट की शक्तियाँ वही हैं जो कि सामान्यतया किसी भी द्वितीय सदन की होती है। इयारे शब्दों में सीनेट का कार्य विधेयकों पर पुनर्विचार करके उन पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना होता है।

जहाँ तक कि धन विधेयकों का प्रश्न है, समस्त धन विधेयक कामन्स सभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। परन्तु सीनेट को धन-विधेयकों के संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है और कनाडा के संविधान में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब कि सीनेट ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास किया। १९२२, १९२४ तथा १९२५ ई० में ऐसे अवसर आए जब कि सीनेट ने धन विधेयकों को संशोधित करने का प्रयास किया। १९२२ तथा १९२४ ई० में कनाडियन नेशनल रेलवे की शाखाओं में वृद्धि करने वाले धन विधेयक को उसने अस्वीकृत कर दिया था। उसी प्रकार १९२५ ई० में होम बैङ्क की दुर्घटना से ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव को भी उसने अस्वीकृत कर दिया था। परन्तु इस प्रकार के दृष्टान्त अत्यल्प स्वरूप हैं।

इस प्रकार विधि-निर्माण के क्षेत्र में सीनेट अनेक शक्तियों से समलंकित है। सीनेट का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी है, वह है अन्वेषण से सम्बन्धित। उसे राष्ट्र की राजनैतिक और सामाजिक समस्याओं की जाँच करने का अधिकार है। सीनेट ने पिछले वर्षों में अपने इस अधिकार का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। किन्तु कार्य-पालिकाय शक्तियाँ सीनेट को उपलब्ध नहीं हैं।

सीनेट-सर्वाधिक शक्तिहीन सदन

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कनाडा की राज-व्यवस्था में सीनेट का क्या स्थान है? वस्तुतः शक्ति की दृष्टि से सीनेट एक अशक्त सदन है। इसे केवल अशक्त सदन ही नहीं इसे संसार का सर्वाधिक दुर्बल या शक्तिहीन सदन कहा जाता है। कतिपय संविधान मनाषियों ने उसे मात्र शून्य, (More Zero) सुप्त सौन्दर्य (Sleeping beauty) तथा एक अवशिष्ट संस्था मात्र (Vestigial Institution) की संज्ञा दी है। प्रो० डासन ने सीनेट की स्थिति पर विचार करते हुए कहा है कि कनाडा की कामन्स सभा के समक्ष सीनेट सदैव एक निम्न कोटि का स्थान प्राप्त कर सकी है। प्रो० सी० एफ० स्ट्रांग ने भी इसी प्रकार लिखा है कि 'कनाडा की सीनेट असम्भव बातों के लिए प्रयास करती है। संविधान ने उसे ब्रिटिश लार्ड सभा के नमूने पर निर्मित करने का प्रयत्न किया और वंशानुगत

सिद्धान्त के स्थान पर आजन्म सदस्यता के सिद्धान्त का अनुशीलन किया। साथ ही, सङ्घीय विचार को बनाए रखने के लिए केन्द्रीय शक्ति द्वारा चयन करने की प्रणाली अपना कर इसने वह कार्य करना चाहा जो उसके लिए संगत न था। इन विरोधी उद्देश्यों का कनाडा की सीनेट की प्रतिष्ठा पर विपरीत प्रभाव पड़ा क्योंकि उसे न तो वह शक्ति प्राप्त है जो किसी निर्वाचित द्वितीय सदन को प्राप्त होती है, न उसे संघीय विचारधारा के अन्तर्गत निहित उच्च सदन की उपयोगिता प्राप्त है। प्रो० मेरियट ने भी कनाडा की सीनेट के विषय में लिखा है।

“The Canadian Senate never possessed either the glamour of an aristocratic and hereditary Chamber, or the strength of an elected assembly or the utility of a Senate representing the federal as opposed to the National idea.”

इस प्रकार प्रायः सभी प्रमुख संविधान मनीषियों ने कनाडा की सीनेट को एक शक्ति हीन सदन की संज्ञा दी है। सीनेट की शक्ति-हीनता के कई कारण हैं संक्षेप में मुख्य कारणों को हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं।

(१) सीनेट के सदस्य निर्वाचित नहीं होते :-सीनेट की शक्तिहीनता के विभिन्न कारणों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सीनेट की सदस्यता लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित नहीं है। कोई भी लोकतांत्रिक संस्थान जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा गठित किया जाता है किन्तु कनाडा के सीनेट के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित न होकर गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य आजीवन मनोनीत होते हैं इसलिए उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं होती कि वे अपने कर्तव्य का सावधानी से पालन करें अन्यथा भविष्य में वे उस पद से वंचित कर दिये जायेंगे। दूसरे मनोनीत होने में भी उनकी योग्यता का ध्यान रखा जाने की अपेक्षा उनकी दलगत सेवाओं का ध्यान रखा जाता है। सीनेट सदस्य की नियुक्ति दलगत आधार पर होती है। वह अपनी दलीय सेवाओं के लिए इस पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसा कि राँग ने एक स्थल पर लिखा है ‘प्रारम्भ से ही सीनेटरों की नियुक्तियाँ पार्टी मशीन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गई हैं। अपनी स्थिति की जीवन भर के लिए सुरक्षा और चुनाव के परिश्रम से मुक्ति ही सीनेटरों के लिए पार्टी की सेवा का पुरस्कार बन गया और इस प्रयोग के लिए वह रखा गया है।’*

*“From the first, appointments to the Senate came under the full control of mechanism of the party. The security of the position for life, and freedom from the labours of an election, have made senatorship a desirable crown of party services and to this use the office has been put.”

—Wrong

प्रो० डासन ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि सीनेट की सदस्यता पार्टी के लिए की गई सेवाओं का वृद्धावस्था में प्राप्त पुरस्कार है ।

२—सदस्यों की उदासीनता:—चूँकि सीनेट के सदस्य सामान्यतया ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि राजनैतिक जीवन से अवकाश सा प्राप्त कर चुके हैं अतएव ऐसे सदस्यों की सीनेट की गतिविधियों में कोई रुचि नहीं रह जाती । जैसा कि कनाडा के एक समय के कर्मठ लोक नायक ज्यार्ज फास्टर ने उस समय कहा था कि वे जब सीनेट के सदस्य बनाए गए थे । उनके शब्दों में आज मैंने अपनी राजनैतिक मृत्यु के वारन्ट पर हस्ताक्षर किए हैं । मृत्यु का यह प्रवेश-द्वार कितना नीरस है ।

‘I have to day signed my warant of poilitcal death. How colourless the Senate the entcring gate to my coming extinction’—George Foster.

लार्ड ब्राइस ने भी कहा है कि सीनेट में अवकाश प्राप्त व्यक्तियों के आलस्य का वातावरण है ।

३—सीनेट सदस्यों की आजीवन कार्यावधि—सीनेट की दुर्बलता का अन्य कारण यह है कि सीनेट के सदस्य जीवन भर के लिए मनोनीत किए जाते हैं । जीवन भर के लिए मनोनीत किए जाने का परिणाम यह होता है कि सीनेट सदस्य को इस बात की चिन्ता नहीं रहती कि वह अपने मतदाताओं को संतुष्ट रखे या इस प्रकार का कार्य करें ताकि दुबारा उस पद पर आ सके । यदि सीनेट सदस्य कुछ समय के लिए निर्वाचित किए जाते तो सम्भवतः वे ज्यादा कर्मठ होते ।

प्रो० डासन ने इस विषय में ठीक ही लिखा है कि—आजीवन सदस्यता ने सीनेट की कार्यक्षमता पर विकृत प्रभाव डाला है । आज कोई भी व्यक्ति सीनेट की सदस्यता इसलिए नहीं स्वीकारता कि उससे उसका भविष्य उज्ज्वल होगा । प्रत्युत इसलिए स्वीकारता है कि वह उसके जीवन का अन्तिम अध्याय है ।

४—सीनेट सङ्घीय सिद्धान्तों पर निर्भर नहीं है—कनाडा प्रान्तों का एक संघ या यूनियन है । प्रायः सङ्घात्मक व्यवस्था में द्वितीय सदन की रचना सङ्घात्मक सिद्धान्त पर होती है । संघात्मक सिद्धान्त पर गठित होने पर उसमें प्रान्तों या राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है । उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट को ले सकते हैं । ऐसी दशा में सीनेट का संघ की ईकाइयों के प्रतिनिधि होने के नाते अधिक प्रभाव बना रहता है किन्तु कनाडा की सीनेट के साथ ऐसी बात नहीं ।

५—कार्यपालिका पर नियन्त्रण नहीं—सीनेट के सदस्य न तो समान्यतया कनाडा के मन्त्रिमण्डल के सदस्य ही होते हैं और न ही सीनेट का कार्यपालिका पर कोई नियन्त्रण ही होता है। कनाडा में कामन्स सभा का मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण होता है। मन्त्रिमण्डल कामन्स सभा के प्रति विधानतः उत्तरदायी होती है। मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण न होने के कारण सीनेट की स्थिति और भी शिथिल होती है।

६—सीनेट का वित्तीय व्यवस्था पर कोई नियन्त्रण नहीं है—किसी भी शासन-व्यवस्था में जिस सदन का वित्तीय व्यवस्था पर नियन्त्रण होता है, वह सदन ही वास्तविक शासकीय शक्तियों का उपभोग करने वाला सदन माना जाता है। अमेरिका की सीनेट के शक्तिशाली होने का एक यह रहस्य है कि उसका अमेरिका की वित्तीय व्यवस्था पर पूर्ण नियन्त्रण है परन्तु कनाडा की सीनेट को कनाडा की वित्तीय व्यवस्था पर कोई नियन्त्रण नहीं है। सीनेट में न तो कोई वित्तीय विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है और न ही सीनेट वस्तुतः किसी वित्तीय विधेयक को स्वीकृत कर सकती है।

इस प्रकार उपर्युक्त कारणों से सीनेट कनाडा की राज्य व्यवस्था में एक अशक्त सदन के रूप में तो है ही साथ ही उसकी गणना संसार के द्वितीय सदन में सबसे अशक्त द्वितीय सदन के रूप में की जाती है। जैसा कि प्रो० केनेडी ने कहा है—*It must at once be conceded that the Canadian Senate is not the product of a single and intelligible political principle. Indeed it attempts to embody two ideas, nomination by the Crown and a timid hankering after representation of grouped provinces. It may be that this attempt has caused it to become almost a cipher, surrounded with decisive state and trappings of impotence.*'

कामन्स सभा

प्रश्न—कामन्स सभा की संरचना और शक्तियों पर विचार कीजिए ।

उत्तर—कनाडा की व्यवस्थापिका का निम्न सदन कामन्स सभा, (House of Commons) कहलाता है । यही वस्तुतः कनाडा की व्यवस्थापिका का शक्ति शाली और महत्वपूर्ण अंग है । ब्रिटेन की कामन्स सभा की भाँति कनाडा की कामन्स सभा भी एक प्रतिनिधि सदन है ।

जहाँ तक कि कामन्स सभा की संरचना का प्रश्न है—१८६७ ई० के ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम के अनुसार कनाडा की कामन्स सभा की प्रारम्भिक सदस्य संख्या १८१ थी । किन्तु जनसंख्या की वृद्धि के अनुसार कनाडा की कामन्स सभा की सदस्य-संख्या में भी वृद्धि होती रही है । १९४७ ई० के प्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार कामन्स सभा की सदस्य-संख्या २५८ कर दी गई । १९४९ ई० में कनाडा यूनियन के अन्तर्गत न्यूफाउण्डलैण्ड भी सम्मिलित हो गया । फलतः कामन्स सभा की सदस्य-संख्या २६५ हो गई । वर्तमान समय में कनाडा की कामन्स सभा के सदस्यों की यही संख्या है ।

सदस्यों की योग्यताएँ—जहाँ तक कि कामन्स सभा के सदस्यों की योग्यताओं का प्रश्न है, ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम में सदस्यों की योग्यताओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया था । १८६८-१९०८ ई० की डोमिनियन निर्वाचन संहिता में इस सम्बन्ध में यह कहा गया कि 'कोई भी ब्रिटिश प्रजाजन कामन्स सभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार बन सकता है । इस प्रकार वर्तमान समय में कामन्स सभा का वह कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है जो कि ब्रिटिश प्रजा है तथा जिसकी आयु २१ वर्ष की है । किन्तु इसके अतिरिक्त कुछ अयोग्यताएँ हैं, इन अयोग्यताओं को रखने वाले व्यक्ति कामन्स सभा की सदस्यता के लिए प्रत्याशी नहीं हो सकते हैं । ये अयोग्यताएँ इस प्रकार हैं :—

- (१) निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति ।
- (२) अष्टाचार के लिए दोषी ठहराया गया अपराधी ।

- (३) मानसिक रोग अथवा पागलपन से ग्रस्त व्यक्ति ।
- (४) समस्त सरकारी ठेकेदार ।
- (५) प्रान्तीय व्यवस्थापिक सभा के सदस्य ।
- (६) समस्त सरकारी अधिकारी, स्थायी अथवा अस्थायी जो किसी प्रकार से सरकार से लाभ उठाते हैं किन्तु मन्त्रिगण इसके अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं ।
- (७) रजिस्ट्रार, शेरिफ तथा लिपिक आदि ।

निर्वाचन—कमान्स सभा के निर्वाचन का संचालन 'चीफ एलेक्टोरल आफिसर, (Chief Electoral officer) द्वारा होता है । कमान्स सभा की सदस्यता के लिए खड़े प्रत्याशी कम से कम दस मतदाताओं द्वारा समर्थित अपना नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है । निर्वाचन गुप्त मतदान पद्धति द्वारा होता है । मतदान में भाग लेने का अधिकार कनाडा के प्रत्येक नागरिक को है । साथ ही मतदाता में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है :—

१. उसकी आयु २१ वर्ष की हो ।
२. चुनाव होने की तिथि से पूर्व वह कनाडा में १२ महीने से रह रहा हो ।
३. जिस चुनाव क्षेत्र में वह मत दे रहा हो उस चुनाव क्षेत्र में वह चुनाव की घोषणा की तिथि से दो महीने पूर्व से रह रहा हो ।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अयोग्यताओं वाले व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं होगा—

- (१) वे न्यायाधीश जो कि सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ।
- (२) डोमिनियन का मुख्य चुनाव अधिकारी ।
- (३) निर्वाचन अधिकारी ।
- (४) निर्वाचन लिपिक ।
- (५) वे आदिवासी जिन्होंने प्रथम या द्वितीय विश्व-युद्ध में भाग न लिया हो ,

सदस्यों का वेतन और भत्ते—कमान्स सभा के सदस्यों का वेतन १०,००० डालर वार्षिक है । इसके अतिरिक्त उन्हें २,००० डालर भत्ता मिलता है । कमान्स वार्षिक सभा के अध्यक्ष को २,३००० डालर वार्षिक वेतन मिलता है ।

कामन्स सभा का कार्य-काल और कोरम—कामन्स सभा का कार्य-काल पाँच वर्ष है परन्तु प्रधान मंत्रों की सलाह पर गवर्नर जनरल उसे पहले भी भंग कर सकता है । युद्ध की सम्भावना, तथा इसी प्रकार के अन्य संकट के समय कामन्स सभा के कार्य-काल में वृद्धि की जा सकती है । कार्य-काल में वृद्धि का अधिकार संसद के हाथों

में है परन्तु यदि कामन्स सभा के एक तिहाई सदस्य इसका विरोध करने हैं तो कार्य-काल में वृद्धि नहीं की जा सकती है ।

जहाँ तक कि कामन्स सभा के कोरम का प्रश्न है, सदस्यों का कोरम बीस है । दूसरे शब्दों में यदि बीस सदस्य कामन्स सभा में उपस्थित होते हैं तो सदन की कार्य-वाही संचालित की जा सकती है ।

लोक सभा का अध्यक्ष—ब्रिटेन की कामन्स सभा की भाँति कनाडा की कामन्स सभा का अध्यक्ष या स्पीकर भी सदन का प्रधान होता है । नवनिर्वाचित सदन का प्रथम कार्य अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करना होता है । प्रायः प्रत्येक नई कामन्स सभा अपना नया स्पीकर निर्वाचित करती है । अध्यक्ष का कार्य सदन की अध्यक्षता करना उसकी कार्यवाहियों को संचालित करना, तथा सदन में अनुशासन बनाए रहना है । आर० बी० बेनेट के शब्दों में "The speaker is the guardian of the powers, the dignities liberties and the privileges of this House of Commons." अर्थात् 'अध्यक्ष कामन्स सभा की शक्तियों, गरिमा स्वतन्त्रताओं तथा विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है । अध्यक्ष का वार्षिक वेतन लगभग २३,००० डालर वार्षिक है ।

अध्यक्ष के अतिरिक्त कामन्स सभा का एक उपाध्यक्ष भी होता है ' परम्परा-नुसार उपाध्यक्ष उस भाषा का बोलने वाला होता है जो कि अध्यक्ष की नहीं होती । उदाहरण के लिए यदि अध्यक्ष अंगरेजी भाषा-भाषी है तो उपाध्यक्ष फ्राँसिस भाषा का बोलने वाला होगा ।

कामन्स सभा के अध्यक्ष को सदन में सामान्यतया मतदान का अधिकार नहीं होता किन्तु समान मत पड़ने की स्थिति में उसे अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है ।

कामन्स सभा का अध्यक्ष कामन्स सभा के अधिकारों तथा सुविधाओं का संरक्षक होता है । वहाँ सदस्यों को मान्यता प्रदान करता है । तथा सदन के नियमों की व्याख्या और घोषणा करता है ,

कामन्स सभा के कार्य—कामन्स सभा के कार्य ब्रिटेन की कामन्स सभा से ही मिलते-जुलते हैं । दूसरे शब्दों में कामन्स सभा का भी ब्रिटिश कामन्स सभा की भाँति मुख्य कार्य विधि-निर्माण करना है । जैसा कि डा० अप्पादोराय ने कहा है :

"The Canadian House of Commons performs more or less the same functions as its British counterpart It Passes laws, controls finance, contro's the executive, gives expression to public

grievances and needs, and serves as arena where in future leaders may distinguish themselves."

इस प्रकार कनाडा की कामन्स सभा का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य विधि का निर्माण करना है। विधि-निर्माण की दृष्टि से विधेयको को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) सामान्य विधेयक और (२) धन विधेयक। जहाँ तक कि सामान्य विधेयक का प्रश्न है सामान्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जा सकते हैं प्रत्येक सामान्य विधेयक के सदन में तीन वाचन होते हैं—प्रथम वाचन (Reading) में विधेयक पर न तो वाद-विवाद होता है और न ही उसमें कोई संशोधन किया जा सकता है। जब विधेयक दूसरी बार पढ़ा जाता है तब उस पर विस्तार से बहस की जाती है। यह बहस विधेयक के सामान्य सिद्धान्तों तक सीमित रहती है। यदि सदन विधेयक के सिद्धान्तों को स्वीकृत कर लेता है तथा विधेयक का दूसरा वाचन या पाठ समाप्त हो जाता है तो उसका अगला कदम उसे सम्बन्धित समिति के पास भेजा जाता है। समिति-स्तर से गुजरने के उपरान्त विधेयक तीसरी रीडिंग या पाठ के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर गत्यावरोध खड़ा हो जाता है तो वह गत्यावरोध दोनों सदन सम्झौते के द्वारा दूर करते हैं। सामान्यतया गत्यावरोध की स्थिति नहीं आती। कामन्स सभा में पारित हो जाने के उपरान्त विधेयक सीनेट में भेजा जाता है। सीनेट में भी जब इसी प्रक्रिया द्वारा पारित हो जाता है तो उसे हस्ताक्षर के लिए गवर्नर जनरल के पास भेजा जाता है। गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर के उपरान्त विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है।

धन-विधेयकों को पुनः स्थापन के विषय में ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम में स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि ये केवल कामन्स सभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, शेष प्रक्रिया उनकी साधारण विधेयकों को भाँति ही है।

इस प्रकार कामन्स सभा विधि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियाँ रखती हैं। वह उन समस्त विषयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार रखती है जिन पर कि सङ्घीय शासन का अधिकार क्षेत्र है।

सीनेट का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका पर नियन्त्रण है। संसदीय पद्धति में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। फलतः कनाडा की संसदीय व्यवस्था भी उसका अपवाद नहीं है। कनाडा में मन्त्रिमण्डल कनाडा की कामन्स सभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। जब तक कामन्स सभा का विश्वास मन्त्रिमण्डल की प्राप्ति रहता है तब तक मन्त्रिमण्डल अपने पद पर बना रहता है। विश्वास से वंचित हो जाने पर मन्त्रिमण्डल को त्याग-पत्र देना होता है। संसद कार्यपालिका

पर प्रश्न पूछ कर, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पारित कर तथा अन्य संसदीय पद्धतियों के माध्यम से नियन्त्रण रखती है।

जैसा कि प्रो० डासन ने कहा है—

It is the great democratic agency in the Government of Canada, the grand inquest of the nation the organised medium through which the public will find expression and exercises its ultimate power. It forms the indispensable part of the legislature, and it is the body to which at all times the executive must turn for justification and approval,"

कामन्स सभा का अन्य कार्य लोक मत की अभिव्यक्ति करना है। कामन्स सभा में सारे देश की जनता का प्रतिनिधित्व होता है। कामन्स सभा की राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता ही है, इसलिये कामन्स सभा जनमत के अनुकूल विचारों की अभिव्यक्ति करती है। लोक मत की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ कामन्स सभा किसी सीमा तक लोकमत का नेतृत्व और प्रशिक्षण भी करती है।

सभा की उपर्युक्त शक्तियों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कनाडा की शासन-पद्धति में कामन्स सभा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। यदि कनाडा की शासन-व्यवस्था में कामन्स सभा को केन्द्र-बिन्दु की संज्ञा दी जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। कामन्स सभा ही वस्तुतः कनाडा की सर्वोच्च व्यवस्थापिका है। वही राज्य-शक्ति का गुरुत्वाकर्षण केन्द्र तथा राष्ट्र की लघु दर्पण है।

अध्याय

८

न्यायपालिका

प्रश्न—न्यायपालिका के संगठन और कार्यों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर—न्यायपालिका का प्रत्येक शासन-व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है। कनाडा की शासन-पद्धति भी इसका अपवाद नहीं है। कनाडा में न्यायपालिका का अत्यन्त सुव्यवस्थित दृष्टि से संगठन किया गया है। प्रारम्भ में

कनाडा की न्याय-व्यवस्था अत्यन्त दोषपूर्ण थी। लेकिन कालान्तर में इन दोषों का निराकरण किया गया और कनाडा को एक सुन्दर न्याय-व्यवस्था प्राप्त हो गई। आज कनाडा की न्यायपालिका कनाडा की शासन-व्यवस्था की संरक्षिका और प्रहरी है।

कनाडा में न्यायिक संगठन—कनाडा में न्यायपालिका के संगठन का रूप एक पिरामिड की भाँति है जिसमें सबसे नीचे आधार में निम्नस्थ न्यायालय हैं और शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय १९४९ ई० के पूर्व कनाडा की न्याया-व्यवस्था का शीर्षस्थ निकाय इंग्लैण्ड की प्रिवी काउन्सिल होती थी।

वर्तमान समय में कनाडा की न्याय-व्यवस्था के मुख्यतया निम्नलिखित अंग हैं।

- (१) कनाडा का उच्चतम न्यायालय।
- (२) एक्सचेकर न्यायालय।
- (३) प्रान्तों के सर्वोच्च न्यायालय।
- (४) काउण्टी न्यायालय।
- (५) कनिष्ठ न्यायालय।

कनाडा का उच्चतम न्यायालय—कनाडा का उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना १८७५ ई० के ब्रिटिश पार्लियामेण्ट के एक अधिनियम के द्वारा की गई। प्रारम्भ में इस न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश और पाँच अन्य न्यायाधीश होते थे। वर्तमान समय में एक प्रधान न्यायाधीश और आठ अन्य न्यायाधीश होते हैं। प्रारम्भ से ही उच्चतम न्यायालय के संगठन में सङ्घात्मक तत्वों को ध्यान में रखने का प्रयास किया गया है। फलतः सामान्यतया तीन न्यायाधीश क्यूबेक प्रान्तों से, तीन औएटोरियों से और एक-एक न्यायाधीश ब्रिटिश कोलम्बिया और समुद्रवर्ती प्रांतों से नियुक्त होते हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति गवर्नर जनरल मन्त्रि परिषद् की सलाह से करता है। जहाँ तक कि न्यायाधीशों की योग्यता का प्रश्न है सामान्यतया उनकी नियुक्ति के समय कोई विशेष कानूनी योग्यता का प्रश्न नहीं होता है। प्रत्युत दल की सेवा करने वाले और दल से प्रत्यक्ष या परीक्ष रूप में सम्बन्धित व्यक्तियों को इस पद पर नियुक्ति का अवसर मिलता है। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में मुख्यतया निम्नलिखित हैं। (१):—प्रान्त में कम से कम दस वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रह चुका हो; (२) वह किसी प्रान्त के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या उस समय किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहा हो।

न्यायाधीशों का वेतन-भत्ता और कार्य-काल—उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को २०,००० वार्षिक डालर वेतन मिलता है तथा मुख्य या प्रधान न्यायाधीश को २५,००० डालर मिलता है । उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ७५ वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है । किन्तु अयोग्यता, सदाचार, अस्वस्थता आदि के आधार पर उन्हें इसके पूर्व भी अपने पद से अलग किया जाता है । उसके लिए यह आवश्यक है कि गवर्नर जनरल से सानेट और लोक-सभा के सदस्य इस आशय की प्रार्थना करें कि अमुक न्यायाधीश को असमर्थता, दुराचार अथवा अस्वस्थता के कारण काम न कर सकने के लिए पद से हटा दिया जाय । जब इस प्रकार का कोई आरोप लगाया जाता है तो उस आरोप की पूरी जाँच कर लेना आवश्यक माना जाता है । जिस न्यायाधीश पर आरोप लगाया जाता है उसे भी अपने आरोपों की सफाई देने का अवसर दिया जाता है । यदि फिर भी गवर्नर जनरल को पद से मुक्ति किया जाता है तो उसके पद-मुक्ति विषयक, आदेश और पत्राचार इत्यादि संसद के प्रथम अधिवेशन के पन्द्रह दिन के अन्तर्गत संसद में पेश किए जाते हैं, किन्तु दोषारोपण की यह प्रक्रिया के प्रयोग का अवसर नहीं के बराबर आता है । सामान्यतया एक बार नियुक्त हो जाने पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के उसकी अवधि के पूर्व अपदस्थ करने की समस्या खड़ी नहीं होती ।

उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र—जहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न है सामान्यतया उसके अधिकार क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—

१—दीवानी अधिकार—क्षेत्र ।

२—फौजदारी अधिकार—क्षेत्र ।

३—संवैधानिक अधिकार—क्षेत्र ।

दूसरे शब्दों में उच्चतम न्यायालय को उपयुक्त तीन विषयों के मामलों पर विचार करने का अधिकार प्राप्त है । वह एक अपीलीय न्यायालय है, इसलिए इन तीनों मामलों की अपीलें उसके समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं । जहाँ तक कि दीवानी मामलों का प्रश्न है, उसमें प्रान्तीय न्यायालयों की अपीलों पर विचार किया जाता है । दीवानी मामलों में किस प्रकार की अपीलें उसके समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी, इसके निश्चय करने का अधिकार प्रान्त के उच्चन्यायालय को है । सामान्यतया ऐसा मामला जिसकी कि कुल धनराशि २००० डालर की है, उस पर विचार करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है किन्तु विशेष परिस्थितियों में इस धनराशि से कम के मामले भी उच्चतम न्यायालय में विचारार्थ प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

इसक आतारक्त राजस्व न्यायालय (एक्सचेंजर कोर्ट) के निर्णयों के विरुद्ध भी अपीलें की जाती हैं किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि जिस मामले की अपील की जा रही है उसकी धनराशि ५००० डालर से अधिक हो।

उच्चतम न्यायालय को फौजदारी मामलों में भी अपीलें सुनने का अधिकार है, किन्तु फौजदारी मामलों की अपीलें उच्चतम न्यायालय में तभी लायी जा सकती हैं जब कि किसी फौजदारी मामले के निर्णय के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक मत न हों।

उपर्युक्त मामलों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में बोर्ड आफ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तथा निर्वाचन विषयक मामले भी आते हैं।

भारत तथा अमेरिका की भाँति उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक मामलों में शासन को परामर्श देने का भी अधिकार है। जब कभी शासन को संविधान सम्बन्धी किसी मामले में उच्चतम न्यायालय के परामर्श की आवश्यकता पड़ जाती है तो वह सङ्घीय शासन उस मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकता है। ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह अन्तिम मानी जाती है। किन्तु शासन के लिए यह सलाह मानना आवश्यक नहीं है, वह उस सलाह को स्वीकार कर उसके अनुकूल आचरण भी कर सकती है और सलाह के प्रतिकूल भी जा सकती है।

इस प्रकार जहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय का प्रश्न है कनाडा की न्याय-व्यवस्था में उसका शीर्षस्थ स्थान है। पहले उसकी यह स्थिति नहीं थी और उसके निर्णयों के विरुद्ध ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति में अपीलें की जा सकती थीं। परन्तु १९४६ ई० के बाद यह स्थिति बदल गई है।

राजस्व या एक्सचेंजर न्यायालय—राजस्व न्यायालय (Exchequer Court) की स्थापना १८७५ ई० में उच्चतम न्यायालय के साथ की गई थी। इस प्रकार पहले यह उच्चतम न्यायालय का एक अंग था किन्तु १९५२ ई० में उसे उच्चतम न्यायालय से पृथक एक स्वतंत्र न्यायालय के रूप में गठित किया गया। इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति सपरिषद् गवर्नर जनरल करता है किन्तु व्यवहार में ये न्यायाधीश प्रधान मंत्री द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। एक्सचेंजर न्यायालय का अध्यक्ष १६००० डालर तथा उसके अन्य न्यायाधीश १४,००० डालर वार्षिक वेतन प्राप्त करते हैं। यह एक विशिष्ट प्रकार का न्यायालय है और इसका अधिकार क्षेत्र उन सभी मामलों से सम्बन्ध रखता है जिन मामलों में कि कनाडा की सरकार द्वारा तथा कनाडा की सरकार के विरुद्ध अपीलें की जाती हैं। इसके अधिकार क्षेत्र को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं :—

(१) अनन्य क्षेत्र (Exclusive Jurisdiction)

(२) समवर्ती क्षेत्र (Concurrent Jurisdiction)

जहाँ तक कि अनन्य क्षेत्र का सम्बन्ध है इसके अन्तर्गत मुख्यतया निम्नलिखित विवाद आते हैं :—

(१) क्राउन के विरुद्ध वे दावे जिनमें सम्पत्ति कनाडा के सार्वजनिक मामलों के लिए ली जाती है ।

(२) यदि सरकार द्वारा किसी सम्पत्ति को हानि होती है तो उसके मुआवजे के लिए क्राउन के विरुद्ध किए गए दावे !

(३) क्राउन की ओर से किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया गया दावा ।

(४) कनाडा के किसी अधिनियम द्वारा अथवा सपरिपद गवर्नर जनरल द्वारा किसी आदेश के विरुद्ध की गई अपील !

(५) किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सार्वजनिक कार्य में किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा उसकी अशक्तता से किसी के शरीर या सम्पत्ति को हानि पहुँचाने के विरुद्ध किए गए दावे ।

उसके समवर्ती क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मुख्यतया निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित विवाद आते हैं :—

(१) सम्पत्ति भूमि कर विषयक विवाद ।

(२) पेटेण्ट और कॉपीराइट विषयक विवाद ।

(३) कुछ विशेष प्रकार के रेल विषयक विवाद ।

४—प्रान्तों का सर्वोच्च न्यायालय :—उच्चतम न्यायालय और एक-एककर न्यायालय संघीय न्यायालय हैं । इन न्यायालयों के अतिरिक्त प्रान्तों में अलग न्यायालय हैं । प्रान्तों में न्याय-व्यवस्था का शीर्षस्थ निकाय प्रान्तों का सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है । प्रत्येक प्रान्त में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है । प्रान्तों के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सपरिपद गवर्नर जनरल द्वारा होती है ।

प्रान्तों के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सदाचारमय कार्य करते हुए अपने पद पर बने रहते हैं । कतिपय अपराधों के लिए उन्हें अपने पद से अपदन्त किया जा सकता है । जहाँ तक कि प्रान्तों के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा भत्ता आदि कनाडा की संसद द्वारा निश्चित किया जाता है ।

प्रान्तों के उच्चतम न्यायालय अधिकार—क्षेत्र की दृष्टि से दो भागों में विभक्त है :—(१) कोर्ट आफ अपील (२) हाई कोर्ट आफ जस्टिस । कोर्ट आफ अपील अंश-नस्थ न्यायालयों का अपीलें सुनता है तथा हाई कोर्ट आफ जस्टिस को भी प्राथमिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है जिसके अनुसार वह संघीय और प्रान्तीय विधियों से सम्बन्धित मामलों पर विचार करता है ।

इसके अतिरिक्त प्रान्तों के सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय को निर्वाचन विषयक विवादों पर विचार करने का अधिकार है ।

प्रान्तीय शासन प्रान्तों से सम्बन्धित संवैधानिक मामलों में प्रान्तीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं ।

(४) कनिष्ठ न्यायालय :—प्रान्तों के उच्चतम न्यायालय के नीचे काउण्टी न्यायालयों का स्थान आता है । ये न्यायालय भारत के जिला न्यायालयों के समकक्ष होते हैं । ये प्रत्येक काउण्टी में पाए जाते हैं । प्रत्येक काउण्टी में एक काउण्टी न्यायालय होता है । काउण्टी न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा होती है । वे ७५ वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं । इन न्यायालयों को छोटे-छोटे मामलों पर विचार करने का अधिकार प्राप्त होता है । ये दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों पर विचार करते हैं ।

(५) काउण्टी न्यायालय :—काउण्टी न्यायालयों के अतिरिक्त कनिष्ठ न्यायालय भी होते हैं । इन न्यायालयों के न्यायाधीश प्रान्तीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । प्रान्तीय सरकार ही उन्हें अपने पद से हटा भी सकता है । ये न्यायालय काउण्टी न्यायालय के अधीन होते हैं । इन न्यायालयों के विभिन्न रूप हैं यथा सरोगेट न्यायालय (Surrogate Courts), डिबीजन न्यायालय, आरबीट्रेशन न्यायालय इत्यादि ।

उपसंहार :—उपर्युक्त विवेचन से कनाडा की न्याय व्यवस्था का परिचय मिल जाता है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कनाडा में एक सुसंगठित न्यायालय परम्परा की व्यवस्था की गई है । यदि हम इस व्यवस्था की विशेषताओं पर संक्षेप में विचार करे तो देखेंगे कि कनाडा की न्याय पद्धति मुख्यतया निम्न लिखित विशेषताओं से युक्त है:—(१) कनाडा की शासन पद्धति का संगठन एक पिरामिड के आकार का है । (२) इसके अनुसार शीर्ष पर एक सर्वोच्च न्यायिक संस्थान है और आधार में एक निम्नतम (२) न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने का प्रयास किया गया है (३) कनाडा के न्यायाधीशों का कार्य-काल लम्बा है । उनके अवकाश की आयु ७५ वर्ष रखी गई है । (४) प्रान्तीय, न्यायालयों में एकरूपता का अभाव है । (५) न्याय-व्यवस्था के संगठन में शक्ति-पृथक्करण के सिद्धान्त का अनुगमन किया गया है ।

संघ और प्रान्तों के सम्बन्ध

प्रश्न—कनाडा में सङ्घ तथा प्रान्तों के सम्बन्ध के विषय में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर—कनाडा का संविधान एक सङ्घात्मक संविधान है। डा० गार्नर के अनुसार 'सङ्घात्मक सरकार वह पद्धति है जिसमें समस्त शासकीय शक्ति एक केन्द्रीय सरकार तथा उन विभिन्न राज्य अथवा क्षेत्रीय उप-विभागों की सरकारों के बीच विभाजित एवं वितरित रहती है जिन्हें मिलाकर सङ्घ बनता है।' सङ्घात्मक संविधान होने के नाते उसका एक लिखित संविधान है, उसमें दोहरी शासन-पद्धति है, उसमें केन्द्र और प्रान्तों में शक्तियों का वितरण है तथा इसी प्रकार की अन्य विशेषताएँ हैं जो कि प्रायः किसी भी सङ्घात्मक पद्धति वाले संविधान में पाई जाती हैं। वर्तमान समय में कनाडा के सङ्घ में दस प्रान्त सम्मिलित हैं। ये दस प्रान्त निम्न-लिखित हैं :—

(१) क्यूबेक (२) ओण्टेरियो (३) न्यू ब्रन्सविक (४) नोवास्कोशिया (५) प्रिंस एडवर्ड द्वीप (६) मानी टोवा (७) अलबर्टा (८) संस्केत्रवान (९) ब्रिटिश कोलम्बिया (१०) न्यू फाउण्डलैण्ड ।

इस प्रकार उपर्युक्त दस इकाइयाँ कनाडा की संघात्मक व्यवस्था की रचना करती हैं। सङ्घात्मक पद्धति की अन्य विशेषता एक लिखित संविधान होता है। कनाडा की सङ्घात्मक व्यवस्था भी एक लिखित संविधान पर आधारित है। यह लिखित संविधान १८६७ ई० का ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम है। सङ्घात्मक संविधान की दूसरी विशेषता शक्तियों का वितरण होता है। कनाडा में भी शक्तियों का यह वितरण विद्यमान है। शक्ति-वितरण की दृष्टि से समस्त विषयों को तीन सूचियों में विभक्त किया जा सकता है : संघ सूची, प्रान्तीय सूची तथा समवर्ती सूची।

जहाँ तक कि संघ सूची का प्रश्न है, उसके अन्तर्गत मुख्यतया निम्न-लिखित विषय आते हैं : (१) सुरक्षा (२) सार्वजनिक ऋण और सम्पत्ति (३) व्यापार और वाणिज्य की व्यवस्था (४) डाक सेवाएँ (५) मुद्रा (६) बैंकिंग

(७) जन गणना के आंकड़े (८) चल मुद्रा (९) सेविंस बैंक (१०) नौचालन और जल-परिवहन (११) समुद्र तट और मत्स्य व्यापार (१२) बाँट और माप (१३) विनियम विपत्त (१४) प्रोमिसरी नोट (१५) व्याज (१६) विधिमान्य (१७) दिवाला, (१८) आविष्कार और अनुसन्धान (१९) काफी राइट (२०) देशीकरण और विदेशी (२१) इण्डियन और उनके लिए सुरक्षित भूमि (२२) विवाह और तलाक (२३) फौजदारी कानून (२४) फौजदारी मामलों में कार्यवाही (२५) मुधार गृहों की स्थापना और प्रबन्ध (३६) लाइट हाउस आदि (२७) सार्वजनिक अधिकारियों का वेतन और उसका समायोजन (२८) नौका व्यवस्था (२९) ऐसे अन्य विषय जो इस अधिनियम के द्वारा प्रान्तीय विधान-मंडलों को पूर्णतया सौंपे गए विषयों की श्रेणी में न आते हों ।

इन समस्त विषयों का ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम १८६१ ई० की ६१वीं धारा में उल्लेख है । इन विषयों पर संघीय सरकार को विधि-निर्माण करने का अधिकार है ।

संविधान की ६२ वीं तथा ६३ वीं धारा में प्रान्तीय विषयों का उल्लेख है । ६२ वीं धारा में कहा गया है कि निम्नलिखित विषय प्रान्तीय शासन के आधीन हैं :

(१) प्रान्तों के लेफ्टीनेण्ट गवर्नर को छोड़कर प्रान्तीय संविधान की अन्य किसी भी धारा या अंग का संशोधन ।

(२) प्रान्तीय कार्यों के लिए प्रत्यक्ष कर लगाना ।

(३) प्रान्तों की नगरपालिकाएँ

(४) प्रान्तों की सार्वजनिक भूमि का विक्रय और प्रबन्ध

(५) प्रान्तों के सार्वजनिक स्थलों, जेलों, अस्पतालों, अनाथालयों तथा भिक्षु-गृहों की व्यवस्था ।

(६) प्रान्तों में दूकान होटलों इत्यादि के लिए लाइसेंस की व्यवस्था ।

(८) प्रान्तीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कम्पनियों का निगमन ।

(८) प्रान्त में सम्पत्ति तथा नागरिक अधिकारों की व्यवस्था आदि;

(९) प्रान्तों में विवाह संस्कार

(१०) प्रान्तों की न्याय-व्यवस्था

(११) प्रान्तों में सार्वजनिक भूमि का विक्रय और प्रबन्ध ।

(१२) प्रान्तीय अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनका वेतन

(१३) मादक पदार्थों का नियमन आदि

(१४) सामान्यतया प्रान्त के समस्त स्थानीय और निजी मामले ।

समवर्ती विषय—ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम की ६५ वीं धारा में समवर्ती विषयों का उल्लेख है। ये विषय निम्नलिखित हैं : (१) कृषि और (२) आप्रवास।

शक्ति-विभाजन के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कनाडा में किस प्रकार संघात्मक पद्धति के इस तत्व का अनुगमन किया गया है। संघीय विषयों पर संघ का पूर्ण आधिपत्य है। प्रान्तीय विषयों पर विधि-निर्माण करने तथा व्यवस्था करने का अधिकार प्रान्तों का है और समवर्ती विषयों पर संघ और प्रान्त दोनों को ही विधि-निर्माण करने का अधिकार है। जहाँ तक कि प्रान्तीय और समवर्ती विषयों का प्रश्न है इस सम्बन्ध में कुछ बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। प्रथमतः यह कि शिक्षा भी प्रान्तीय विषय है, उस पर प्रान्त का पूर्ण आधिपत्य है परन्तु प्रान्तीय सरकार शिक्षा के सम्बन्ध में कानून बनाते समय यह ध्यान रखेगी कि (१) शिक्षा विषयक कानून के द्वारा खोले गए विद्यालयों किसी प्रान्त के किसी जाति या सम्प्रदाय विशेष द्वारा के विशेषाधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं होता।

(२) कनाडा में महारानी की रोमन कैथोलिक प्रजा के पृथक विद्यालयों और विद्यालय ट्रस्टियों पर लागू कानून, अधिकार विशेषाधिकार इत्यादि क्यूबेक में रानी की प्रोटेस्टेण्ट और कैथोलिक प्रजा को समान रूप से प्राप्त रहेंगे।

(३) यदि प्रान्तीय सरकार अथवा अधिकारी किसी पृथक (संघीय कानून के अधीन पृथक प्रणाली या भिन्न विचारधारा पर स्थापित) विद्यालय के विरुद्ध कोई कानून या आदेश निकालेंगे तो उनके विरुद्ध सपरिषद् गवर्नर जनरल के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

जहाँ तक कि समवर्ती सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों कृषि और आप्रवास का सम्बन्ध है इस विषय में संघ और प्रान्तों के कानूनों में परस्पर विरोध होने पर संघ सरकार द्वारा पारित कानून ही मान्य होंगे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कनाडा की शासन पद्धति में शक्तियों के विभाजन की जो व्यवस्था निश्चित की गयी है उस व्यवस्था में प्रान्तों की अपेक्षा केन्द्र की स्थिति अधिक सुदृढ़ है। एक प्रकार से प्रान्तों को यदि हम गौरवान्वित नगरपालिकाएँ (Glorified Municipalities) कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। इसके अतिरिक्त अन्य दृष्टियों से भी संघीय शासन प्रान्तों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ स्थिति में है। उदाहरण के लिए हम प्रान्तों की कार्यपालिका को ले सकते हैं। प्रान्तों की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान लेफिटनेण्ट गवर्नर होता है। ब्रिटिश नार्थ अमेरिका ऐक्ट के अनुसार लेफिटनेण्ट गवर्नर की नियुक्ति कनाडा के गवर्नर जनरल द्वारा होती है। कनाडा का गवर्नर जनरल उसे अपने पद से हटा भी सकता है। उसका वेतन भी कनाडा की संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निश्चित किया जाता है। लेफिटनेण्ट गवर्नर की अनुपस्थिति, उसकी बीमारी इत्यादि के समय प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार भी सपरिषद् गवर्नर


जनरल को है। लेफ्टिनेण्ट गवर्नर की नियुक्ति की यह पद्धति केन्द्र को प्रान्त की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती है। इस प्रकार शक्ति-विभाजन में संघीय शासन को प्रान्तों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। समवर्ती विषयों के सम्बन्ध में भी संघीय शासन की स्थिति श्रेष्ठतर दिखलाई पड़ती है। अवशिष्ट विषय भी कनाडा में केन्द्रीय शासन को प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त संविधान में संघात्मक परम्परा के अनुसार संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन अर्थात् सीनेट में प्रान्तों का संघीय सिद्धान्त के अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं है। संघीय पद्धति के अनुसार सीनेट में प्रान्तों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस समान प्रतिनिधित्व में प्रान्तों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि पहुँचने चाहिए। किन्तु कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में सीनेट सदस्य केन्द्रीय शासन (गवर्नर जनरल और मन्त्रि-परिषद्) द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त कनाडा की राज-व्यवस्था में संघीय परम्परा के प्रतिकूल केन्द्र शासन को एक विशिष्ट अधिकार भी प्राप्त है। वह यह है कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित प्रान्तीय कानून को रद्द करने का अधिकार संघीय शासन को है। कनाडा के संवैधानिक इतिहास में इसके अनेक दृष्टान्त मिलते हैं। उदाहरण के लिए १८७१ ई० में सर मैक्डौनल ने मेनीटोबा प्रान्त के रेलवे अधिनियम का विरोध किया था। उसी प्रकार १८७४ ई० में जोरेन द्वारा मेनीटोबा के एक अधिनियम को अवैध घोषित किया गया था। इसी प्रकार के उदाहरण १८६२ ई० और १९१२ ई० में भी मिलते हैं।

आर्थिक दृष्टि से भी संघीय शासन की स्थिति प्रान्तों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। जैसा कि प्रो० डासन ने कहा है कि कनाडा की संघीय व्यवस्था के निर्माताओं ने संघ को वित्त के क्षेत्र में अपरिमित शक्तियाँ प्रदान की हैं। इसका कारण यह है कि संघीय शासन का दायित्व भी अधिक व्यापक है। इस प्रकार जो साधन केन्द्रीय शासन के हाथों में हैं प्रान्त संघीय अनुदान के लिए केन्द्र पर निर्भर रहते हैं। उनकी निर्भरता उनकी स्थिति को दुर्बल बना देती है। संविधान के संशोधन का अधिकार भी संघीय शासन से हाथों में है।

संविधान की यह व्यवस्था निश्चित रूप से प्रान्तों की अपेक्षा केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बनाती है जिसके परिणामस्वरूप जब हम केन्द्र और प्रान्तों के पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि संतुलन निश्चित रूप से केन्द्र के पक्ष में है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि कनाडा की शासन-प्रणाली में प्रान्तों का अपना स्वायत्त स्थान नहीं है। अपने क्षेत्र में प्रान्त स्वतन्त्र हैं और अनेक स्वायत्त शक्तियों का उपभोग करते हैं। जैसा कि प्रो० आर० एन० डासन ने कहा है,

“Provincial powers are as full and as complete as those of the Dominion within the areas allotted by the British North America Act, and both Dominion and provincial legislatures may delegate their authority to other bodies of their own creation, but not to each other.”



परिशिष्ट १

ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम, १८६७

कनाडा संघ, नोवास्कोशिया तथा न्यू ब्रन्सविक के लिए तथा उनकी सरकार के लिए, एवं उनसे सम्बन्धित आवश्यकताओं के लिए एक अधिनियम ।

(२१ मार्च, १८६७)

चूँकि कनाडा नोवास्कोशिया तथा न्यू ब्रन्सविक के प्रदेशों ने सिद्धान्ततः युक्तराष्ट्र के समान ही संविधान के साथ, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैण्ड के युक्तराष्ट्र के राजमुकुट के अधीन एक स्वामित्व में संघ रूप से संघटित होने की इच्छा प्रगट की है ।

और चूँकि ऐसा एक संघ (Union) प्रान्तों के कल्याण में सहायक होगा तथा ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की वृद्धि करेगा ।

और चूँकि संसद के अधिकार द्वारा संघ के संस्थापन पर यह कालोचित है कि डोमिनियन में न केवल विधायी प्राधिकार का ही संविधान बनाया जाय, वरन् उसमें कार्यकारी सरकार का स्वरूप भी घोषित कर दिया जाए ।

और चूँकि यह कालोचित है कि ब्रिटिश नार्थ अमेरिका के अन्य भागों के संघ में सामयिक प्रवेश के लिए उपलब्ध बनाया जाए ।

I प्रारम्भिक

१—यह अधिनियम ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम, १८६७ से पुकारा जा सकेगा ।

२—निरसित ।

344-H
38 II संघ

३—महारानी की परममान्य प्रिवी कौंसिल की मंत्रणा से, महारानी के लिए उद्घोषणा करना वैध होगा कि, एक निर्धारित दिवस पर अथवा उसके पश्चात् जो कि

इस अधिनियम के पारित होने से छः मास से अधिक न हो, कनाडा, नोवास्कोतिया तथा न्यू ब्रन्सविके के प्रदेश कनाडा नाम के अन्तर्गत एक डोमिनियन बनाकर रहेंगे, तथा उस तिथि पर या उसके बाद में तीनों प्रदेश तदनुसार उस नाम के अन्तर्गत एक डोमिनियन बनाकर रहेंगे ।

४—जब तक यह अन्यतया प्रगट या समाविष्ट न हो, कनाडा नाम का तात्पर्य इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित कनाडा से लिया जाएगा ।

५—कनाडा, ओन्टारियो, क्यूबेक, नोवास्कोसिया तथा न्यू ब्रन्सविक नामक चार प्रदेशों में विभाजित होगा

६—कनाडा प्रदेश (जैसा यह इस अधिनियम के पारित होने के समय वर्तमान है) के अंग जो पहले क्रमशः उच्च कनाडा और निम्न कनाडा के प्रदेश बनाये थे, अटल समझे जाएंगे और दो अलग-अलग प्रदेश बनाएंगे । वह भाग जो पहले उच्च कनाडा प्रदेश बना था, ओन्टारियो प्रदेश को बनाएगा और वह भाग जो पहले निम्न कनाडा प्रदेश बना था क्यूबेक प्रदेश को बनाएगा ।

७—नोवास्कोतिया और न्यू ब्रन्सविक की वही सीमाये होगी जैसी इस अधिनियम के पारित होने के समय है ।

८—कनाडा की जनसंख्या की वृहत् जनगणना में, जो इस समय सन् एक हजार आठ सौ इकहत्तर में आवश्यक हो गई है, तथा इसके पश्चात् प्रति दसवें वर्ष, चारों प्रदेशों की विशिष्ट जनसंख्या का प्रभेद किया जायगा ।

III कार्यकारी अधिकार

९—कनाडा को तथा उसके ऊपर कार्यकारी सरकार तथा प्राधिकार अब महारानी में अविच्छिन्न तथा निहित घोषित किये जाते हैं ।

१०—गवर्नर जनरल के नाम से निर्दिष्ट होने वाले इस अधिनियम के उपबन्ध वर्तमान काल में कनाडा के गवर्नर जनरल, या अन्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रशासक, चाहे जिस किसी उपाधि से वह नामोदिष्ट हो, जो महारानी के नाम पर तथा उनकी ओर से कनाडा की सरकार को वर्तमान काल में चला रहे हों, विस्कृत तथा लागू होंगे ।

११—कनाडा सरकार के अन्तर्गत सहायता तथा सलाह के लिए एक कौंसिल होगी, जो कनाडा के लिए महारानी की प्रिवी कौंसिल कहलाएगी, और जो व्यक्ति उस कौंसिल के सदस्य होने वाले होंगे वे समय-समय पर गवर्नर जनरल द्वारा चुने जायेंगे और आहूत होंगे तथा प्रिवी कौंसिलरों के रूप में शपथ दिलाये जाएंगे, एवं उसके सदस्य समय-समय पर गवर्नर जनरल द्वारा हटाये जा सकते हैं ।

१२—ग्रेट ब्रिटेन संसद के, अथवा ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की संयुक्त राष्ट्र की संसद के, अथवा उच्च कनाडा, निम्न कनाडा, कनाडा, नोवास्कोतिया,

अथवा न्यू-ब्रन्सविक की विधान-सभा के किसी अधिनियम के अन्तर्गत सभी अधिकार, प्राधिकार और कृत्य, जो उन प्रदेशों के विभिन्न गवर्नरों अथवा लेफ्टिनेंट गवर्नरों में उनकी अपनी कार्यकारी कौंसिलों, अथवा उन कौंसिलों के साथ योग से अथवा उसकी किसी भी संख्या के सदस्यों की सलाह से, अथवा सलाह और सहमति से, अथवा उन गवर्नरों या लेफ्टिनेंट गवर्नरों द्वारा व्यक्तिगत रूप से सङ्घ से निहित अथवा प्रयोग में लाये जाने वाले हैं, वहाँ तक ही अस्तित्व में चले आ रहे हैं तथा कनाडा सरकार से सम्बन्धित सङ्घ की ओर से प्रयोग में लाये जाने के योग्य हैं, वे गवर्नर जनरल में कनाडा के लिए महारानी की प्रीवी कौंसिल की, अथवा उसके किन्ही सदस्यों की सलाह से अथवा सलाह और सहमति से अथवा उसके योगदान से, अथवा गवर्नर जनरल द्वारा स्वयं जैसी की स्थिति हो, निहित होंगे या प्रयोग में लाये जाएँगे, ऐसा होते हुए भी (ग्रेट ब्रिटेन की संसद अथवा ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैण्ड की संयुक्त राष्ट्र की संसद के अधिनियमों के अन्तर्गत अस्तित्व वालों के बारे में छोड़कर) कनाडा की संसद द्वारा उन्मूलन अथवा परिवर्तन के विषय होंगे ।

१३—कौंसिल में गवर्नर-जनरल को निर्दिष्ट करने वाले इस अधिनियम के उपबन्धों का अर्थ, कनाडा के लिए महारानी प्रीवी कौंसिल की सलाह से कार्य करने वाले गवर्नर जनरल को निर्दिष्ट होने वाले उपबन्धों से किया जाएगा ।

१४—यदि महिमामयी उचित समझती हैं तो महारानी के लिए यह वैध होगा कि वे गवर्नर जनरल को समय-समय पर किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों को सामूहिक रूप से या पृथक-पृथक कनाडा के किसी भाग या भागों में अपने लिए या प्रतिनियुक्तों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत करें, और क्षमता में गवर्नर जनरल अपनी संतुष्टि की अवधि में गवर्नर जनरल के अधिकारों, प्राधिकारों और कृत्यों, जैसा कि इसे उनको या उन लोगों को सौंपना आवश्यक या उचित समझता है जो महारानी द्वारा प्रगत या प्रदत्त निर्देशनों तथा मर्यादाओं के भीतर होंगे, प्रयोग करें, परन्तु इस प्रकार प्रतिनियुक्त या प्रतिनियुक्तों की नियुक्ति स्वयं गवर्नर जनरल के अधिकारों, प्राधिकारों या कृत्यों को कार्यों के प्रभावित नहीं करेगी ।

१५—कनाडा की स्थल तथा नौ मिलिशिया, तथा सभी नौ सेना तथा मिलिटरी सेनाओं की मुख्य कमान महारानी में अविच्छिन्न न निहित घोषित की जा रही है ।

१६—जब तक महारानी अन्य प्रकार का निर्देश न करें, कनाडा की सरकार का पीठ (Seat) ओटावा होगा ।

IV विधायी अधिकार

१७—कनाडा की एक संसद होगी जिसमें महारानी, एक अपर हाउस जो सीनेट कहें, तथा हाउस आफ कामन्स होंगे ।

१८—सीनेट द्वारा एवं हाउस आफ कामन्स द्वारा तथा उसके सदस्यों द्वारा क्रमशः प्रातः, उपमुक्त और प्रयुक्त विशेषाधिकार, उन्मुक्तियों और अधिकार ऐसे होंगे जो समय-समय पर कनाडा की संसद के अधिनियम द्वारा परिभाषित होंगे परन्तु इस प्रकार से ताकि कनाडा की संसद का कोई भी अधिनियम जो इस प्रकार के विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों तथा अधिकारों को परिभाषित करता हो, ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैण्ड की संयुक्त राष्ट्र की संसद के हाउस आफ कामन्स तथा उसके सदस्यों द्वारा प्राप्त, उपमुक्त और प्रयुक्त इस प्रकार के इस पारित अधिनियम पर बढ़ने वाले किन्हीं विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों तथा अधिकारों को प्रदान नहीं करेगा।

१९—संघ के उपरान्त कनाडा की संसद ७ महीनों के भीतर बुलायी जायगी।

२०—प्रतिवर्ष कम से कम एक बार कनाडा की संसद की बैठक होगी, ताकि एक अधिवेशन में संसद की अन्तिम बैठक तथा इसकी अगले अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच बारह महीने हस्तक्षेप न कर सकें।

सीनेट

२१—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, एक सौ दो सदस्यों की सीनेट होगी, जो सीनेटर कहे जायेंगे।

२२—सीनेट के निर्माण से संबंधित कनाडा चार मण्डलों का समझा जायगा।

(१) ओन्टारियो

(२) क्यूबेक्

(३) मोरिटाइम, नोवास्कोशिया और न्यू ब्रन्सविक के प्रदेश तथा प्रिंस-एडवर्ड-द्वीप।

(४) मनीटोवा के पश्चिमी प्रदेश, ब्रिटिश कोलम्बिया, सस्केचवान तथा अलबर्टी।

ये चारों मण्डल समान रूप से सीनेट में निम्न प्रकार से (इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत) प्रतिनिधित्व करेंगे, ओन्टारियो चौबीस सीनेटरों से, क्यूबेक् सीनेटरों से मेरी टाइम के प्रदेश तथा प्रिंस एडवर्ड द्वीप चौबीस सीनेटरों से, जिनमें से दस नोवास्कोशिया का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनमें से, दस न्यूब्रन्सविक का प्रतिनिधित्व करेंगे, तथा जिनमें से चार प्रिंस एडवर्ड द्वीप का प्रतिनिधित्व करेंगे, पश्चिमी प्रदेश चौबीस सीनेटरों से, जिनमें से ६ मनीटोवा का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनमें से छः ब्रिटिश कोलम्बिया का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनमें से छः सस्केचवान का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा जिनमें से छः अलबर्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे; न्यू-फाउण्डलैण्ड सीनेट में छः सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकारी होगा।

क्यूबेके के सम्बन्ध में उस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक चौबीस सीनेटर निम्न कनाडा के चौबीस निर्वाचन मंडलों में से एक के लिए नियुक्त होंगे ।

२३—सीनेटर की योग्यता निम्नलिखित प्रकार से होगी :—

(१) वह पूर्ण तीस वर्षों की आयु का होगा ।

(२) वह या तो महारानी की सहजोत्पन्न प्रजा होगा, या ग्रेट ब्रिटेन की संसद, ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैन्ड की संयुक्त राष्ट्र की संसद या उच्च कनाडा, निम्न कनाडा, कनाडा, नोवास्कोतिया प्रदेशों में से किसी एक के विधान मंडल द्वारा, या सङ्घ के पूर्व न्यू ब्रन्सविक, या सङ्घ के उपरान्त कनाडा की संसद के अधिनियम द्वारा सहजीकृत महारानी का प्रजा होगा ।

(३) वह नियमतः या समन्यायतः अपने निजी प्रयोग तथा लाभ की भूमि या आभुक्ति जो मुक्त या सामान्य खिदमती आराजी के रूप में रखी हो, के पूर्ण स्वामी के रूप में गृहीत होगा, तथा सभी किराया, वकाया ऋण, प्रभार, बंधक तथा भार जो बाकी हो या देय हो या वमूल किया जाय या उसको प्रभावित करे, के बाद अपने प्रदेश में जिसके लिए वह नियुक्त है : चार हजार डालरों के मूल्य के फ्रैंक-अल्यू या रोटर में अधिकृत व्यक्तिगत प्रयोग या लाभ की भूमि या आभुक्ति के लिए पकड़ा या पेश किया जायगा ।

(४) उसकी वास्तविक और निजी सम्पत्ति सम्मिलित रूप से ऋणों और दायित्वों के ऊपर चार हजार डालरों के मूल्य की होगी ।

(५) वह जिस प्रदेश के लिए नियुक्त होगा उसी का निवासी होगा ।

(६) क्यूबेक् के सम्बन्ध में वह अपनी वास्तविक सम्पत्ति योग्यता उस निर्वाचन-मंडल में रखेगा जिसके लिए वह नियुक्त हुआ है, अथवा वह उस मंडल का निवासी होगा ।

२४—महारानी के नाम पर गवर्नर जनरल समय-समय पर, कनाडा की महती मुद्दे के अन्तर्गत साधन द्वारा सीनेट में योग्य पुरुषों का आवाहन करेगा; तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत इस प्रकार के आहूत व्यक्ति सीनेट के सदस्य तथा एक सीनेटर हों जायेंगे ।

२५—निरसित ।

२६—यदि किसी समय गवर्नर जनरल की सिफारिश पर महारानी सीनेट में चार या आठ सदस्य बढ़ाना ठीक समझती हैं तो गवर्नर जनरल उसके अनु-सार आवाहन द्वारा, कनाडा के चारों मंडलों का बराबर प्रतिनिधित्व करने वाले चार या आठ योग्य व्यक्तियों को (जैसी भी स्थिति हो) सीनेट में जोड़ सकता है ।

२७—इस प्रकार किसी समय किए गए जोड़ की स्थिति में, इसी प्रकार की सिफारिश पर महारानी के पुननिर्देश के अलावा, गवर्नर जनरल किसी व्यक्ति को चार मंडलों में से एक का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जब तक कि इस प्रकार के मंडल का प्रतिनिधित्व २४ सीनेटरों से अधिक द्वारा नहीं किया जा रहा है, सीनेट में नहीं बुलाएगा।

२८—किसी भी समय सीनेटरों की संख्या एक सौ आठ से आगे नहीं बढ़ेगी।

२९—इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, एक सीनेटर सीनेट में अपने पद पर आजीवन रहेगा।

३०—एक सीनेटर अपने हाथों से गवर्नर जनरल के नाम से लिखकर सीनेट में अपने पद का त्याग कर सकता है, और उसके बाद वह (पद) रिक्त हो जायगा।

३१—सीनेटर का पद निम्नलिखित स्थितियों में से किसी में भी रिक्त हो जायगा।

(१) यदि संसद के दो लगातार अधिवेशनों में वह सीनेट में हाजिरी देने से असमर्थ हो जाता है।

(२) यदि वह एक विदेशी शक्ति के लिए शपथ लेता है, या उसके प्रति निष्ठा, आज्ञाकारिता, या लगाव की घोषणा करता है या स्वीकृत करता है, अथवा ऐसा कार्य करता है जिससे एक विदेशी शक्ति की प्रजा या नागरिक बन जाता है या नागरिक के अधिकारों एवं सुविधाओं का अधिकारी बन जाता है।

(३) यदि वह दिवालिया निर्णीत होता है, या दिवालिया कर्जदार से सम्बन्धित किसी कानून के लाभ के लिए प्रार्थना पत्र देता है, या जनसाधारण का चूककर्ता बन जाता है।

(४) यदि वह राजद्रोह में पाया जाता है, या महापराध या किसी कुख्यात अपराध में सिद्धदोष होता है।

(५) यदि वह आवास या सम्पत्ति के सम्बन्ध में अयोग्य बन जाता है; बशर्त कि वह सीनेटर कनाडा सरकार के पीठ (Seat) पर उस सरकार द्वारा उस स्थान पर उसका रहना आवश्यक समझने पर यदि वह रहता है तो इस कारण से आवास के सम्बन्ध में योग्यता से वह वंचित नहीं होगा।

३२—सीनेट में त्याग पत्र, मृत्यु अथवा अन्य तरह से जब स्थान रिक्त होता है तब गवर्नर जनरल आवाहन द्वारा एक ठीक और योग्य व्यक्ति से रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा।

३३—यदि किसी सीनेटर की योग्यता के बारे में या सीनेट में रिक्त स्थान के बारे में कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो वह सीनेट द्वारा सुना वह निश्चित किया जायगा ।

३४—गवर्नर- जनरल समय-समय पर कनाडा की महती मूहर के अन्तर्गत साधन द्वारा एक सीनेटर को सीनेट का अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा, और उसे हटाकर उसके स्थान पर किसी दूसरे को नियुक्त कर सकेगा ।

३५—जब तक कनाडा की संसद अन्यथा प्रबन्ध न करे, अध्यक्ष को लेकर कम से कम पन्द्रह सीनेटरों की उपस्थिति सीनेट के अधिकारों के कार्यान्वय के लिए सभा बनाने के लिए आवश्यक होगी ।

३६—सीनेट में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्णय बहुमत से होगा, और अध्यक्ष का सभी स्थितियों में एकमत होगा, तथा जब मत बराबर हों तो निर्णय नकारात्मक समझा जायगा ।

हाउस आफ कामन्स

३७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, हाउस आफ कामन्स दो सौ पैंसठ सदस्यों का होगा जिसमें से पचासी ओन्टारियों के लिए, पचहत्तर क्यूबेक् के लिए, बारह नोवास्कोतिया के लिए, दस न्यू ब्रन्सविक के लिए, चार प्रिंस एडवर्ड द्वीप के लिए, सत्रह अलबर्टा के लिए, सत्रह सस्केचवान के लिए, सात न्यू फाउन्डलैंड के लिए, एक यूकोन राज्यक्षेत्र के लिए तथा एक उत्तर-पश्चिम राज्यक्षेत्रों के मैकेन्जी जिले के लिए निर्वाचित होंगे ।

३८—गवर्नर जनरल समय-समय पर, महारानी के नाम पर कनाडा की महती मूहर के अन्तर्गत साधन द्वारा हाउस आफ कामन्स का आपाहन करेगा और साथ ही बुलाएगा ।

३९—कोई सीनेटर हाउस आफ कामन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने या बैठने या मत देने का अधिकारी न होगा ।

४०—जब तक कि कनाडा की संसद अन्यथा प्रबन्ध न करे, हाउस आफ कामन्स में सेवा करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन हेतु ओन्टारिया, क्यूबेक नोवास्कोतिया तथा न्यू-ब्रन्सविक निम्नलिखित निर्वाचनीय जिलों में विभाजित होंगे ।

१—ओन्टारियो

ओन्टारियो इस अधिनियम की प्रथम तालिका में प्रणालित काउन्टियों के पीठों, नगरों, नगर के अंगों, तथा कस्बों में विभाजित होगा, जिनमें से प्रत्येक निर्वाचनीय जिला होगा, प्रत्येक जिला उस तालिका की संख्या के अनुसार एक सदस्य भेजने का अधिकारी होगा ।

२—क्यूबेक

क्यूबेक पैंसठ निर्वाचनीय जिलों में विभाजित तथा पैंसठ निर्वाचनीय मंडलों में गठित होगा, जिनमें निम्न कनाडा, इस अधिनियम के पारित होने पर कनाडा की समेकित संविधियाँ अध्याय दो, निम्न कनाडा के लिए समेकित संविधियाँ, अध्याय पचहत्तर, तथा महारानी के तेइसवें वर्ष के कनाडा के प्रदेश के अधिनियम अध्याय एक, अथवा अन्य कोई उसी के संशोधितनियम जो सङ्घ पर लागू हों के अन्तर्गत विभाजित है, ताकि प्रत्येक निर्वाचन मंडल इस अधिनियम के हेतु एक निर्वाचनीय जिले से एक सदस्य भेजने के अधिकारी होंगे ।

३—नोवास्कोतिया

नोवास्कोतिया की प्रत्येक अठारहों कउन्टियाँ एक निर्वाचनीय जिला होंगी । हेलीफाक्स की काउन्टी दो सदस्य भेजने की अधिकारी होगी ।

४—न्यू ब्रन्सविक्

सेस्ट जान नगर और काउन्टी को मिलाकर प्रत्येक चौदह काउन्टियों के जिनमें न्यू ब्रन्सविक् विभाजित है, एक निर्वाचन, जिले होंगे । सेंट जान नगर । भी एक अलग निर्वाचनीय जिला होगा । उन पन्द्रह निर्वाचनीय जिलों में से प्रत्येक को एक सदस्य भेजने का अधिकार होगा ।

४१—जब तक कनाडा की संसद अन्यथा प्रबन्ध न करे, निम्नलिखित विषयों या उनमें से किसी से सम्बन्धित सङ्घ के अनेक प्रदेशों में चल रहे सभी नियम उन्हीं प्रदेशों के लिए हाउस आफ कामन्स सेवा करने के लिए सदस्यों के निवर्चानों पर लागू होंगे— नामतः अनेक प्रदेशों के विधान सभा या सभाभवन के सदस्यों के रूप में चुने जाने, बैठने या मत देने के लिए व्यक्तियों की योग्यताएँ तथा अयोग्यताएँ ऐसे सदस्यों के निर्वाचनों के मतदाता, मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों, उनके अधिकारों व कर्तव्यों के लिए ली जाने वाली शपथ, निर्वाचनों की कार्यवाही, अवधियाँ जिनमें निर्वाचन अविच्छिन्न रह सकते हों, विवाद्गस्त निर्वाचनों की मुनवाई, तथा उनमें घटित कार्यवाहियाँ, सदस्यों की पदे.रिक्तता तथा समापन (भंग) के अलावा रिक्त पदों के लिए नए प्रदेशों का कार्यन्वत अपने विभिन्न प्रदेशों के लिए हाउस आफ कामन्स में सेवा करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन पर क्रमशः लागू होंगे ।

बशर्त कि जब तक कनाडा की संसद अन्यथा प्रबन्ध न करे, हाउस आफ कामन्स के लिए अल्गोमा जिले से सदस्य के किसी भी निर्वाचन में, कनाडा प्रदेश के नियम द्वारा मत देने के योग्य व्यक्तियों के अतिरिक्त, इक्कीस अथवा इससे ऊपर की अवस्था का प्रत्येक पुरुष ब्रिटिश प्रजा जो गृहस्थ हो, एक मत दे सकेगा (१६) ।

४२—निरसित । (२०)

४३—निरसित । (२१)

४४—महानिर्वाचन के उपरान्त अपनी पहली बैठक में ही हाउस आफ कामन्स यथा सम्भव शीघ्र अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुनने को अग्रसर होगा ।

४५—मृत्यु त्यागपत्र या अन्य किसी वजह से अध्यक्ष पद रिक्त हो जाने की स्थिति में हाउस आफ कामन्स यथा सम्भव शीघ्र अपने सदस्यों में से दूसरे को अध्यक्ष चुनने को अग्रसर होगा ।

४६—मृत्यु, त्याग-पत्र, या अन्य किसी वजह से अध्यक्ष पद रिक्त हो जाने की स्थिति में हाउस आफ कामन्स यथा सम्भव शीघ्र अपने सदस्यों में से दूसरे को अध्यक्ष चुनने को अग्रसर होगा ।

४७—अध्यक्ष हाउस आफ कामन्स की सभी सभाओं की अध्यक्षता करेगा ।

४८—जब तक कनाडा की संसद अन्यथा प्रबन्ध न करे, किसी कारण से हाउस आफ कामन्स के आसन से लगातार अड़तालीस घण्टे अवधि की अध्यक्षता की अनुपस्थिति की स्थिति में, हाउस आफ कामन्स अपने सदस्यों में से एक दूसरे को अध्यक्ष का कार्य करने के लिए चुन सकता है, तथा इस प्रकार चुना हुआ सदस्य अध्यक्ष की अनुपस्थिति की अवधि में अध्यक्ष के सारे अधिकारों, तथा कर्तव्यों को कार्यान्वित करेगा । (२२)

४९—अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए भवन की सभा बनाने के लिए हाउस आफ कामन्स के काम से कम बीस सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, और इस उद्देश्य के लिए अध्यक्ष एक सदस्य समझा जायगा ।

५०—हाउस आफ कामन्स में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्याय अध्यक्ष के मत बराबर हो जायें, किन्तु अन्य स्थिति में नहीं, तब अध्यक्ष का एक मत होगा ।

५१—प्रत्येक हाउस आफ कामन्स, हाउस के चयन के लिए प्रदेश को निवृत्ति की तिथि से लेकर पाँच वर्षों तक चलता रहेगा, अधिक नहीं (गवर्नर जनरल द्वारा इसके पूर्व भी भंग होने का विकल्प है) ।

५२—(१) इसके बाद के प्रबन्ध का विषय हाउस आफ कामन्स के सदस्यों की संख्या दो सौ तिरसठ होगी तथा उसमें के प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का पुनः समंजन प्रत्येक दशवार्षिक जनगणना के पूर्ण होने व इस प्रविभाग के लागू होने पर तथा उसके उपरान्त ऐसे अधिकारी, ऐसे तरीके तथा ऐसे समय से होगा जैसा कि समय-समय पर कनाडा की संसद प्रबन्ध करे, जो निम्नलिखित नियमों का विषय व उनके अनुरूप होगा ।

१—प्रदेशों की सारी जनसंख्या को दो सौ इकसठ से भाग देकर प्रत्येक प्रदेश के सदस्यों की एक संगठित संस्था निर्धारित कर दी जाएगी तथा इस प्रकार प्राप्त मापक द्वारा प्रत्येक प्रदेश की संख्या को विभाजित कर, इस प्रविभाग में आगे की जाने वाली व्यवस्था के अलावा, शेषांक पर, इस प्रकार के विभाजन के तरीके के वाद, ध्यान न दिया जाएगा ।

२—नियम एक के अनुसार प्रदेशों की निश्चित सदस्यों की सम्पूर्णा संख्या यदि दो सौ इकसठ से कम हुई तो प्रदेशों के लिए (एक प्रदेश के लिए एक) अतिरिक्त सदस्य निर्धारित होंगे जिनमें नियम एक के अनुसार प्रदेश संगणना के बचे हुए अधिकतम बाकी लोग रहेंगे एवं अपने बकाया विशेष के विस्तार के अनुसार अन्य प्रदेशों से अविच्छिन्न रहेंगे जब तक कि सदस्यों की पूरी संख्या दो सौ इकसठ न हो जाय ।

३—इस प्रविभाग में कुछ रहने पर भी यदि एक ओर दो नियमों के अन्तर्गत पूर्ण हुई संगणना के उपरान्त उस प्रदेश के निर्धारित सदस्यों की संख्या उस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनेटरों की संख्या से कम हुई तो पहले और दूसरे नियम उस प्रदेश के लिए लागू न होंगे और कथित प्रदेश के लिए सीनेटरों की संख्या के बराबर ही सदस्यों की भी निर्धारित कर दी जाएगी ।

४—यदि एक प्रदेश के लिए पहले व दूसरे नियम लागू नहीं होते उनकी जनसंख्या से घटा दी जाएगी तथा दो सौ इकसठ संख्या उस प्रदेश के तीसरे नियम के अनुसार निर्धारित सदस्यों की संख्या से घटा दी जायगी ।

५—इस प्रकार के किसी भी पुनर्संमंजन पर किसी प्रदेश के सदस्यों की संख्या में इस उप-प्रविभाग के नियम एक से चार के अन्दर आने वाले उस राज्य की पिछली पूर्ववर्ती संगणना में प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक की कमी न की जाएगी, और किसी भी प्रदेश के प्रतिनिधित्व में ऐसी कमी न की जाएगी जिसके परिणाम स्वरूप उस प्रदेश के सदस्यों की संख्या पिछली दशवाषिक जनगणना में किसी कम आबादी वाले प्रदेश के सदस्यों की संख्या से भी कम हो जाए, परन्तु इस प्रविभाग के अन्तर्गत प्रतिनिधित्व के किसी परवर्ती पुनर्संमंजन के लिए, इस नियम के लागू होने के फलस्वरूप हाइस आफ कामन्स के सदस्यों में कोई वृद्धि इस उपप्रविभाग के पहले से चौथे नियमों में अंकित विभाजक में शामिल नहीं की जाएगी ।

६—जब तक उस समय वर्तमान संसद समाप्त नहीं हो जाती तब तक ऐसे पुनर्संमंजन प्रभावकर नहीं होंगे ।

(२) स्टेच्यूट्यूस आफ कनाडा, १९०१ के अध्याय इकतालीस द्वारा निर्मित यूकोन राज्यक्षेत्र एक सदस्य का अधिकारी होगा, और कनाडा की संसद द्वारा समय-

समय पर परिभाषित ऐसे अन्य कनाडा के हिस्से जो किसी एक प्रदेश में नहीं हैं, एक सदस्य के अधिकारी होंगे (२३)।

यह प्रविभाग स्टेट्यूट ला रिविजन ऐक्ट, १८६३, ५६-५७ विक्ट० सी० १४ (यू० के०) द्वारा "जनगणना का" से "इकहत्तर और" तथा "परवर्ती" शब्दों के निरसन द्वारा संशोधित हुआ।

१९४१ की जनगणना के उपरान्त होने वाला सीटों का पुनर्वितरण ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम, १९४१, ६-७ जार्ज vi, सी० ३० (यू० के०) द्वारा बद्ध के वाद संसद के पहले अधिवेशन तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। यह प्रविभाग निम्नलिखित प्रकार से ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम, १४६, ९-१०, जार्ज vi, सी० ६३ (यू० के०) द्वारा पुनः अधिनियमित, किया गया था।

५१—(१) हाउस आफ कामन्स के सदस्यों की संख्या दो सौ पचपन होगी तथा उसमें के प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समंजन प्रत्येक दशवार्षिक जनगणना के पूर्ण होने पर इस प्रविभाग के लागू होने पर तथा उसके उपरान्त ऐसे अधिकारी, ऐसे तरीके तथा ऐसे समय से होगा जैसा कि समय पर कनाडा की संसद प्रबन्ध करे; जो निम्नलिखित नियमों का विषय व उनके अनुरूप होगा।

(१) इसके बाद के प्रबन्ध का विषय; प्रत्येक प्रदेश के लिए उतने सदस्य निर्धारित किए जाएंगे जितने कि प्रदेशों की सारी जनसंख्या दो सौ चौवन से विभाजित करने तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या द्वारा प्रत्येक प्रदेश की जनसंख्या का विभाजन करने पर यदि कोई शेषांक आता है तो इस विभाजन में आगे किए गए प्रबन्ध को छोड़कर, उसका ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(२) नियम एक के अनुसार प्रदेशों की निश्चित सदस्यों की संपूर्ण संख्या यदि दो सौ चौवन से कम हुई तो, प्रदेशों के लिए (एक प्रदेश के लिए तक) अतिरिक्त सदस्य निर्धारित होंगे जिनमें नियम एक के अनुसार प्रदेश संगणना के बचे हुए अधिकतम बाकी लोग रहेंगे एवं अपने बकाया विशेष के विस्तार के अनुसार अन्य प्रदेशों से अविच्छिन्न रहेंगे जब तक कि सदस्यों को पूरी संख्या दो सौ चौवन न हो जाए।

५१—इस अधिनियम के होते हुए भी एक प्रदेश हाउस आफ कामन्स में सदस्यों की उस संख्या का सर्वदा अधिकारी होगा जो उस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनेटरों की संख्या से कभी भी कम न होगी। (२४)

५२—यदि इस अधिनियम द्वारा प्रदेशों को प्रदत्त सामान्य प्रतिनिधित्व में कोई गड़बड़ी न उत्पन्न हो तो समय-समय पर कनाडा को संसद द्वारा हाउस आफ कामन्स के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है।

मुद्रा मत : शाही सम्मति

५३—जन राजस्व के किसी अंश के विनियोग के लिए, या कर या लागू (Impost) लगाने के लिए विधेयक हाउस आफ कामन्स को जन-राजस्व के किसी अंश, या किसी कर या लागू के विनियोग के किसी उद्देश्य के लिए किसी मत, प्रस्ताव, भाषण या विधेयक ग्रहण करना या पारित करना वैध न होगा जब तक उसके लिए, उस अधिवेशन में जिसमें ऐसा मत, प्रस्ताव, भाषण, या विधेयक रखा जाने वाला हो, गवर्नर जनरल से पहले संदेश द्वारा सदन के लिए अनुमोदन न लिया गया हो।

५५—जब संसद के सदनों द्वारा पारित विधेयक महारानी की सम्मति के लिए गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब वह अपने विवेक से, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के तथा महारानी के निर्देशों के अधीन होगा, घोषित करेगा कि वह या तो महारानी के नाम पर सम्मति देता है, या वह महारानी की सम्मति को रोकता है, या वह महारानी की इच्छा पर सार्थकता के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है।

५६—जब गवर्नर जनरल महारानी के नाम पर एक विधेयक को सम्मति दे देता है, वह प्रथम सुलभ सुयोग द्वारा उस अधिनियम को एक आधिकारिक प्रतिलिपि महारानी के राज्य के प्रमुख सचिवों में से एक के पास भेजेगा, और यदि कौंसिल में महारानी राज्य के सचिव से प्राप्त होने की तिथि के दो वर्षों के भीतर अधिनियम की अस्वीकृति उचित समझती हैं तो, ऐसी अस्वीकृति (जिस दिन अधिनियम राज्य के सचिव द्वारा प्राप्त किया गया था उसके एक प्रपत्र के साथ) गवर्नर जनरल द्वारा सार्थक होने पर, संसद के प्रत्येक सदनों में भाषण वा संदेश द्वारा या उद्धोषणा द्वारा अधिनियम की सार्थकता उस दिन से या उसके बाद समाप्त कर देंगी।

५७—महारानी की इच्छा पर सार्थक होने वाला कोई विधेयक तब तक प्रभावकर न होगा जब तक, जिस दिन महारानी की सम्मति के लिए गवर्नर जनरल के यहाँ उपस्थित किया गया था उससे दो वर्षों के भीतर, गवर्नर जनरल संसद के प्रत्येक सदनों को भाषण या सन्देश द्वारा या उद्धोषणा द्वारा यह प्रकट न कर दें कि इस पर कौंसिल में महारानी की सम्मति प्राप्त हो चुकी है।

इस प्रकार के प्रत्येक भाषण, उन्देश या उद्धोषणा की प्रविष्टि प्रत्येक सदन की पत्रिका में की जायगी, तथा उसकी एक ठीक से साक्ष्यकित अनुलिपि कनाडा के रिकार्डों में रखने के लिए सम्बद्ध अधिकारी को प्रदान की जायगी।

v प्रादेशिक संगठन

कार्यकारी अधिकार

५८—कनाडा की महती मुहर के अन्तर्गत कौंसिल में गवर्नर जनरल द्वारा प्रत्येक प्रदेश के लिए एक अधिकारी नियुक्त होगा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जायगा।

५९— एक लेफिटनेन्ट गवर्नर अपना पद गवर्नर जनरल की इच्छा तक सम्हालेगा परन्तु कनाडा की संसद के प्रथम अधिवेशन के प्रारम्भ होने के उपरान्त नियुक्त लेफिटनेन्ट गवर्नर अपनी नियुक्ति से पाँच वर्षों के भीतर, निर्धारित कारण के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकेगा, जो कारण उसके हटाये जाने के आदेश के बाद एक महीने के भीतर उसके पास लिखित रूप में भेजा जाएगा, तथा उसके बाद यदि संसद की बैठक उस समय हो तो एक सप्ताह के भीतर सन्देश द्वारा सीनेट और हाउस आफ कामन्स के पास भेजा जाएगा, और यदि बैठक उस समय नहीं होती हो तो आगे आने वाले संसद के अधिवेशन के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के भीतर भेजा जाएगा।

६०—लेफिटनेन्ट गवर्नरों के वेतन कनाडा की संसद द्वारा निश्चित व प्रदान किए जायेंगे। (२५)

६१—प्रत्येक लेफिटनेन्ट गवर्नर, अपने पद के कर्तव्यों के अभिग्रहण के पूर्व गवर्नर जनरल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष पद और निष्ठा की शपथ लेगा जैसा कि गवर्नर जनरल द्वारा लिया गया था।

६२—लेफिटनेन्ट गवर्नर को निर्दिष्ट होने वाले इस अधिनियम के उपबन्ध फिलहाल प्रत्येक प्रदेश के लेफिटनेन्ट गवर्नर या अन्य मुख्य कार्यकारी अधिकार या प्रशासक जो फिलहाल प्रदेश की सरकार को चला रहे हों, चाहे जिस किसी उपाधि से वे अभिहित हों, पर विस्तृत व प्रयुक्त होंगे।

६३—ओन्टारियो और क्यूबेक की कार्यकारी कौंसिल ऐसे व्यक्तियों से बनेगी जिन्हें लेफिटनेन्ट गवर्नर समय-समय पर ठीक समझता है, और पहली बार निम्नलिखित अधिकारी होंगे—महान्यायवादी, प्रदेश के सचिव एवं रजिस्ट्रार, प्रदेश के कोषाध्यक्ष, क्राउन लैगड्स के आयुक्त, तथा कुछ एवं जनकार्य के आयुक्त, साथ ही क्यूबेक में विधायी समिति के अध्यक्ष तथा महान्यायाभिकर्ता। (२६)

६४— इस अधिनियम के अधिकार के अधीन परिवर्तन तक नोवास्कोविया और न्यूब्रन्सविक के प्रत्येक प्रदेश में कार्यकारी अधिकार का गठन संघ में, इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, वैसे ही अविच्छिन्न रहेगा जैसे कि इस समय वर्तमान है। (२६-अ)

६५—ग्रेट ब्रिटेन की संसद के, अथवा ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैण्ड की संयुक्त राष्ट्र की संसद के, अथवा उच्च कनाडा, निम्न कनाडा या कनाडा की विधानसभा के किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत, सभी अधिकार, प्राधिकार, एवं कृत्य, जो उन प्रदेशों के निमित्त गवर्नरों अथवा लेफिटनेन्ट गवर्नरों में, उनकी अपनी कार्यकारी कौंसिल की सलाह या सलाह तथा सहमति से अथवा उन कौंसिलों के योग से, अथवा उनकी किसी भी संख्या के सदस्यों की सलाह से, अथवा उन गवर्नरों या लेफिटनेन्ट गवर्नरों में व्यक्तिगत रूप से थे, या पहले से हैं, या संघ में निहित या प्रयोग में लाए जाने वाले हैं वे, जहाँ

तक क्रमशः ओन्टारियो और क्यूबेक की सरकार में सम्बन्धित संघ की ओर से प्रयोग में लाए जाने के योग्य हैं, ओन्टारियो और क्यूबेक के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर में क्रमशः उनकी कार्यकारी कौंसिलों अथवा उनके किन्हीं सदस्यों की सलाह से, अथवा सलाह और सहमति से अथवा उनके योगदान से, अथवा लेफ्टिनेन्ट गवर्नर द्वारा स्वयं, जैसी कि स्थिति हो, निहित होंगे या प्रयोग में लाए जायेंगे, ऐसा होते हुए भी ग्रेट ब्रिटेन की संसद, या ब्रिटेन और आयरलैंड की संयुक्त राष्ट्र की संसद के अधिनियमों के अन्तर्गत अस्तित्व के बारे में छोड़कर) ओन्टारियो तथा क्यूबेक की विधान-सभाओं द्वारा उन्मूलन या परिवर्तन के विषय होंगे। (२७)

६६—कौंसिल में लेफ्टिनेन्ट गवर्नर को निर्देश करने वाले इस अधिनियम के उपबन्ध उस प्रदेश का कार्यकारी कौंसिल की सलाह से कार्य करने वाले लेफ्टिनेन्ट गवर्नर को निर्दिष्ट होने वाले समझे जाएँगे।

६७—कौंसिल में गवर्नर जनरल समय-समय पर लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य असमर्थता में उसके पद और कार्यों के निर्वाह के लिए एक प्रशासक को नियुक्त करेगा।

६८—जब तक किसी प्रदेश की कार्यकारी सरकार उस प्रदेश के लिए अन्यथा निर्देश न दे, प्रदेशों की सरकार के केन्द्र निम्न प्रकार से होंगे, यथा ओन्टारियो का टोररटो नगर, क्यूबेक नगर, नोवास्कोतिया का हेलीफाक्स, तथा न्यूब्रन्सविक का फ्रेडे-रिक्टन नगर।

विधायी अधिकार

१—ओन्टारियो

६९—ओन्टारियो के लिए लेफ्टिनेन्ट गवर्नर तथा एक सदन से बना एक विधान मंडल होगा जिसे ओन्टारियो की विधान-सभा कहा जायगा।

७०—ओन्टारियो की विधान-सभा बयासी सदस्यों की होगी जो इस अधिनियम की पहली तालिका में आंकित बयासी निर्वाचनीय जिलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित होंगे। (२८)

२—क्यूबेक

७१—क्यूबेक के लिए लेफ्टिनेन्ट गवर्नर तथा दो सदनों का एक विधान मंडल होगा, जिन्हें क्यूबेक की विधान-सभा कहा जायगा।

७२—क्यूबेक की विधान-परिषद् चौबीस सदस्यों की होगी, जो महारानी के नाम पर, क्यूबेक की महती मुहर के अन्तर्गत साधन द्वारा लेफ्टिनेन्ट गवर्नर द्वारा नियुक्त होंगे, जो नियम में निर्दिष्ट निम्न कनाडा के प्रत्येक चौबीस निर्वाचनीय जिलों का प्रतिनिधित्व करेंगे और जब तक इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत क्यूबेक का

विधान-मंडल अन्यथा प्रबन्ध न करे, प्रत्येक अपने जीवन की अवधि तक पद पर बने रहेंगे। (२९)

७३—क्यूबेक के विधायी पार्षद की योग्यताएँ वही होंगी जो क्यूबेक के लिए सीनेटरों की हैं। (३०)

७४—क्यूबेक के विधायी पार्षद का स्थान उन स्थितियों में रिक्त हो जायगा जिनमें सीनेटर का स्थान रिक्त हो जाता है।

७५—जब क्यूबेक की विधान-परिषद् में त्याग-पत्र, मृत्यु या अन्य रीतियों से स्थान रिक्त होता है तब लेफ्टिनेन्ट गवर्नर महारानी के नाम पर, क्यूबेक की महती मुहर के अन्तर्गत साधन द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए एक ठीक और योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करेगा।

७६—यदि क्यूबेक के एक विधायी पार्षद को योग्यता या क्यूबेक की विधान परिषद् में रिक्तता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो वह विधान परिषद् में मुनाब व निश्चित किया जायेगा।

७७—क्यूबेक की महती मुहर के अन्तर्गत साधन द्वारा लेफ्टिनेन्ट गवर्नर समय-समय पर क्यूबेक की विधान-परिषद् के एक सदस्य को उसका अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है, उसे हटा सकता है तथा उसके स्थान पर दूसरे को नियुक्त कर सकता है। (३१)

७८—जब तक क्यूबेक का विधानमंडल अन्यथा प्रबन्ध न करे, अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सभा होने के लिए, अध्यक्ष को मिलाकर विधान परिषद् के कम से कम दस सदस्यों की उपस्थित आवश्यक होगी।

७९—क्यूबेक की विधान परिषद् में उत्पत्ति होने वाले प्रश्न बहुमत द्वारा हल किए जायेंगे, तथा अध्यक्ष सभी स्थितियों में एक मत का हकदार होगा, तथा जब मत बराबर होंगे तब निर्णय नकारात्मक समझा जायेगा।

८०—क्यूबेक की विधान-सभा पैंसठ सदस्यों की होगी, जो इस अधिनियम में निर्दिष्ट निम्न कनाडा के पैंसठ निर्वाचनीय जिलों अथवा मंडलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाएँगे, जो क्यूबेक के विधानमंडल द्वारा परिवर्तन के विषय होने बशर्ते कि इस अधिनियम के द्वितीय तालिका में अंकित किन्हीं निर्वाचनीय मंडलों या जिलों की सीमा परिवर्तन के लिए क्यूबेक के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के समक्ष प्रस्तुत कोई विधेयक लैध न होगा, जब तक कि ऐसे विधेयक का दूसरा और तीसरा पठन विधान-सभा में उन सभी निर्वाचनीय मंडलों या जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के बहुमत की सहमति से पारित नहीं हो जाता, तथा ऐसे विधेयक पर अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक विधान-सभा द्वारा लेफ्टिनेन्ट गवर्नर को यह विज्ञति उपस्थित न की जाय कि यह अमुक प्रकार से पारित हुआ है। (३२)

३—ओन्टारियो तथा क्यूबेक

८१—निरसित । (३३)

८२—ओन्टारियो और क्यूबेक का लेफ्टिनेन्ट गवर्नर समय-समय पर, महाराजो के नाम पर, प्रदेश को महती मुहर के अन्तर्गत साधन द्वारा, प्रदेश की विधान-सभा का आह्वान करेगा व साथ में बुलाएगा ;

८३—जब तक ओन्टारियो या क्यूबेक का विधान मंडल अन्यथा प्रबन्ध न करे, लेफ्टिनेन्ट गवर्नर द्वारा नामांकित एक व्यक्ति जो ओन्टारियो या क्यूबेक में किसी स्थायी या अस्थायी पद आयोग या सेवा को ग्रहण या स्वीकार किए हो, जिसका प्रदेश से किसी एक वार्षिक वेतन, या किसी शुल्क, भत्ता, उपलब्धि या किसी प्रकार के लाभ या रकम से सम्बन्ध हो, अपने प्रदेश की विधान-सभा का सदस्य होने के योग्य न होगा, न तो वह इस प्रकार बैठ सकेगा, न मत दे सकेगा परन्तु यह प्रतिभाग किसी भी ऐसे व्यक्ति को अयोग्य नहीं बना सकता है जो अपने प्रदेश की कार्यकारी कौंसिल का सदस्य हो या निम्नलिखित पदों में से किसी एक पर हो, जैसे महान्यायवादी पद, प्रदेश या सचिव या रजिस्ट्रार, प्रदेश का कोषाध्यक्ष, क्राउनलैन्ड्स का आयुक्त, तथा क्यूबेक में महान्यायिकर्ता या जिस सदन के लिए वह निर्वाचित हुआ है उसमें बैठने या मत देने के लिए अयोग्य करार दिया जा सकता है; बशर्ते वह अपने पद पर रहते हुए निर्वाचित हो । (३४)

८४—जब तक ओन्टारियो और क्यूबेक के विधानमंडल क्रमशः लागू हैं, ओन्टारियो और क्यूबेक की अपनी विधान-सभाओं में सेवा करने वाले सदस्यों के निर्वाचन पर क्रमशः लागू होंगे, नामतः कनाडा की सभा में सदस्यों की हैसियत से निर्वाचित होने, बैठने या मत देने के लिए व्यक्तियों की योग्यताएँ तथा अयोग्यताएँ, मतदाताओं की योग्यताएँ तथा अयोग्यताएँ, मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथें, निर्वाचन अधिकारी, उनके अधिकार व कर्तव्य, निर्वाचनों की कार्यवाहियाँ, वे अवधियाँ, जिनमें ऐसे निर्वाचन अविच्छिन्न रहते हैं विवादग्रस्त निर्वाचनों एवं उसकी कार्यवाही की घटनाओं पर विचार, सदस्यों का पद रिक्त होना, तथा भंग के अतिरिक्त रिक्तपद की स्थिति में नए प्रदेश जारी करना तथा कार्य में लाना ।

वशते कि, जब तक ओन्टारियो का विधानमंडल अन्यथा प्रबन्ध न करे, ओन्टारियो की विधान-सभा में अलोमा जिले के लिए सदस्य के किसी भी निर्वाचन में मत देने के लिए कनाडा प्रदेश के नियम द्वारा योग्य व्यक्तियों के अलावा, प्रत्येक ब्रिटिश पुरुष प्रजा, जो इक्कीस वर्ष या उससे ऊपर का हो, गृहस्थ होते हुए एक मत का अधिकारी होगा ; (३५)

८५—ओन्टारियो की प्रत्येक विधान-सभा तथा क्यूबेक की प्रत्येक विधानसभा उन्हें को चुनने के लिए प्रदेशों के निर्वाचन की तिथि से चार वर्षों तक अविच्छिन्न

रहेगी (परन्तु या तो ओन्टारियो को विधान सभा या क्यूबेक की विधान सभा उस प्रदेश के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर द्वारा पहले ही भंग कर देने का विषय होगी) इसके बाद नहीं। (३६)

८६—ओन्टारियो और क्यूबेक के विधानमंडल का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक अधिवेशन होगा, ताकि प्रत्येक प्रदेश में विधानमंडल के एक अधिवेशन की अन्तिम बैठक और आने वाले अधिवेशन की पहली बैठक में बारह महीने व्यवधान न कर दालें।

८७—कनाडा के हाउस आफ कामन्स के बारे में इस अधिनियम के निम्न-लिखित उपबन्ध ओन्टारियो और क्यूबेक की विधान-सभाओं पर विस्तीर्ण व प्रयुक्त होंगे, मानो ये उपबन्ध इस प्रकार की प्रत्येक विधान-सभा के लिए पुनः अधिनियमित व प्रयुक्त किए गए हों, तात्पर्य यह है कि अध्यक्ष के वास्तविक तथा रिक्तताओं के चुनाव सम्बन्धी, अध्यक्ष के कर्तव्य अध्यक्ष की अनुपस्थिति, कोरम तथा मत देने का तरीका सम्बन्धी उपबन्ध।

४—नोवास्कोतिया तथा न्यूब्रन्सविक।

८८—इस अधिनियम के उपबन्धों के विषय, नोवास्कोतिया तथा न्यू ब्रन्सविक के प्रत्येक प्रदेशों के लिए विधानमंडल का गठन जैसे यह सङ्घ में है वैसे ही अविच्छिन्न रहेगा जब तक कि इस अधिनियम के प्राधिकार के अन्तर्गत परिवर्तित न किया जाय। (३७)

चार प्रदेश

८९—निरासित

९०—कनाडा की संसद के लिए इस अधिनियम के निम्नलिखित उपबन्ध अनेक प्रदेशों के विधान मंडलों पर विस्तीर्ण व प्रयुक्त होंगे मानों वे उपबन्ध उन प्रदेशों और उनके विधान-मंडलों के लिए पुनः अधिनियमित और प्रयुक्त किए गए हो नामतः कर विधेयकों के औचित्य सम्बन्धी मुद्रा मत का अनुमोदन, विधेयकों की स्वीकृति अधिनियमों की अस्वीकृति तथा सुरक्षित विधेयकों पर मत से हस्ताक्षर-अन्तर केवल यह होगा कि गवर्नर-जनरल के स्थान पर प्रदेश का लेफ्टिनेन्ट गवर्नर, महारानी और राज्य के एक सचिव के स्थान पर गवर्नर जनरल, दो वर्षों के स्थान पर एक वर्ष, तथा कनाडा के स्थान पर प्रदेश का हो जायगा।

vi विधायी अधिकारों का वितरण

संसद के अधिकार।

९१—सीनेट हाउस आफ कामन्स की सलाह और सम्मति से महारानी के लिए वैध होगा कि प्रदेशों के विधान-मंडलों को इस अधिनियम द्वारा पूर्णतया

समै नए विषयों के वर्गों में न आने वाले मसलों के सम्बन्ध में, शान्ति, व्यवस्था तथा कनाडा की अच्छी सरकार के लिए कातून बनावें, और अधिक निश्चय के लिए, परन्तु ऐसा नहीं की इस अधिनियम के पूर्ववर्ती शब्दों की सामान्यता ही अवरोध हो जाय, यह घोषित किया जा रहा है कि (इस अधिनियम के अतिरिक्त) कनाडा की संसद के सम्पूर्ण विधायी प्राधिकार उन सभी मामलों पर विस्तीर्ण होते हैं जो अब आगे प्रगणित विषयों के वर्गों में आते हैं, अर्थात्—

१—प्रदेशों के विधान मंडलों को पूर्णतया सौंपे गए अधिनियम द्वारा विषयों के वर्गों में आने वाले मामलों के सम्बन्ध को छोड़कर, कनाडा के संविधान का समय-समय पर संशोधन, या एक प्रदेश की सरकार या विधान-मंडल में इस या अन्य किसी संवैधानिक अधिनियम द्वारा प्रदत्त या सुरक्षित अधिकार या सुविधाओं के बारे में, या विद्यालयों के सम्बन्ध में लोगों के किसी वर्ग के लिए, या अंग्रेजी या फ्रांसीसी भाषा के प्रयोग के बारे में, या ऐसी आवश्यकताओं के बारे में कि कनाडा की संसद का एक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार अवश्य होगा, तथा यह कि सदन के चुनाव के लिए प्रवर्तित प्रदेश की तिथि से पाँच वर्षों से अधिक कोई हाउस आफ कामन्स अबिच्छिन्न नहीं होगा। बशर्ते कि कनाडा की संसद द्वारा एक हाउस आफ कामन्स वास्तविक या संभावित युद्ध, चढ़ाई, या विद्रोह के समय कायम रह सकता है यदि ऐसा अबिच्छिन्नता का ऐसे सदन के एक तिहाई अधिक सदस्य विरोध न करें। (३६)

१—अ—सामाजिक ऋण तथा सम्पत्ति। (४०)

२—व्यापार और वाणिज्य का संचालन।

३—अ—बेकारी का बीमा। (४१)

४—कर के किसी तरीके या रूप से रुपया प्राप्त करना।

५—सामाजिक साख पर रुपया उधार लेना।

६—डाक सेवा।

७—जनगणना तथा सांख्यिकी।

८—मिलिशिया, सैनिक व जन सैनिक सेनाएँ तथा प्रतिरक्षा।

९—कनाडा की सरकार के सिविल तथा अन्य अफसरों का धेतन व म

निश्चित करना व भुगतान।

१०—आकाश द्वीप, बोये (Buoys) प्रकाश गृह, तथा सेबेल द्वीप।

११—नौ परिवहन तथा जहाज चलाना।

१२—संघरोध तथा जहाज अस्पतालों की स्थापना व देखभाल।

१३—समद्रतट तथा अन्तर्देशीय मत्स्य व्यापार।

१४—एक प्रदेश से किसी ब्रिटिश या विदेशी देश या दो प्रदेशों के बीच नौ घाट ।

१५—नोट व मुद्राएँ

१६—बैङ्किंग, बैंकों को मिला लेना, कागज के रूप जारी करना ।

१७—बचत बैङ्क ।

१८—तैल व माप ।

१९—विनियम तथा बचत पत्रों के विधेयक ।

२०—व्याज ।

२१—कानून टेण्डर ।

२२—दिवालियापन तथा शोधाक्षमता ।

२३—खोज व अविष्कार ।

२४—कापीराइट ।

२५—भारतीय तथा भारतीयों के लिए सुरक्षित भूमि ।

२६—नागरिक बनाना तथा अन्य-देशीय ।

२७—विवाह व तलाक ।

२८—आपराधिक नियम, दण्ड-क्षेत्राधिकार के न्यायालयों के संविधान के अतिरिक्त, परन्तु आपराधिक मामलों में प्रक्रिया को मिलकार ।

२९—सुधार घरों की स्थापना, देखभाल व प्रबन्ध

३०—विषयों के ऐसे वर्ग जैसे कि प्रदेशों के विधान-मण्डलों को पूर्णतया सौंपे गए इस अधिनियम द्वारा विषयों के वर्गों के परिगणन में स्पष्टतया वर्जित हैं ।

और इस प्रविभाग में परिगणित विषयों के किन्हीं वर्गों में आने वाले कोई मामले प्रदेश के विधानमंडलों की पूर्णतया सौंपे गए अधिनियम द्वारा विषयों के परिगणित में समाविष्ट स्थानीय या व्यक्तिगत रूप से मामलों की श्रेणी में आय नहीं समझे जायेंगे । (४२)

१—ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम, १८७१, ३४-३५ विक्ट०, सी० २८ (यू० के०) ।

२—कनाडा की संसद समय-समय पर, किन्हीं राज्यक्षेत्रों जो फिलहाल कनाडा डोमिनियन में हैं तथा उसके किसी प्रदेश में शामिल नहीं हैं, में नए प्रदेशों की स्थापना कर सकती है, तथा ऐसी स्थापना के समय पर, ऐसे प्रदेश के संविधान तथा प्रशासन तथा ऐसे प्रदेश के लिए शान्ति, सुव्यवस्था तथा अच्छी सरकार के लिए कानून पारित करने तथा उपरोक्त संसद में इसके प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था करेगी ।

३—कथित डोमिनियन के किसी प्रदेश के विधानमंडल की सहमति से, कनाडा की संसद समय-समय पर ऐसे निबन्धों और शर्तों पर जो कथित विधानमंडल द्वारा मंजूर हों ऐसे प्रदेश की सीमाओं में वृद्धि, ह्रास या अन्य परिवर्तन कर सकती है, और ऐसे ही सहमति से, उससे प्रभावित किसी प्रदेश से सम्बन्धित राज्यक्षेत्र की ऐसी किसी वृद्धि, ह्रास, या परिवर्तन के प्रभावकर व कारगर होने के लिए व्यवस्था कर सकती है।

४—कनाडा की संसद समय-समय पर फिलहाल किसी प्रदेश में असम्मिलित किसी राज्यक्षेत्र के प्रशासन, शान्ति, सुव्यवस्था तथा अच्छी सरकार का प्रबन्ध कर सकती है।

५—कथित कनाडा की संसद द्वारा पारित तथा कमशः अधिकृत निम्न लिखित अधिनियम—“कनाडा मिलने पर रूपर्टसलैंड तथा उत्तर पश्चिमी राज्य क्षेत्र की अस्थायी सरकार के लिए एक अधिनियम” तथा बत्तीस और तैंतीस विक्टोरिया अधिनियम अध्याय तीन को संशोधित तथा अविच्छिन्न करने तथा “मनीत्तेवा प्रदेशः” की सरकार के लिए प्रबन्ध तथा व्यवस्था के लिए एक अधिनियम, महारानी के नाम पर, कनाडा की कथित डोमिनियन के गवर्नर जनरल को क्रमशः सहमति प्राप्ति के दिन से सभी कार्यों के लिए वैध व प्रभावकर होंगे तथा समझे जावेंगे।

६—इस अधिनियम के तीसरे प्रविभाग के प्रबन्ध के अतिरिक्त, कनाडा की संसद के लिए यह उपयुक्त न होगा कि वह कथित संसद के पूर्व उद्धृत इस अधिनियम के उपबन्धों को।

७—प्रादेशिक विधान मंडलों के एकान्तिक अधिकार प्रत्येक प्रदेश में विधान-मंडल अब इसके बाद परिगणित विषयों की श्रेणी में आने वाले मामलों के सम्बन्ध में एकान्तिक रूप से कानून बना सकता है, तात्पर्य यह है।

१—इस अधिनियम के अतिरिक्त, लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के पद के बारे में छोड़कर समय-समय पर प्रदेश के संविधान का संशोधन।

२—प्रादेशिक कार्यों के लिए आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में प्रत्यक्ष कर।

३—प्रदेश की पूरी साख पर रूपया उधार लेना।

४—प्रादेशिक कार्यालयों की स्थापना तथा अवधि एवं प्रादेशिक अधिकारियों की नियुक्ति एवं भुगतान।

५—प्रदेश के अधिकार में सामाजिक भूमि तथा काष्ठ एवं उसकी लकड़ी का प्रबन्ध एवं विक्रय।

६—प्रदेश में तथा उसके लिए नागरिक एवं मुधार कारीगरों की स्थापना, देखभाल तथा प्रबन्ध

७—समुद्री चिकित्सालयों को छोड़कर, प्रदेश में तथा उसके लिए चिकित्सालयों शारदास्थानों पूर्ति तथा दान पर निर्भर रहने वाली संस्थाओं की स्थापना, देखभाल तथा प्रबन्ध ।

८—प्रदेश में नगरपालिका की संस्थाएँ ।

९—प्रादेशिक, स्थानीय तथा नगरपालिका के कार्यों के लिए आय बढ़ाने के लिए दूकान, सैलून सामाजिक ग्रह, नीलामी, तथा अन्य लाइसेन्स ।

१०—निम्नलिखित श्रेणियों के अतिरिक्त सामाजिक कार्य तथा प्रतिश्रुतियाँ :—

(अ) वाक्य या अन्य जहाजों रेलों, नहरों, तारों के मार्ग, तथा अन्य कार्य व प्रतिश्रुतियाँ जो प्रदेश को किसी दूसरे या किन्हीं दूसरे प्रदेशों से मिलाती हो, या प्रदेश की सीमा के बाहर आती हो ।

(ब) प्रदेश तथा किसी विशिष्ट या विदेशी राष्ट्र के बीच भाप के जहाजों के मार्ग ।

(स) ऐसे कार्य जो, मद्यपि पूर्णतया प्रदेश में स्थिति हों, परन्तु कनाडा की संसद द्वारा कार्यान्वित होने के पूर्व या पश्चात् कनाडा के सामान्य हित या दो से अधिक प्रदेशों के हित के लिए हों ।

११—प्रादेशिक उद्देश्यों के लिए कम्पनियों का विलय ।

१२—प्रदेश में विवाह का सम्पादन ।

१३—प्रदेश में सम्पत्ति एवं नागरिक अधिकार ।

१४—प्रदेश में न्याय का प्रशासन नागरिक और दण्डक्षेत्राधिकार के प्रादेशिक न्यायालयों का विधान, देखभाल तथा प्रबन्ध को लेकर, तथा उन न्यायालयों में नागरिक मामलों की प्रक्रिया को लेकर ।

१५—इस अधिनियम में परिगणित विषयों की किसी श्रेणी में आने वाले किसी मामले के सम्बन्ध में बनाए गए प्रदेश के किसी कानून को लागू करने के लिए जुर्माना, दण्ड अथवा जेल द्वारा सजा देना ।

१६—प्रदेश में मात्र स्थानीय या व्यक्तिगत स्वभाव के सामान्यतः सभी मामले ।

शिक्षा ।

१३—प्रत्येक प्रदेश में उसके लिए विधान मण्डल निम्नलिखित तथा अनुरूप एकांतिक रूप से शिक्षा के सम्बन्ध में कानून बना सकता है ।

(१) इस प्रकार के कानून में कई भी चीज ऐसी न होगी जो सम्प्रदायिक विद्यालयों के किसी अधिकार या विशेषाधिकार को पूर्वाग्रह से प्रभावित करे । जो संघ के प्रदेश में कानून द्वारा किसी वर्ग के लोगों को प्राप्त हो ।

(२) उच्च कनाडा में महारानी की रोमन कैथोलिक प्रजा के प्रत्येक विद्यालयों तथा विद्यालय न्यायधारियों पर कानून द्वारा लागू वह जारी संघ के सभा अधिकार विशेषाधिकार तथा कर्तव्य क्यूबेक में महारानी को प्रोटेस्टेण्ट तथा रोमन कैथोलिक प्रजा के असम्मत विद्यालयों पर लागू व विस्तीर्ण होंगे ।

(३) जहाँ किसी प्रदेश में पृथक या असम्मत विद्यालयों की प्रणाली संघ में कानून द्वारा चतती है या प्रदेश के विधान मण्डल द्वारा उसके बाद स्थापित होती है, शिक्षा के बारे में महारानी की प्रजा के अल्पसंख्यक प्रोटेस्टेण्ट या रोमन कैथोलिक के किसी अधिकार या किसी विशेषाधिकार को प्रभावित करने वाले किसी प्रादेशिक अधिकारी के निर्णय या किसी अधिनियम की अपील कौंसिल में गवर्नर जनरल के पास होगी ।

(४) ऐसी स्थिति में जहाँ ऐसे किसी प्रादेशिक कानून का कौंसिल में गवर्नर जनरल की समझ में समय-समय पर इस प्रविभाग के उपबन्धों का आवश्यक पालन नहीं हुआ हो, या ऐसी स्थिति में जहाँ कौंसिल में गवर्नर जनरल के इस प्रविभाग में अन्तर्गत अपील पर निर्णय का प्रादेशिक अधिकार द्वारा उस हैसियत में उचित पालन न हुआ हो तो तथा ऐसी प्रत्येक स्थिति में, और जहाँ तक प्रत्येक स्थिति में परिस्थितियाँ वाध्य करें, कनाडा की संसद प्रविभाग के उपबन्ध' के या इस प्रविभाग के अन्तर्गत कौंसिल में गवर्नर जनरल के किसी निर्णय के वाजिव पालन के लिए उपचार्य कानून बना सकती है । (४३)

परिशिष्ट २

कुछ अन्य परीक्षोपयोगी प्रश्न

(क)

प्रान्तीय शासन

कनाडा की प्रान्तीय शासन-पद्धति पर संक्षेप में विचार कीजिए ।

कनाडा प्रान्तों का एक संघ या यूनियन (Union) है । प्रान्तों के यूनियन के रूप में जहाँ एक ओर यूनियन की शासन-पद्धति है, वहाँ दूसरी ओर प्रान्तों की अपनी अलग शासन-पद्धति है । प्रशासन की दृष्टि से समस्त कनाडा ग्यारह भागों में विभाजित है जिसमें से नौ प्रान्तों की अपनी प्रान्तीय व्यवस्था है तथा शेष दो प्रान्त केन्द्र द्वारा प्रशासित होते हैं ! जहाँ तक कि प्रान्तीय शासन की विशेषताओं का प्रश्न है तैसा कि

प्रो० डासन ने कहा है कि संघीय शासन की भाँति कनाडा के प्रान्तों का शासन भी अँग्ल विधि और व्यवहार पर आधारित है।

“The outstanding feature of the Canadian Provinces is the fact that they no less than the federal government have been largely modelled on English law and practice.” दूसरे शब्दों में संघ की भाँति प्रान्तों में भी कार्यपालिका है, प्रान्तीय व्यवस्थापिका है और प्रान्तीय न्यायपालिका है। प्रान्तों की शासन-पद्धति के दो प्रधान आधार हैं : (क) ब्रिटिश ड्यूटी अमेरिका अधिनियम और (ख) प्रान्तीय इसके अतिरिक्त प्रान्तीय शासन के रूप को निश्चित करने में परम्पराओं, न्यायिक निष्पत्ति, सपरिषद् आदेश, व्यवस्थापिकीय नियमों इत्यादि का भी योग रहा है। प्रान्तीय सरकार को अपने संविधान में संशोधन का अधिकार मिला हुआ है किन्तु वह न तो प्रान्तीय उपराज्य पाल (लेफ्टिनेन्ट गवर्नर) के पद और शक्तियों में कोई संशोधन कर सकती है और न ही प्रान्तीय, संघीय और केन्द्रीय मूर्त्तियों के सम्बन्ध में ही कोई परिवर्तन कर सकती है।

प्रान्तों की पालिका—

प्रान्तीय शासन की उपर्युक्त पृष्ठ भूमि के उपरान्त कनाडा की शासन-पद्धति के प्रान्तीय पक्ष पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। प्रशासन की दृष्टि से कनाडा के शासन-संस्थानों को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

कार्य पालिकीय संस्थान

विधायी संस्थान

न्याय पालिकीय संस्थान

जहाँ तक कि कार्यपालिकीय संस्थानों का प्रश्न है; इस दृष्टि से हम प्रान्तीय कार्य पालिका को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं : (क) लेफ्टिनेन्ट गवर्नर या उप-राज्य पाल,

(ख) प्रान्तीय मंत्रिमण्डल या कैबिनेट।

(क) लेफ्टिनेन्ट गवर्नर—प्रान्तीय कार्यपालिका का प्रधान लेफ्टिनेन्ट गवर्नर होता है। लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की नियुक्ति सपरिषद् गवर्नर जनरल करता है वह पाँच वर्षों के लिए अपने पद पर नियुक्त किया जाता है। संघीय अधिकारी होने के नाते उसे संघीय शासन से ही वेतन मिलता है। गवर्नर जनरल द्वारा ही उसका वेतन निश्चित किया जाता है। लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की अनुपस्थिति, अस्वस्थ या अक्षमता इत्यादि की स्थिति में कार्य करने के लिए सपरिषद् गवर्नर जनरल ऐसे अवसर पर स्थानापन्न प्रशासक नियुक्त करने के अधिकारी होता है।

लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की स्थिति पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि लेफ्टिनेन्ट गवर्नर दो रूपों में कार्य करता है : एक तो वह केन्द्रीय या संघीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, दूसरे वह प्रान्तीय शासन के अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करता है। इनमें से जहाँ तक पहले कर्तव्य का प्रश्न है लेफ्टिनेन्ट गवर्नर संघीय शासन द्वारा नियुक्त किया जाता है, संघीय कोषाकार से वेतन ग्रहण करता है, गवर्नर जनरल के प्रस्ताव पर्यन्त अपने पद पर बना रहता है, ऐसी दशा में स्वाभाविक रूप से वह अपने कर्तव्यों के लिए गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी रहता है।

जहाँ तक कि प्रान्तीय शासन के प्रधान के रूप में उसके कर्तव्य-पालन का प्रश्न है लेफ्टिनेन्ट गवर्नर प्रान्तीय शासन का वैधानिक प्रधान है। अतएव सामान्यतया ऐसी स्थिति में लेफ्टिनेन्ट गवर्नर प्रान्तीय शासन में कोई सक्रिय भाग नहीं लेता। वास्तविक कार्यपालिकीय शक्तियाँ तो प्रान्तीय मंत्रिमण्डल के हाथों में केन्द्रित होती है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि प्रान्तीय गवर्नर केवल 'रबर' की मुद्रा' (Rubber Stamp) होता है। कनाडा के संवैधानिक इतिहास में अनेक ऐसे स्थाल आए हैं जब कि लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए उसने अनेक अवसरों पर मंत्रिमंडल द्वारा दी गई विधान-मंडल के भंग करने की मांग को अस्वीकार कर दिया है, मंत्रिमंडल की इच्छा के विरुद्ध उसे भंग किया है, रायल कमीशन की नियुक्ति के लिए मंत्रिमंडल को बाध्य किया है। जैसा कि आर० एम० डासन (R. M. Dawson) ने कहा है :

लेफ्टिनेन्ट गवर्नरों ने प्रायः मंत्रिमंडलों के परामर्श की उपेक्षा कर अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करने के अधिकार पर बल दिया है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब कि लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ने मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर दिया मंत्रिमंडल के भंग करने की सलाह की उपेक्षा कर दी तथा अपने मंत्रिमंडल को एक शाही जाँच आयोग की नियुक्ति के लिए बाध्य किया।

(ख) मंत्रि परिषद्—संसदीय परम्परा के अनुसार प्रान्तों वास्तविक कार्यपालिकीय शक्तियाँ मंत्रि-परिषद् के हाथों में निहित होती हैं। जिस प्रकार संघीय शासन में मंत्रि-परिषद् वास्तविक कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग करती है उसी प्रकार प्रान्तीय शासन में प्रान्तीय मन्त्रि-परिषद् महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करती है। मंत्रि-परिषद् के समस्त सदस्य प्रान्तीय व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और अपने कार्यों के लिए वे प्रान्तीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। मंत्रि-परिषद् का गठन करते समय प्रधान मंत्री इस बात का ध्यान रखता है कि वह प्रान्त के समस्त दोनों ओर हितों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करे। इस परम्परा के कारण मंत्रि-परिषद् सामान्यतया विशाल होती है। मंत्रि-परिषद् के सदस्य मंत्रिगण एक या एक से अधिक विभागों के

अध्यक्ष होते हैं, कतिपय मंत्री बिना विभाग के भी होते हैं। १९०७ ई० में क्यूबेक के मंत्रिमंडल में छः बिना विभाग के मुख्य विभागों में कृषि-विभाग, अटार्नी जनरल, शिहता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जन-मार्ग विभाग, श्रम-विभाग, भूमि और जंगल विभाग, खान-विभाग, स्थानीय विषय (म्युनिसिपल अफेयर्स) विभाग लोक कल्याण विभाग, लोक-कार्य विभाग, प्रान्तीय कोषाध्यक्ष तथा प्रान्तीय संचिव मुख्य हैं। संसदीय परम्परा के अनुसार मंत्रि-मंडल के कार्यों में सहायता देने के लिए स्थानीय कर्मचारियों अधिकारियों या लोक सेवकों (Civil Servants) का एक वर्ग होता है।

मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है। वह प्रान्तीय विधान-मंडल में बहुमत दल का नेता होता है। वही मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। उसे यदि मंत्रिमंडल का आदि और अन्त कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी।

प्रान्तीय व्यवस्थापिका—कनाडा में क्यूबेक को छोड़ कर शेष अन्य प्रान्तों में केवल एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। क्यूबेक के विधान मंडल में दो सदन हैं, एक सदन उच्च सदन है जिसे लेजिस्लेटिव कौंसिल कहते हैं और दूसरा सदन निम्न सदन है जो लेजिस्लेटिव असेम्बली (Legislative Assembly) कहलाता है। सदन क्यूबेक के इस उच्च सदन लेजिस्लेटिव काउंसिल (Legislative Council) के २४ सदस्य लेफ्टिनेन्ट गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य अपने जीवन भर कौंसिल के सदस्य बने रहते हैं।

लेजिस्लेटिव असेम्बली जनता द्वारा निर्वाचित होती है। विभिन्न प्रान्तों में लेजिस्लेटिव असेम्बली (विधान-सभा) की संख्या विभिन्न होती है। सामान्यतया असेम्बली ३० से लेकर ९० तक सदस्य होते हैं! असेम्बली का निर्वाचन प्रत्यक्ष मताधिकार के अनुसार होता है। कुछ प्रान्तों को छोड़ कर अन्य सभी प्रान्तों में मताधिकार के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निश्चित की गई हैं।

(१) प्रत्येक व्यक्ति जिसने अपना नाम नागरिकों की सूची में लिखा लिया है तथा निर्वाचन की तिथि से वर्ष पूर्व से उस क्षेत्र में रह रहा हो मतदान का अधिकारी हो सकता है।

(२) उसकी आयु २१ वर्ष हो।

(३) उसमें निर्वाचन विषयक कोई अन्य अयोग्यता न हो।

इस प्रसंग में यह स्मरण चाहिए कि अनेक प्रान्तों में मतदान की आयु और निवास सम्बन्धी अवधि का समय भिन्न है। उदाहरण के लिए क्यूबेक में निवास की अवधि दो वर्ष निश्चित की गई है। सस्केचवान तथा अलबर्टा में आयु की शर्त १८ और १९ वर्ष निश्चित की गई है। इसी प्रकार पिस एडवर्ड द्वीप में असेम्बली के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति भिन्न है। पिस एडवर्ड द्वीप में विधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए सम्पत्ति विषयक योग्यता को निश्चित किया गया है। इस द्वीप में

असेम्बली के निर्वाचन की विशेष पद्धति पर विचार करते प्रो० डासन ने लिखा है कि !
 “मिस एडवर्ड द्वीप में विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन विचित्र ढंगों से होता है ।
 विधान सभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) के आधे सदस्यों को ऐसे मतदाता चुनते हैं जिनको
 मतदान करने का अधिकार सम्पत्ति के आधार पर प्राप्त हुआ है । इन विधान सभा के
 सदस्यों को कौंसिलर्स कहा जाता है । शेष आधे सदस्यों का निर्वाचन सम्पत्ति के आधार
 पर बने मतदान तथा अन्य वयस्क मतदान द्वारा होता है । इस प्रकार से आए सदस्य
 असेम्बली के सदस्य कहलाते हैं परन्तु विधान सभा में जाकर कौंसिलर्स एवं असेम्बली के
 सदस्यों में कोई अन्तर नहीं रहता ।”

१८६७ ई० के ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम की ६२ वीं धारा में प्रान्तीय
 व्यवस्थापिका के कार्यों का उल्लेख है । इन कार्यों को हम निम्नलिखित भागों में रख
 सकते हैं !

- १—(क) प्रान्तीय संविधान में संशोधन ।
- २—(ख) प्रान्तीय व्यय चलाने के लिए प्रत्यक्ष कर ।
- ३—(ग) प्रान्तीय साख पर ऋण ।
- ४—(घ) सार्वजनिक भूमि तथा बनों का प्रबन्ध ।
- ५—(ङ) चिकित्सालयों का प्रबन्ध ।
- ६—स्थानीय शासन-संस्थाओं की व्यवस्था ।
- ७—सार्वजनिक सेवाएँ ।
- ८—जेलों का प्रबन्ध ।
- ९—प्रान्तीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ।
- १०—कम्पनियाँ या नियम ।
- ११—प्रान्तीय दूकानों या होटलों के लाइसेंस की व्यवस्था ।
- १२—दातव्य संस्थाओं की व्यवस्था ।
- १३—प्रान्तीय सम्पत्ति तथा नागरिक अधिकारों की व्यवस्था ।
- १४—न्याय-प्रशासन की व्यवस्था ।
- १५—प्रान्तों में विवाह तथा तलाक इत्यादि की व्यवस्था !

उपरोक्त विषयों पर प्रान्तीय व्यवस्थापिका को विधि निर्माण करने का
 अधिकार है किन्तु इस विषय में यह स्मरण रखना आवश्यक है प्रान्तीय व्यवस्थापिका
 की विधायन सम्बन्धी इस शक्तियों पर कुछ प्रतिबन्ध भी है । उदाहरण के लिए प्रान्तीय
 व्यवस्थापिका प्रान्तीय लेफ्टिनेन्ट गवर्नर को पद तथा प्रान्त तथा केन्द्र के मध्य शक्ति
 वितरण के विषय को परिवर्तन नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त प्रान्तीय व्यवस्था-
 पिका द्वारा पारित अधिनियम लेफ्टिनेन्ट गवर्नर द्वारा केन्द्रीय शासन के विचार के लिए
 रोके जा सकते हैं ।

कनाडा के दो प्रान्तों में जनमत संग्रह (Referendum) और आरम्भण (Initiative) का भी प्रचलन है। ये दो प्रान्त अलबर्टा (Alberta) और ब्रिटिश कोलम्बिया (British Columbia) हैं।

प्रान्तीय न्यायपालिका—प्रान्तीय शासन का तीसरा अंग प्रान्तीय न्यायपालिका है। न्याय की दृष्टि से प्रान्तों की न्यायपालिका को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता : (१) प्रान्तीय उच्चतम न्यायालय (Provincial Supreme Court) होता है। (२) काउण्टी न्यायालय। (३) निम्नतम न्यायालय।

जहाँ तक कि प्रान्तीय उच्चतम न्यायालय का प्रश्न है यह जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है प्रान्तों का उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय है। उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति सपरिषद् गवर्नर जनरल करता है। प्रान्त के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ७५ वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, इस आयु पर पहुँचने पर वे अवकाश ग्रहण करते हैं। इसके पूर्व अपने पद से तभी हटाए जा सकते हैं जब कि ये शारीरिक मानसिक या चारित्रिक दृष्टि से अयोग्य पाए जाते हैं।

न्यायाधीशों का वेतन, उनके भत्ते इत्यादि संसद द्वारा निश्चित किए जाते हैं। संविधान के अनुसार प्रान्तीय न्यायालय संविधान सम्बन्धी व संगठन एवं व्यवस्था विषयक फौजदारी तथा दीवानी दोनों अधिकार क्षेत्रों का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त उसे नीचे न्यायालयों से आई हुई अपीलें सुनने का भी अधिकार है।

प्रान्तों के अन्तर्गत आने वाला अन्य न्यायालय काउण्टी न्यायालय है। इन न्यायालयों को छोटे विवादों के विषय में मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। काउण्टी न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा होती है।

प्रान्तों में न्यायपालिका के संगठन के आधार पर कनिष्ठ न्यायालय (Minor Provincial Courts) होते हैं। इनके अन्तर्गत प्रोबेट न्यायालय, डिवीजन न्यायालय, मैजिस्ट्रेट न्यायालय, बाल अपराधी न्यायालय, इत्यादि आते हैं। सामान्यतया इन न्यायालयों के न्यायाधीशों प्रान्तीय शासन के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बने रहते हैं। प्रान्तीय शासन का इन न्यायाधीशों पर पूरा नियंत्रण होता है।

(२) कनाडा के राजनीतिक दल

प्रश्न २—कनाडा की दलीय पद्धति पर संक्षेप में विचार कीजिये।

किसी प्रशासन-व्यवस्था में राजनैतिक दलों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है। राजनैतिक दल वस्तुतः प्रजातन्त्र के आधार पर होते हैं। कनाडा की लोकतांत्रिक पद्धति भी इसका अपवाद नहीं है। जहाँ तक कि कनाडा में राजनैतिक दलों की उत्पत्ति का प्रश्न है कनाडा में राजनैतिक दलों का विकास परम्पराओं पर आधारित रहा है।

कनाडा की शासन-प्रणाली का संस्थापक ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम में कहीं भी राजनैतिक दलों का उल्लेख नहीं आया है। उनका विकास उपर्युक्त अधिनियम के उपरान्त तथा उससे परे हुआ है। प्रारम्भ में ये राजनैतिक दल विभिन्न विचार वाले लोगों के शिथिल संगठन के रूप में आए।

कनाडा के राजनैतिक दलों की विशेषताएँ—

कनाडा के राजनैतिक दलों के संगठन और स्वरूप पर विचार करने के पूर्व दो शब्द कनाडा के राजनैतिक दलों की विशेषताओं के विषय में कह देना आवश्यक है। संक्षेप में कनाडा के राजनैतिक दलों की विशेषताओं की निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं :

(१) कनाडा की दलीय पद्धति दो दलीय पद्धति (Bi-party System) पर आधारित है। वैसे तो कनाडा में दो से अधिक दल हैं किन्तु शासन में या राजनैतिक जीवन में प्रभाव की दृष्टि से कनाडा में दो ही प्रमुख राजनैतिक दल हैं। जैसा कि क्लोकी ने कहा है कि—कनाडा में दो बड़े राजनैतिक दल हैं और इस समय तीन और भी छोटे दल हैं। बड़े दल—कंज़ारवेटिव तथा लिबरल, संघ निर्माण के समय से चले आ रहे हैं, छोटे दलों—कोअपरेटिव कामनवेल्थ फेडरेशन, सोशल क्रैडिट पार्टी तथा यूनियन नेशनल्स का निर्माण पिछले दस वर्षों में ही हुआ है। इन दलों का स्थानीय प्रांतीय व संघीय स्तरों पर भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ा है,

(२) कनाडा के राजनैतिक दलों की दूसरी विशेषता यह है कि कनाडा के राजनैतिक दल कठोर अनुशासन पर संगठित नहीं हैं। इङ्ग्लैण्ड या अमेरिका की भाँति उनमें दल के कठोर अनुशासन का अभाव है। संगठन का स्वरूप भी उतना सुव्यवस्थित नहीं है जितना कि होना चाहिए। सामान्यतया निर्वाचन के अवसर पर ही इन दलों की क्रियाविधियों का परिचय मिलता है, वैसे नहीं। जैसा कि मुनरो महोदय ने कहा है—कनाडा के राजनैतिक दल विभिन्न गुटों के एक बरडल के समान हैं जो अलास्टिक के ससत नभन वाली डोरी से बंधा हुआ है।'

“.....a Canadian political party is nothing but a bundle of factions held together by the lastic ebond of common nomenclature,” इसी प्रकार न्यूमैन ने भी कहा है कि ‘प्रगतिशील तथा अनुदार दल इतने अकर्मण्य होते हैं कि वे केवल उम्मीदवार को छांट देते हैं और निर्वाचन लड़ते हैं।’

(३) कनाडा के राजनैतिक दलों की अन्य विशेषता यह है कि राजनैतिक दल विशेषकर ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनैतिक दलों से प्रभावित हैं। प्रारम्भ में तो कनाडा के राजनैतिक दलों ने पूर्णतया ग्रेट ब्रिटेन के राजनैतिक दलों के समान ही विकसित होने का प्रयास किया किन्तु बाद में वे ब्रिटेन या अमेरिका के राजनैतिक दलों की भाँति अपना संगठन और अनुशासन बनाए रखने में असमर्थ रहे।

(४) कनाडा के राजनैतिक दलों की अन्य विशेषता यह है कि ये राजनैतिक दल निश्चित सिद्धान्तों पर संगठित नहीं हैं। ब्रेडी महोदय ने इस प्रसंग में विचार करते हुए लिखा है।

“It is rarely possible to examine course pursued by either party and from that deduce any one philosophy or set of ideas which has been steadily pursued throughout the years.”

इसी प्रकार Queen Quartely में स्टीवेंसन महोदय ने लिखा है कि : The cold truth is that a certain bewildering incoherence persists in the ideas and policies of both our historic parties.”

कनाडा के प्रमुख राजनैतिक दल

१—अनुदार दल (Conservative Party) इस दल का संगठन पहले १८५४ ई० में हुआ था। उस समय कनाडा में कुछ विभिन्न दल ‘लिवरल कंजर्वेटिव पार्टी’ के नाम से संगठित हुए। इस दल के संगठन का प्रमुख श्रेय जाल ए० मैकडोनाल्ड को है। मैकडोनाल्ड महोदय के प्रभाव और प्रतिभा के कारण प्रारम्भ में यह दल अत्यन्त प्रभावशाली रहा। उसने १८६७, १८७५, १८७८, १८८१ १८८७ तथा १८९१ ई० के चुनावों में सफलता प्राप्त की। इसके उपरान्त मैकडोनाल्ड महोदय की मृत्यु के कारण अनुदार दल की स्थिति बिगड़ गई, १९११ ई० तक वह एक प्रकार से प्रभावहीन रहा। प्रथम विश्व युद्ध के समय उसका प्रभाव फिर स्थापित हुआ और दल अपनी सरकार बनाने में सफल रहा। युद्ध की समाप्ति पर फिर उसका प्रभाव कम हुआ। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् वह अपनी प्रभाव परिधि के बढ़ाने में सफल हुआ। सन् १९५० ई० में जान डिकेन बेकर के नेतृत्व में वह दल पुनः अपनी सरकार बनाने में समर्थ रहा। आज यह दल कनाडा की दो प्रमुख या वरिष्ठ राजनैतिक दलों में से एक है। कनाडा में यह वर्तमान समय में ‘प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी (Progressive Conservative Party) के नाम से प्रख्यात है।

जहाँ तक कि दल की नीति और कार्य क्रम का प्रश्न है यह दल प्रारम्भ से ही मुक्त व्यापार नीति (Laissez Faire) दल संरक्षण नीति के द्वारा देश की आर्थिक सन्नद्धि में विश्वास करता है। फलतः वह विदेशों से कनाडा में आयात किए हुए माल पर अधिक कर लगाने में विश्वास करता है। वह देश के आर्थिक जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। बेराजगारी को दूर करने, सामाजिक बीमा की योजना को पूर्ण रूप से स्थापित करने, बेरोजगारी को दूर करने, न्यूनतम मजदूरी तथा काम के कम से कम घंटे निश्चित करने में उसकी आस्था है।

संगठन की दृष्टि से दल की निम्नतम इकाई को ‘पोल’ अथवा पोलिंग कहते हैं। इसके ऊपर निर्वाचन क्षेत्र होता है, जो ‘राइडिंग’ कहलाता है।